एवं जनोपयोगी निबन्ध

ैचारिकी

(सामाजिक एवं जनोपयोगी निबन्ध-संग्रह)

लेखक
पं० श्री कृपाशंकर शुक्ल

वाराणसेय संस्कृत संस्थान
सी २७/६४, जगतगंज, वाराणसी, उत्तर-प्रदेश

वाराणसेय सस्कृत सस्थान
सी २७/६४, जगतगज, वाराणसी-२२१००२
दूरभाष : ०५४२-२०४७६२

○

लेखक
पं० श्री कृपाशंकर शुक्ल

○

सम्पादन
एल० उमाशंकर सिंह

○

मूल्य —
पेपर कवर संस्करण – ८०.०० रूपये
सजिल्द संस्करण – १००.०० रूपये

○

प्रथम संस्करण - ५०० प्रतियाँ

○

मुद्रक :
आनन्द प्रिंटिंग प्रेस
सी २७ १७० ए
फोन २०४७६२

विष्णुकान्त शास्त्री
राज्यपाल उत्तर प्रदेश



राजभवन
लखनऊ २२७१३२

शुभकामना सन्देश

राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्कर्ष विषयक चिन्तन आवश्यक है। यही चिन्तन भविष्य में विकास योजनाओं एवं सामाजिक सुधार के लिए आधार बनता है।

श्री कृपाशंकर शुक्ल द्वारा इसी विषय पर लिखी गई पुस्तक 'वैचारिकी' एक अच्छा प्रयास है, जिसमें राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक सुधार के लिए उपयोगी विचार लिखे गये हैं। चिन्तकों, शासकों, प्रशासकों एवं नीति-निर्धारक जन के लिए ये विचार निश्चित रूप से उपयोगी होंगे। मैं इसके लिए श्री शुक्ल को अपनी शुभकामनाएँ एवं साधुवाद प्रेषित कर रहा हूँ।

(विष्णुकान्त शास्त्री)

DEY KATJU
Cheif Justice

High Court,
Allahabad, U.P.

Dated : 31-12-2001

Message

I have gone through the articles entitled "VAICHARIKI" by Shri Kripa Shanker Shukla, which is being published in the form of a book.

The articles are thought provoking, and deal with the important political and social uses which the nation is facing. The ideas expressed therein show that they emanuate from the mind of a person who is deeply and genuinely concerned about the evils in our society and polity, and wishes to awaken a feeling in the masses that something must be done in this connection if our country is to progress.

My best wishes to Shri Kripa Shanker Shukla and the publisher of the book.

(Markandey Katju)

ओम प्रकाश सिह

मन्त्री

सिचाई, लोक निर्माण एवं उच्च शिक्षा



दूरभाष २३८२१७ (का०)
२३०६०६ (आ०
विधान भवन
लखनऊ, उ.प्र.

दिनाङ्क : १७.११.२००१

शुभकामना सन्देश

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि 'निर्भीक राष्ट्रीय पुनर्जागरण' हिन्दी पाक्षिक के संस्थापक, प्रकाशक व प्रधान सम्पादक श्री कृपाशंकर शुक्ल "वैचारिकी" नामक निबन्ध-संग्रह का प्रकाशन करने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्र की एकता एवं विकास के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधारों पर भी प्रकाश डाला गया है । यह देश के आर्थिक विकास, राजनैतिक स्वच्छता, चुनावी सुधार, सांस्कृतिक उत्थान, औद्योगिक विकास एवं सामाजिक सौहार्द्र पैदा करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । इसके अतिरिक्त इसमें नारी-शिक्षा, बेरोज़गारी, विधवा विवाह, अनुपयोगी शिक्षा, विश्व अशान्ति एवं दहेज आदि विभिन्न सामाजिक विकृतियों पर भी महत्त्वपूर्ण विचार एवं समाधान प्रस्तुत किये हैं, जो सराहनीय हैं । मुझे विश्वास है कि यह निबन्ध संग्रह समाज के सभी वर्गों के लिए अत्यन्त ही उपयोगी सिद्ध होगा ।

"वैचारिकी" पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(ओम प्रकाश सिंह)

विद्यानिवास मिश्र

एम ३ बादशाह बाग कालोन
मलदहिया, वाराणसी-२,उ प्र
फोन : ०५४२-३५६३०

शुभकामना सन्देश

श्री कृपाशंकर शुक्ल 'निर्भीक राष्ट्रीय पुनर्जागरण' हिन्दी पाक्षिक नाम से पत्रिका सम्पादित करते हैं, जिसमें बड़ी निष्ठा से देश की समस्याओं पर अपने विचार तो देते ही हैं, अनेक जाग्रत प्रश्नों पर लेख भी देते रहे है। उस पत्रिका में छपे उनके लेखों का संग्रह 'वैचारिकी' नाम से छप रहा है। उनके ये लेख हिन्दुस्तान के साधारण आदमी की सोच के प्रतिबिम्ब है। वे आज भी गाँव और शहर दोनों से जुड़े हुए हैं। उन्हें अपनी परम्पराओ की भी चिन्ता है और उन्हें प्रगति के साथ जौड़ने की भी चिन्ता है। उनके विचार इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि वे देश के लिए सबसे अधिक चिन्तित है, देश के भविष्य के लिए चिन्तित हैं। चाहे बहुराष्ट्रीय कम्पनी का आना हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे आतंकवाद का, चाहे लोकतन्त्र के बिखराव का, चाहे सामाजिक प्रश्न हों - प्रेम विवाह, दहेज .... सब पर शुक्ल जी पैनी नज़र रखते हैं और बड़े स्वस्थ निर्भीक ढंग से अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। वे अपनी बातें सीधी असरदार ढंग से करते हैं। कहीं भी लाग-लपेट नहीं रखते। साथ ही साथ वे भाषा में संयम नहीं खोते। मैं इस संग्रह के लिए उन्हें बधाई देता हूँ

(विद्यानिवास मिश्र

प्रो० राममूर्ति शर्मा
कुलपति
सम्पूर्णानन्द संस्कृत
वाराणसी



दूरभाष (०५४२)२०४०८९ (का०)
(०५४२) २०६६१७ (नि०)
फैक्स (०५४२) २०६६१७
दिनाङ्क २६ जनवरी २००२

शुभकामना सन्देश

पण्डित **श्री कृपाशंकर शुक्ल** के निबन्धों का संकलन "**वैचारिकी**" नाम से प्रकाशित हो रहा है – यह अतिशय हर्ष एवं आनन्द का विषय है। मैंने इस पुस्तक के निबन्धों का अवलोकन किया और यह पाया कि श्री शुक्ल जी पुङ्खानुपुङ्खभाव से राष्ट्र एवं समाज की ज्वलन्त समस्याओं पर अपनी पारदर्शी दृष्टि रखते हुए अपने विचारों को जो आयाम दे रहे हैं, वह अपनी परम्परा के आलोक में भविष्यत् को सँवारने का भगीरथ प्रयास है। पण्डित श्री शुक्ल जी ने समय-समय पर जिन प्रश्नों, प्रतिप्रश्नों एवं अनुप्रश्नों पर अपनी लेखनी चलाते हुए राष्ट्र एवं समाज को अपनी सहज भाषा एवं शैली में जो सन्देश दिया है, उससे सामाजिक विसंगतियाँ निश्चय ही छटेंगीं और समाज की सामूहिक चेतना परिष्कृत होगी।

महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में लिखा है –

"आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव"।

अर्थात् मनीषियों का सामाजिक चेतना से जो आदान अर्थात् ग्रहण होता है, वह मेघ की भाँति लोककल्याणकारी होता है। श्री शुक्ल जी ने अपनी तलस्पर्शी दृष्टि से समाज की सामूहिक चेतना से जो सार ग्रहण

किया है उसे परिष्कृत करते हुए पुन समाज को प्रत्यावर्तित करते हुए दीख रहे हैं । उनका यह प्रदान करता हुआ स्वरूप निश्चय ही भावी विचारकों के लिए पाथेय बनेगा ।

ऐसी महनीय कृति, जो सामाजिक ताने-बाने से अनुगुंफित है, के प्रणेता मनीषिवर पण्डित **श्री कृपाशंकर शुक्ल** को हार्दिक साधुवाद एवं धन्यवाद प्रदान करता हूँ, और यह आशा करता हूँ कि उनकी तेजोदृप्त लेखनी से भविष्यत् में भी ऐसे ग्रन्थ-रत्नों का प्रणयन होता रहेगा ।

राममूर्ति शर्मा

(राममूर्ति शर्मा)

डॉ. मत्स्येन्द्र नाथ शुक्ल

८ ए शिवपुरी
इलाहाबाद उ प्र

शुभकामना सन्देश

प्रखर चिन्तक एवं विचारक पण्डित कृपाशंकर शुक्ल की अभिनव कृति 'वैचारिकी' के विभिन्न अध्यायों को आद्योपान्त देखे जाने के उपरान्त मेरा अभिमत है कि यह पुस्तक राष्ट्र और समाज के पक्ष में लिखित एक अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें प्रासंगिक तथा गम्भीर प्रकरणों पर साधिकार सोचने और कुछ सुझाव देने का प्रयास निहित है। आज कम ही लेखक हैं, जो इतने विवादास्पद और उलझे हुए विषयों पर लिखने की कोशिश कर रहे है। साफ रास्ते से होकर निकल जाना उन्हें ज्यादा अनुकूल, सुरक्षित तथा निरापद लगता है; क्योंकि समय के अनुसार इस प्रक्रिया में उलझाव और झंझट कम है। लेखन में जोखिम न उठाना आज की संस्कृति का एक अंग है।

'वैचारिकी' मूलत: शुक्ल जी के लघु निबन्धों का संग्रह है। वे सभी सामयिक मुद्दे इसमें समाहित हैं, जिन पर वर्तमान सन्दर्भ में अपरिहार्य रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं, बल्कि कल्याणप्रद निर्णयों से साधारण पाठकों को परिचित भी कराया जाय। शुक्ल जी के निबन्ध, आकार में लघु जरूर हैं; किन्तु साधारण-जन को प्रभावित करने की इनमें अकूत क्षमता है। अभिव्यक्ति, भाषा और शैली की दृष्टि से यदि यहाँ निबन्धकार प्रतापनारायण मिश्र का स्मरण किया जाय, तो अतिशयोक्ति न होगी -- वही गम्भीर चिंतन, शब्दों का सुनियोजन, रुचिकर विश्लेषण तथा प्रत्येक स्तर पर बेहतर तालमेल इन निबन्धों को पढ़ने के उपरान्त पाठकों का भावविभोर होना स्वाभाविक है।

कतिपय विचारणीय तथा उल्लेखनीय निबन्धों के शीर्षक द्रष्टव्य है।

अच्छे आदर्शों की जरूरत कश्मीर मे बढता उग्रवाद से उपजे

विश्वयुद्ध का सन्देह चुनावो मे सिकुडता लोकतन्त्र भ्रष्टाचार आदि शार्षको से ही स्पष्ट हे कि लेखक की सोचने की दशा और दिशा क्या है इन निबन्धों में न कहीं व्यर्थ की नमनीयता है, न समझौता और न ही निरर्थक बड़बोलापन। संयत तर्क, सुगम दृष्टि और शालीन अभिव्यक्ति । मुझे विश्वास है, शुक्ल जी इस कोटि के और भी निबन्ध लिखेंगे, जिनसे साहित्य का भण्डार समृद्ध होगा ।

(डॉ० मत्स्येन्द्रनाथ शुक्ल)

डॉ. मत्स्येन्द्र नाथ शुक्ल

८-ए, शिवपुरी
इलाहाबाद, उ प्र

शुभकामना सन्देश

प्रखर चिन्तक एवं विचारक पण्डित कृपाशंकर शुक्ल की अभिनव कृति 'वैचारिकी' के विभिन्न अध्यायों को आद्योपान्त देखे जाने के उपरान्त मेरा अभिमत है कि यह पुस्तक राष्ट्र और समाज के पक्ष में लिखित एक अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें प्रासंगिक तथा गम्भीर प्रकरणों पर साधिकार सोचने और कुछ सुझाव देने का प्रयास निहित है। आज कम ही लेखक हैं, जो इतने विवादास्पद और उलझे हुए विषयों पर लिखने की कोशिश कर रहे है। साफ रास्ते से होकर निकल जाना उन्हें ज्यादा अनुकूल, सुरक्षित तथा निरापद लगता है; क्योंकि समय के अनुसार इस प्रक्रिया में उलझाव और झंझट कम है। लेखन में जोखिम न उठाना आज की संस्कृति का एक अंग है।

'वैचारिकी' मूलतः शुक्ल जी के लघु निबन्धों का संग्रह है। वे सभी सामयिक मुद्दे इसमें समाहित हैं, जिन पर वर्तमान सन्दर्भ में अपरिहार्य रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं, बल्कि कल्याणप्रद निर्णयों से साधारण पाठकों को परिचित भी कराया जाय। शुक्ल जी के निबन्ध, आकार में लघु जरूर हैं; किन्तु साधारण-जन को प्रभावित करने की इनमें अकूत क्षमता है। अभिव्यक्ति, भाषा और शैली की दृष्टि से यदि यहाँ निबन्धकार प्रतापनारायण मिश्र का स्मरण किया जाय, तो अतिशयोक्ति न होगी – वही गम्भीर चिंतन, शब्दों का सुनियोजन, रुचिकर विश्लेषण तथा प्रत्येक स्तर पर बेहतर तालमेल इन निबन्धों को पढ़ने के उपरान्त पाठकों का भावविभोर होना स्वाभाविक है

कतिपय तथा निबन्धो के शार्षक द्रष्टव्य है

विश्वयुद्ध का सन्देह, चुनावों में सिकुड़ता लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार आदि । शीर्षकों से ही स्पष्ट है कि लेखक की सोचने की दशा और दिशा क्या है । इन निबन्धों में न कहीं व्यर्थ की नमनीयता है, न समझौता और न ही निरर्थक बड़बोलापन। संयत तर्क, सुगम दृष्टि और शालीन अभिव्यक्ति । मुझे विश्वास है, शुक्ल जी इस कोटि के और भी निबन्ध लिखेंगे, जिनसे साहित्य का भण्डार समृद्ध होगा ।

(डॉ० मत्स्येन्द्रनाथ शुक्ल)

डॉ. मत्स्येन्द्र नाथ शुक्ल

८-ए, शिवपुरी
इलाहाबाद, उ प्र.

शुभकामना सन्देश

प्रखर चिन्तक एवं विचारक पण्डित कृपाशंकर शुक्ल की अभिनव कृति 'वैचारिकी' के विभिन्न अध्यायों को आद्योपान्त देखे जाने के उपरान्त मेरा अभिमत है कि यह पुस्तक राष्ट्र और समाज के पक्ष में लिखित एक अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें प्रासंगिक तथा गम्भीर प्रकरणों पर साधिकार सोचने और कुछ सुझाव देने का प्रयास निहित है। आज कम ही लेखक हैं, जो इतने विवादास्पद और उलझे हुए विषयों पर लिखने की कोशिश कर रहे है। साफ रास्ते से होकर निकल जाना उन्हें ज्यादा अनुकूल, सुरक्षित तथा निरापद लगता है; क्योंकि समय के अनुसार इस प्रक्रिया में उलझाव और झंझट कम है। लेखन में जोखिम न उठाना आज की संस्कृति का एक अंग है।

'वैचारिकी' मूलतः शुक्ल जी के लघु निबन्धों का संग्रह है। वे सभी सामयिक मुद्दे इसमें समाहित हैं, जिन पर वर्तमान सन्दर्भ में अपरिहार्य रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं, बल्कि कल्याणप्रद निर्णयों से साधारण पाठकों को परिचित भी कराया जाय। शुक्ल जी के निबन्ध, आकार में लघु जरूर हैं; किन्तु साधारण-जन को प्रभावित करने की इनमें अकूत क्षमता है। अभिव्यक्ति, भाषा और शैली की दृष्टि से यदि यहाँ निबन्धकार प्रतापनारायण मिश्र का स्मरण किया जाय, तो अतिशयोक्ति न होगी – वही गम्भीर चिंतन, शब्दों का सुनियोजन, रुचिकर विश्लेषण तथा प्रत्येक स्तर पर बेहतर तालमेल इन निबन्धों को पढ़ने के उपरान्त पाठकों का भावविभोर होना स्वाभाविक है

कतिपय विचारणीय तथा निबन्धो के शीर्षक द्रष्टव्य हैं

विश्वयुद्ध का सन्देह, चुनावों में सिकुड़ता लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार आदि । शीर्षकों से ही स्पष्ट है कि लेखक की सोचने की दशा और दिशा क्या है । इन निबन्धों में न कहीं व्यर्थ की नमनीयता है, न समझौता और न ही निरर्थक बड़बोलापन। संयत तर्क, सुगम दृष्टि और शालीन अभिव्यक्ति । मुझे विश्वास है, शुक्ल जी इस कोटि के और भी निबन्ध लिखेंगे, जिनसे साहित्य का भण्डार समृद्ध होगा ।

(डॉ० मत्स्येन्द्रनाथ शुक्ल)

डॉ मत्स्येन्द्र नाथ शुक्ल

८ ए शिवपुरी
इलाहाबाद उ प्र

शुभकामना सन्देश

प्रखर चिन्तक एवं विचारक पण्डित कृपाशंकर शुक्ल की अभिनव कृति 'वैचारिकी' के विभिन्न अध्यायों को आद्योपान्त देखे जाने के उपरान्त मेरा अभिमत है कि यह पुस्तक राष्ट्र और समाज के पक्ष में लिखित एक अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें प्रासंगिक तथा गम्भीर प्रकरणों पर साधिकार सोचने और कुछ सुझाव देने का प्रयास निहित है। आज कम ही लेखक हैं, जो इतने विवादास्पद और उलझे हुए विषयों पर लिखने की कोशिश कर रहे है। साफ रास्ते से होकर निकल जाना उन्हें ज्यादा अनुकूल, सुरक्षित तथा निरापद लगता है; क्योंकि समय के अनुसार इस प्रक्रिया में उलझाव और झंझट कम है। लेखन में जोखिम न उठाना आज की संस्कृति का एक अंग है।

'वैचारिकी' मूलतः शुक्ल जी के लघु निबन्धों का संग्रह है। वे सभी सामयिक मुद्दे इसमें समाहित हैं, जिन पर वर्तमान सन्दर्भ में अपरिहार्य रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं, बल्कि कल्याणप्रद निर्णयों से साधारण पाठकों को परिचित भी कराया जाय। शुक्ल जी के निबन्ध, आकार में लघु जरूर हैं; किन्तु साधारण-जन को प्रभावित करने की इनमें अकूत क्षमता है। अभिव्यक्ति, भाषा और शैली की दृष्टि से यदि यहाँ निबन्धकार प्रतापनारायण मिश्र का स्मरण किया जाय, तो अतिशयोक्ति न होगी – वही गम्भीर चिंतन, शब्दों का सुनियोजन, रुचिकर विश्लेषण तथा प्रत्येक स्तर पर बेहतर तालमेल इन निबन्धों को पढ़ने के उपरान्त पाठकों का भावविभोर होना स्वाभाविक है।

कतिपय विचारणीय तथा उल्लेखनीय निबन्धों के शीर्षक द्रष्टव्य है। अच्छे आदर्शों की जरूरत कश्मीर में बढ़ता उग्रवाद [illegible] से उपजे

विश्वयुद्ध का सन्देह चुनावो मे सिकुडता लोकतन्त्र भ्रष्टाचार आदि शार्षको से ही स्पष्ट है कि लेखक की सोचने की दशा ओर दिशा क्या हे इन निबन्धों में न कहीं व्यर्थ की नमनीयता है, न समझौता और न ही निरर्थक बड़बोलापन। संयत तर्क, सुगम दृष्टि और शालीन अभिव्यक्ति । मुझे विश्वास है, शुक्ल जी इस कोटि के और भी निबन्ध लिखेंगे, जिनसे साहित्य का भण्डार समृद्ध होगा ।

(डॉ० मत्स्येन्द्रनाथ शुक्ल)

डॉ. मत्स्येन्द्र नाथ शुक्ल

८ ए शिवपुरी
इलाहाबाद उ प्र

शुभकामना सन्देश

प्रखर चिन्तक एवं विचारक पण्डित कृपाशंकर शुक्ल की अभिनव कृति 'वैचारिकी' के विभिन्न अध्यायों को आद्योपान्त देखे जाने के उपरान्त मेरा अभिमत है कि यह पुस्तक राष्ट्र और समाज के पक्ष में लिखित एक अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें प्रासंगिक तथा गम्भीर प्रकरणों पर साधिकार सोचने और कुछ सुझाव देने का प्रयास निहित है। आज कम ही लेखक हैं, जो इतने विवादास्पद और उलझे हुए विषयों पर लिखने की कोशिश कर रहे है। साफ रास्ते से होकर निकल जाना उन्हें ज्यादा अनुकूल, सुरक्षित तथा निरापद लगता है; क्योंकि समय के अनुसार इस प्रक्रिया में उलझाव और झंझट कम है। लेखन में जोखिम न उठाना आज की संस्कृति का एक अंग है।

'वैचारिकी' मूलतः शुक्ल जी के लघु निबन्धों का संग्रह है। वे सभी सामयिक मुद्दे इसमें समाहित हैं, जिन पर वर्तमान सन्दर्भ में अपरिहार्य रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा ही नहीं, बल्कि कल्याणप्रद निर्णयों से साधारण पाठकों को परिचित भी कराया जाय। शुक्ल जी के निबन्ध, आकार में लघु जरूर हैं; किन्तु साधारण-जन को प्रभावित करने की इनमें अकूत क्षमता है। अभिव्यक्ति, भाषा और शैली की दृष्टि से यदि यहाँ निबन्धकार प्रतापनारायण मिश्र का स्मरण किया जाय, तो अतिशयोक्ति न होगी – वही गम्भीर चिंतन, शब्दों का सुनियोजन, रुचिकर विश्लेषण तथा प्रत्येक स्तर पर बेहतर तालमेल इन निबन्धों को पढ़ने के उपरान्त पाठकों का भावविभोर होना स्वाभाविक है।

कतिपय विचारणीय तथा उल्लेखनीय निबन्धों के शीर्षक द्रष्टव्य है। अच्छे आदर्शों की जरूरत कश्मीर में बढ़ता उग्रवाद ——— से उपजे

विश्वयुद्ध का सन्देह चुनावो मे सिकुड़ता लोकतन्त्र भ्रष्टाचार आदि शीर्षको से ही स्पष्ट है कि लेखक की साचने की दशा और दिशा क्या हे इन निबन्धों में न कहीं व्यर्थ की नमनीयता है, न समझौता और न ही निरर्थक बड़बोलापन। संयत तर्क, सुगम दृष्टि और शालीन अभिव्यक्ति । मुझे विश्वास है, शुक्ल जी इस कोटि के और भी निबन्ध लिखेंगे, जिनसे साहित्य का भण्डार समृद्ध होगा ।

(डॉ० मत्स्येन्द्रनाथ शुक्ल)

सजय मोहन

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ
दिनाङ्क ४ १ २००२

सन्देश

राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्कर्ष विषयक चिन्तन अत्यावश्यक है । यही चिन्तन भविष्य में विकास की योजनाओं एवं सामाजिक सुधार के लिए आधार बनता है । श्री कृपाशंकर शुक्ल द्वारा इसी विषय पर लिखी गई पुस्तक 'वैचारिकी' एक अच्छा प्रयास है, जिसमें राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक सुधार के लिए उपयोगी विचारों का समावेश किया गया है । चिन्तको, शासकों, प्रशासकों एवं नीति-निर्धारक जनों के लिए ये विचार निश्चित रूप से उपयोगी होंगे ।

मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएँ एवं साधुवाद प्रेषित कर रहा हूँ ।

(संजय मोहन)

अचला खन्ना
सचिव

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
दिनाङ्क : २९.१२.२००१

शुभकामना सन्देश

राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्कर्ष विषयक चिन्तन आवश्यक है। यही चिन्तन भविष्य में विकास योजनाओं एवं सामाजिक सुधार के लिए आधार स्तम्भ बनता है।

भारतीय नारी भारतीयता के उज्ज्वल पक्ष से जुड़ी रह कर सबल बने, आगे बढ़े और देश के नव-निर्माण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे, यही आपकी चिन्तन-सृष्टि का सार है, जो श्लाघनीय है।

श्री कृपाशंकर शुक्ल द्वारा सृजित 'वैचारिकी' एक अच्छा प्रयास है, जिसमें राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक सुधार के लिए उपयोगी विचार प्रतिपादित किये गये हैं। चिन्तकों, शासकों, प्रशासकों एवं नीति-निर्धारकों के लिए यह विचार निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे।

'वैचारिकी' अपने उद्देश्यों में सफल हो, इस हेतु मेरी शुभकामनाएँ।

(अचला खन्ना)

अपनी बात

प्रिय स्नेही स्वजन !

मानव के मन में सबसे पहले विचार पैदा होते हैं, उन्हीं विचारों के द्वारा वह कर्म करता है । कृतित्व ही व्यक्ति को महान् बनाता है और पतन की ओर भी ले जाता है । इसलिए यह आवश्यक है कि विचार समाजोपयोगी हों और आने वाले दिनों में उन विचारों के द्वारा जो कृतित्व किया जाय, उससे अगली पीढ़ी कुछ शिक्षा ले सके ।

मानव को उसके कृतकर्मों के द्वारा ही भावी पीढ़ी याद और नमन करती है। मित्रों! इस संसार में आना-जाना तो विधि शाश्वत है, लेकिन जाने के बाद प्रतिपल नाम उन्हीं का लिया जाता है, जिनका कृतित्व वरेण्य हो और यह सब परिस्थिति, समय और वातावरण के अनुसार ही होता है । जैसे – श्रीराम, श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध, महात्मा गाँधी, विवेकानन्द, सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह इत्यादि लोगों को उनका कृतित्व ही अमर बनाया है । ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति को भी उसका कृतित्व ही महान् बनाता है ।

कृतित्व विचारों से ही बनता है; परन्तु हर व्यक्ति को महान् बनने से पहले कुछ समाज को देना होता है तथा अपने पास से उसे कुछ खोना पड़ता है । जिस प्रकार फसल को काटने से पहले बीजों को बोना आवश्यक होता है । अतः समाज की भलाई और परहित को पहले सोचना चाहिए, बाद में अपनी भलाई की बात को। व्यक्ति को महान् बनने के लिए स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है और परोपकार को ध्यान में हमेशा रखना पड़ता है, जिसकी आज समाज को नितान्त आवश्यकता है। इन्हीं सब वस्तुओं की कमी से समाज मे छीना-झपटी, मार-काट, हिंसा-अपहरण, चोरी-डकैती इत्यादि पारिवारिक स्तर

से लेकर देश और विदेश चारो ओर फैल चुका है लोभ क्रोध और अहङ्कार आदि के वातावरण से समाज दु.खी है और इसका परिणाम है कि सम्पूर्ण विश्व विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। मनुष्य की इच्छाएँ अनन्त हैं और इनकी पूर्ति कभी सम्भव नहीं है। वे एक-एक करके पूरी होती हैं और नई इच्छाएँ जागृत हो जाती हैं। इसी व्यतिक्रम में मनुष्य के जीवन का अन्त हो जाता है। अत: दुनिया में अपने कर्त्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, जिससे हम खुद भी खुशहाल रह सकते हैं और दूसरों को भी खुशहाल रख सकते हैं। मनुष्य का कृतित्व और विचार ही उसके न रहने के बाद भी जीवित रखते हैं और उसी प्रकार के कर्म भी करने चाहिए।

मित्रों! पत्रिका 'निर्भीक राष्ट्रीय पुनर्जागरण' के सम्पादन में समय-समय पर जो वातावरण, परिस्थितियाँ सामने आई हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने इस पुस्तक का सृजन किया है, जो आप लोगों के हाथों में है। आप सुधी पाठक इससे प्रभावित होकर इसके विचारों को अंशमात्र भी जीवन में आचरित करें, तो मै अपना प्रयास और परिश्रम सार्थक समझूँगा।

लखनऊ
२ अक्टूबर, २००१

कृपाशंकर शुक्ल

भूमिका

विचार इस सृष्टि का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय है। विचार से ही मनुष्य और समाज का संचालन होता है। अच्छे या बुरे विचार ही किसी व्यक्ति या समाज को अच्छा या बुरा बनाते हैं। किसी भी परिवर्तन का प्रारम्भ पहले विचारो से होता है। जैसे ही वैचारिक दृढ़ता बन जाती है, उसे कार्य में परिवर्तित होते देर नहीं लगती। कर्म के होते ही कर्मफल प्राप्त होते हैं और कर्म के फल के अनुसार ही भाग्य बनता है। इसी संचित भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं।

'निर्भीक राष्ट्रीय पुनर्जागरण' एक हिन्दी पाक्षिक पत्रिका है। इसके सम्पादक **श्री कृपाशंकर शुक्ल** ने समय-समय पर विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं। इन लेखों में निहित विचार समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन निबन्धों में न केवल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएँ लिखी गई है, अपितु उनका विश्लेषण भी किया गया है। प्रत्येक निबन्ध में लेखक ने इन समस्याओं के संभावित समाधानों के बारे में भी लिखा है। ये लेख विषय और आवश्यकता के अनुसार संक्षेप में लिखे गये हैं। संक्षिप्त होने के कारण इन्हे कम समय में आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। ये लेख अत्यन्त साधारण, सरल एवं लोक-प्रचलित भाषा में लिखे गये हैं। समाज के राजनैतिक नीति-निर्धारकों, प्रशासनिक कार्यपालकों एवं बुद्धिजीवी विचारकों आदि सभी के लिए यह संग्रह उपयोगी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों में चिन्तन-मनन, पठन-पाठन, लेखन एवं शोध करने वाले छात्रों के लिए भी यह पुस्तक संग्रहणीय है।

पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने विषयक निबन्ध में लेखक ने इस विषय पर ध्यान केन्द्रित किया है, जो एक परिवार को सुखी बनाने के लिए आवश्यक है। 'राष्ट्र निर्माण', 'आतंकवाद' आदि ऐसे विषय हैं, जिनमें एक मजबूत राष्ट्र बनाने

और देश को आतकवाद से मुक्त कराने के उपाय लिखे गये हे आतकवाद को नियत्रित करने के लिए जो रास्त बताये गये हे, वे शासको एव प्रशासको के लिए बहुत ही उपयोगी हैं । भ्रष्टाचार, जनता का शासन, अच्छे नेताओं की जरूरत एवं अच्छे आदर्शों की जरूरत आदि ऐसे निबन्ध हैं, जो भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं एक मजबूत भारत का निर्माण करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं ।

'भारत में अंग्रेजों की गुलामी के अवशेष' एक ऐसा निबन्ध है, जिसमे पूरे साम्राज्यवाद के इस देश पर पड़े हुए कुप्रभावों को चिह्नित किया गया है । 'जीने का हक' नामक निबन्ध में इस देश के आम-आदमी की मौलिक आवश्यकताओं के बारे में लिखा गया है, जो बुद्धिजीवियों के लिए विचारणीय है । पोस्ट आफिस बनते हुए प्रशासनिक कार्यालय, स्थानान्तरण, सरकारी अस्पतालों की हालत आदि ऐसे निबन्ध हैं, जिनके बारे में सभी प्रशासकों को चिन्ता करनी चाहिए । प्रशासन का सुधार अच्छी व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है ।

समाज की आर्थिक समस्याओं के बारे में कई उपयोगी एवं मार्गदर्शक लेख लिखे गये हैं, जिनमें से बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ और बेरोजगारी, हर गाँव मे बैक, लघु उद्योगों के नाम पर लूट, देश में बढ़ता पूँजीवाद एवं छोटे उद्योगो की आवश्यकता आदि लेख प्रमुख हैं, जो इस देश की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का कारण और निवारण दोनों प्रस्तुत करते हैं । राजनैतिक क्षेत्र मे जो दुर्व्यवस्था, खींच-तान और मारा-मारी चल रही है, उसका बहुत अच्छा विवरण प्रस्तुत किया गया है । उत्तर प्रदेश की राजनैतिक दुर्व्यवस्था, घोटालो का प्रदेश बिहार, जनता का शासन या गुण्डों का बोलबाला, अपराधी कब तक राज्य करेंगे, आदि ऐसे ही विचारपूर्ण लेख हैं । 'पाकिस्तान एक आतंकवादी देश', 'अमेरिका की भारत नीति' एवं 'ठाकुर साहब का चमरौटी भ्रमण' आदि ऐसे लेख हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत् मे भारत की विदेश नीति का अच्छा लेखा-

जोखा प्रस्तुत करते हैं। 'महिलाओं को हक क्यों दें', 'समाज में दहेज प्रथा का अन्त कैसे हो' एवं 'प्रेम विवाह की मान्यता कितनी जरूरी है' आदि ऐसे लेख है, जो समाज-सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए रास्ता दिखाते है।

'विषय देश प्रेम का', 'आजादी की रक्षा कैसे करें', 'आजादी को मजबूत करें' एवं 'इतिहास से सबक लें' आदि ऐसे लेख हैं, जिनको पढ़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण विचार ध्यान में आते है । 'सिकुड़ता लोकतन्त्र' नामक लेख में चुनाव व्यवस्था की कमियों और उसमे सुधार की संभावनाओं का अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । 'संविधान का नया स्वरूप' नामक लेख में कई मुद्दों को उठाया गया है, जिसमे संविधान संशोधन की आवश्यकता है ।

शिक्षा के क्षेत्र में जिन सुधारों की आवश्यकता है, उनका विवरण 'सरकारी शिक्षा पर सवालिया निशान' नामक लेख में प्रस्तुत किया गया है । पश्चिमी सभ्यता के खतरों के प्रभावों का विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से 'भारतीयो को बर्बाद कर रही पश्चिमी सभ्यता' नामक लेख में प्रस्तुत किया गया है । 'तकनीकी क्षेत्र में भारत का भविष्य' नामक लेख में देश की तकनीकी आवश्यकताओं एवं दिशाओं को इंगित किया गया है ।

लेखक ने भारतीय समाज के सभी ज्वलन्त प्रश्नों को, अपने लेखों के माध्यम से, छुआ है और विभिन्न समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत किये है। समाधानों के बारे में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन इन बातों से इस दिशा में विचार-विमर्श का एक सिलसिला अवश्य प्रारम्भ होगा । कठिनाई यह है कि हमारे देश में इस प्रकार की सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करने का मजबूत मंच नहीं है । विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रभुता-सम्पन्न लोग है, उनके स्वयं कितने निहित स्वार्थ हो गये हैं कि वे सुधार एवं परिवर्तन की बात करना नहीं चाहते । जो लोग किसी भी क्षेत्र की दुर्व्यवस्था से ग्रस्त है, वे इतने कमजोर हैं कि उनकी आवाज कोई मायने नहीं रखती है । ऐसे मे

बुद्धिजीवियो की जिम्मेदारी ओर बढ जाती हैं कि वे अम आदमी के हित को ध्यान मे रखे, ताकि निहित स्वार्थी तत्त्व उस सुधार को रोक न सके .

देश में सस्ता और त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है; परन्तु लाखो अधिवक्ताओं एवं न्याय-जगत् से जुड़े हुए लोगों का हित इसी व्यवस्था मे स्थापित हो गया है । इसलिए संसद में न्यायिक सुधारों का प्रस्ताव लाया जाता है, तो देश के वकील हड़ताल पर चले जाते हैं । जब चिकित्सा-क्षेत्र में सुधारो की बातें होती हैं, तो सारे बड़े डाक्टर मेडिकल एसोसियेशन के नाम पर अपने समुदाय के हितों की पैरवी करने लगते हैं तथा समाज के हित का ध्यान नही रखते हैं । राजनैतिक और चुनाव सम्बन्धी सुधार की जब बात उठती है, तो राजनैतिक दल ऐसे प्रस्तावों का विरोध करने लगते हैं ।

जब प्रशासनिक सुधारों की बात उठती है, तो सारे प्रशासनिक अधिकारी अपने को स्वच्छन्द बनाये रखने के लिए एकजुट हो जाते हैं । वे नहीं चाहते है कि उनकी जवाबदेही बढ़े ।

समस्या है कि समाज के हितों की बजाय अपने समूह के हितों को लोग प्राथमिकता देते हैं । इसी कारण देश की दशा ऐसी हो जाती है, जिसमें सब अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग अलापते हैं । इसके कारण संगीत नहीं, केवल शोर हो सकता है ।

सभी पूँजीपति और उद्योगपति चाहते हैं कि उनके सामानों की ज्यादा से ज्यादा कीमत उन्हें मिल सके; परन्तु उपभोक्ता चाहते हैं कि उन्हें अच्छा से अच्छा सामान सस्ता मिले । किसान अपनी पैदावार का दाम बढ़ाने के लिए आन्दोलन करते हैं । शहरी लोग अनाज महँगा होने पर हड़ताल करते है । सबने अपने-अपने वर्गीय संगठन बना रखे हैं, जिसका जितना बहुमत और पहुँच है, उसकी आवाज उतनी ही सुनी जाती है ।

संविधान में सभी धर्मों के लोगों को अपनी बात कहने और अपनी शैक्षिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार दिया गया है; परन्तु यदि हिन्दू, मुसलमान,

सिक्ख इसाई इस आजादी का दुरुपयोग करे अपने धर्म को सही बताये और अन्य सभ को गलत बताकर उनके प्रति घृणा फैलाये, तो साम्प्रदायिक झगड़ा होना निश्चित है।

आज आवश्यकता यह है कि वर्गीय या क्षेत्रीय हितों की भी सीमा बनाई जाय और देश के बृहत्तर हितों की पूर्ति के लिए सभी इकाइयाँ त्याग करें और त्याग की ये बातें देश के संविधान व कानून में निहित की जाँय। हर व्यक्ति को जनसंख्या नियन्त्रण कानून के दायरे में लाया जाय, शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाय तथा त्वरित और सस्ते न्याय के लिए परिवर्तन किये जाँय। देश एवं समाज विरोधी विचारों पर रोक लगाई जाय तथा जो काम सामाजिक हित मे नहीं हैं, उनको रोकने की प्रभावी व्यवस्था बनायी जाय।

सारे लेखों में लेखक की दृष्टि मानवतावादी, समाजवादी एवं राष्ट्रवादी चिन्तन की रही है। मेरी कामना है कि इस विचार से लोगों में एक चिन्तन का वातावरण बनेगा, उससे वैचारिक धुन्ध छटेगी और एक मजबूत राष्ट्र और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी।

वाराणसी
२ अक्टूबर, गान्धी-जयन्ती
२००१ ई०

सूर्यकुमार
पुलिस उप-महानिरीक्षक
वाराणसी-परिक्षेत्र, वाराणसी

अनुक्रमणिका

पारिवारिक जीवन सुखी बनाएँ

क्रोध

प्रायः ऐसा देखने सुनने में आया है कि क्रोध के आवेश में बड़ी-बड़ी ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जिनकी क्षतिपूर्ति फिर संभव नहीं हो पाती है। जीवन विनाश के कगार पर पहुँच जाता है। उदाहरण के तौर पर कई लोगों ने अपने पुत्र, पुत्री या सगे-सम्बन्धियों की क्रोध के आवेश में आकर हत्या कर दी है, तथा कुछ लोग क्रोध में आकर शरीर को काबू में न रखकर कुछ क्षणों के लिए पागल हो जाते हैं और अपने दिमाग का सन्तुलन खो बैठते हैं, जिससे उनका सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए यह सही कहा गया है कि– 'एक ही भूल काफी है जिन्दगी भर रुलाने के लिए'। प्रायः इस प्रकार की घटनाएँ निम्नलिखित कारणों से होती हैं —

१. अनुशासनहीनता, बतकारी, बदजबानी, व्यंग्य वाणी, बात न मानना, जिद करना।
२. चरित्र सम्बन्धी दोष आने पर।
३. लोभ के कारण बुद्धि नष्ट होने पर।
४. अहंकार आने से टकराव होने पर।
५. क्रोध में पागल होने पर।
६. अपमानित होने पर।
७. नशे के कारण।
८. शराब पीने पर।

इन परिस्थितियों में ज्ञान-शून्य होकर क्रोध के आवेश में आकर स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेता है या दूसरों की हत्या कर देता है।

क्रोध आने के कारण :– मनुष्य का क्रोध निम्नलिखित परिस्थितियो में देखा जा सकता है –

१. शरीर या मस्तिष्क का अत्यधिक थका होना।
२. व्यक्ति का भूखा या प्यासा रहना।
३. नशे के सेवन के उपरान्त।
४. काम-वासना की संतुष्टि न होने पर।
५ लम्बी बीमारी या अन्य शारीरिक कमी के कारण।

पारिवारिक जीवन सुखी बनाएँ

क्रोध

प्राय: ऐसा देखने सुनने में आया है कि क्रोध के आवेश में बड़ी-बड़ी ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जिनकी क्षतिपूर्ति फिर संभव नहीं हो पाती है। जीवन विनाश के कगार पर पहुँच जाता है। उदाहरण के तौर पर कई लोगों ने अपने पुत्र, पुत्री या सगे-सम्बन्धियों की क्रोध के आवेश में आकर हत्या कर दी है, तथा कुछ लोग क्रोध में आकर शरीर को काबू में न रखकर कुछ क्षणों के लिए पागल हो जाते हैं और अपने दिमाग का सन्तुलन खो बैठते हैं, जिससे उनका सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए यह सही कहा गया है कि– 'एक ही भूल काफी है जिन्दगी भर रुलाने के लिए'। प्राय: इस प्रकार की घटनाएँ निम्नलिखित कारणों से होती हैं —

१. अनुशासनहीनता, बतकारी, बदजबानी, व्यंग्य वाणी, बात न मानना, जिद करना।
२. चरित्र सम्बन्धी दोष आने पर।
३. लोभ के कारण बुद्धि नष्ट होने पर।
४. अहंकार आने से टकराव होने पर।
५. क्रोध में पागल होने पर।
६. अपमानित होने पर।
७. नशे के कारण।
८. शराब पीने पर।

इन परिस्थितियों में ज्ञान-शून्य होकर क्रोध के आवेश में आकर स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेता है या दूसरों की हत्या कर देता है।

क्रोध आने के कारण :– मनुष्य का क्रोध निम्नलिखित परिस्थितियों में देखा जा सकता है –

१. शरीर या मस्तिष्क का अत्यधिक थका होना।
२. व्यक्ति का भूखा या प्यासा रहना।
३. नशे के सेवन के उपरान्त।
४. काम-वासना की संतुष्टि न होने पर।
५ लम्बी बीमारी या अन्य शारीरिक कमी के कारण।

क्रोध निवारण के उपाय :– मन ही मन यह संकल्प कीजिए कि क्रोध पर हम काबू पाकर ही रहेंगे। जैसे ही क्रोध के लक्षण आपको दिखें, तो आप इन कार्यों को तुरन्त कीजिए –

१. एक गिलास ठण्डा जल का सेवन करें।

२. विषय को बदलने की कोशिश कीजिए।

३. उस स्थान को छोड़कर हट जाइए।

४. अपने ध्यान को अन्यत्र केन्द्रित करने का प्रयास करें।

५. अपने श्वास की गति में थोड़ी तेजी लाइए तथा अपने श्वास-प्रश्वास पर भी ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास कीजिए।

प्रतिक्रिया के बीच के समय को आप टालें तथा परिवार के लोगों से सदैव विनम्रता का व्यवहार करें। जब भी क्रोध उत्पन्न हो, तुरन्त शीतल जल का सेवन करे, इससे मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। जब क्रोध अधिक आये, तो उस समय और बातचीत करने या कोई अन्य निर्णय लेने के बजाय अपने स्थान को परिवर्तित कर दें।

अपने को अच्छा कैसे बनाएँ

आपके सफल एवं सार्थक जीवन के लिए आवश्यक है कि आप की छवि अच्छी रहे और लोग आपको अच्छा समझें, आप में आत्म-गौरव रहे; परन्तु यह इस पर निर्भर करता है कि आपका लोगों के प्रति व्यवहार, जीवन दर्पण एवं नैतिक चेतना कैसी है। जिन लोगों की छवि अच्छी है, उन्हें समाज में सम्मान एवं विश्वास के साथ स्वीकार किया जाता है; लेकिन ऐसा तब होगा, जब आप अपना वादा और दिया हुआ वचन निभायें। लोगों से बात करें, लेकिन उनके बारे में बात न करे। यदि कोई गलती हो भी जाय, तो उसमें बहानेबाजी न करें और न ही दूसरों को दोषी ठहरायें। गलती को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना श्रेयस्कर है। अफवाहें फैलाने या षड्यन्त्र करने से दूर रहें। यदि आपके कर्मचारी, मित्र या परिवार के लोग कोई गलती कर भी डालें, तो अपने हिस्से की गलती को सहज स्वीकार कर लें। किसी पर अनुचित आक्रमण हो रहा हो, तो यथासम्भव उसकी रक्षा करें। किसी कार्य को करने में आपको सन्देह उत्पन्न हो, तो अपनी अन्तरात्मा से ही पूछ लें।

राष्ट्र निर्माण में अनुसन्धान की

जिस प्रकार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विषयों पर शोध-कार्य होते रहते हैं, उसी प्रकार देश को मजबूत बनाने और सामाजिक सौहार्द्र पैदा करने के लिए शोध-छात्रों द्वारा सुनियोजित ढंग से शोध-कार्य करने की आवश्यकता है । विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं सामान्य विज्ञान आदि विषयों में पढ़ने और पढ़ाने वालों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, उसके किसी न किसी हिस्से में आतंकवाद का समस्या बनी रही है । नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, पश्चिम-बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर इस समस्या के शिकार हो चुके है। देश के कई भागों में साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं । हिन्दू-मुसलमान और कभी हिन्दू-ईसाई, कभी शिया-सुन्नी, कभी आसामी और गैर आसामी लोगों के बीच झगड़े हो चुके हैं; इस प्रकार के झगड़ों से देश कमजोर होता है, आर्थिक प्रगति रुकती है, लोगों में आपसी प्रेम घटता है और दुश्मनी बढ़ जाती है ।

बहुत हद तक इस बात के लिए राजनैतिक दल भी जिम्मेदार हैं, जो चुनाव भले जीत जाँय; लेकिन देश कमजोर हो जाता है । इसी प्रकार कई लोग एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों के विरुद्ध भड़काते हैं, एक बिरादरी को विशेष सुविधा देने और आगे बढ़ाने का वादा करते हैं । इससे सामाजिक एकता कमजोर होती है, गाँवों और मोहल्ले-मोहल्ले में पार्टीबन्दी बढ़ती है । इन्हीं कारणों से हत्या और बलवा जैसे बहुत से अपराध होते हैं, जिससे गाँव का माहौल दूषित होता है। संसद में इस प्रकार का विचार-विमर्श होना चाहिए । चुनाव आयोग और न्यायपालिका द्वारा इस प्रकार का नियम बनाना चाहिए कि कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए किसी वर्ग, धर्म, जाति के बीच भेद-भाव पैदा करने वाली कोई बात न करे, वरना उसका चुनाव निरस्त कर दिया जायेगा ।

ग्राम प्रधान से लेकर विधायक एवं सांसद के चुनाव तक में लोगों में इतनी गुटबन्दी बढ़ जाती है कि उसकी वजह से बाद में भी हिंसा और कटुता का —— बना रहता है ' प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था का यह प्रभाव पडेगा ऐसा

शायद किसी ने सोचा नहीं था अब जब यह समस्या आ ही गयी है तो होना यह चाहिए कि ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख एवं जिला प्रशासन व न्यायपालिका के अध्यक्ष के चुनाव में केवल एक व्यक्ति का चुनाव न किया जाय, बल्कि हर क्षेत्र से पाँच व्यक्तियों की समिति का चुनाव हो और चुनाव भी राजनीतिक दलों के आधार पर न होकर व्यक्तियों के कार्य के आधार पर हो। पाँच व्यक्तियों की समिति मिलकर गाँव, नगर, कस्बे, क्षेत्र या जिले का प्रशासन चलाये और पाँचों सदस्य क्रम से दो-दो महीने के लिए बैठक की अध्यक्षता करें। इससे एक ओर जहाँ कटुता कम होगी, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केन्द्रित होने और उसके भ्रष्टाचार करने की सम्भावना में भी कमी आयेगी।

इसी प्रकार इस विषय पर भी अनुसन्धान किया जाना चाहिए कि हम अपने देश की संसद और विधानसभाओं को कैसे और उपयोगी तथा प्रभावी बनाये। सांसद या विधायक अपने-अपने क्षेत्र का दुखड़ा रोते रहें और निर्णय कोई न हो पाये, इसके लिए छोटे-छोटे प्रदेश बनाये जाने की आवश्यकता है। इस पर भी शोध होना चाहिए कि केन्द्र और प्रदेश सरकार के पास कोई कार्य या अधिकार क्यो केन्द्रित किया जा रहा है, क्या जनपद, ब्लाक अथवा ग्राम स्तर पर उसमें निर्णय और कार्य नहीं हो सकता ? सच्चे प्रजातन्त्र के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार वे बातें, जिससे लोगों में पारम्परिक प्रेम कम होता है एवं कटुता बढती है, उन मामलों का भी पता लगाया जाना चाहिए और फिर शासन-प्रशासन द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सामाजिक सौहार्द्र बढ़े। पक्षपात और धार्मिक एवं जातीय संगठन भी समाज को कमजोर करते हैं। ये संगठन पहले तो अपने सदस्यों के कल्याण की बातें करते हैं, बाद में दूसरे से प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या करने लगते हैं, अतः इन्हें भी निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

भारत में अंग्रेजों की गुलामी के अवशेष

भारत क बुद्धिजावियां मे चर्चा हाता है कि अग्रजो का लगभग १०० साल की गुलामी बर्दाश्त करने के बावजूद अपने देश में बहुत-सी ऐसी चीजें हैं, जिनमे अभी भी गुलामी के अवशेष मौजूद हैं। देश के सम्यक् विकास एवं पुनरुत्थान के लिए यह आवश्यक है कि देश की संस्कृति एवं इतिहास में जो चीजें उल्लेखनीय एव गौरवशाली रही हैं, उनको और आगे बढ़ाया जाय एवं पुनर्जीवित किया जाय। इसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में जो ऐसे मूल्य एवं व्यवस्थाएँ देश पर विदेशी शासन होने के कारण लाद दी गई थीं, उन्हें समाप्त और संशोधित किया जाय। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मूल्यों एवं संस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है —

भाषा एवं वेशभूषा :– हर राष्ट्र के इतिहास, भूगोल एवं संस्कृति के अनुसार भाषा में शब्दों, मुहावरों, विशेषणों, कहावतों एवं उपाधियों का सृजन होता है। विदेशी शब्दों की कहावतें एवं अवधारणाएँ भिन्न प्रकार की होती हैं। बहुत ऐसे भाव हैं, जिनका अंग्रेजी भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे संस्कार, जीवनधर्म, निर्वाण, यज्ञ, पाणिग्रहण, उपनयन, कुल, देश आदि। अंग्रेजी भाषा में उन पारम्परिक भारतीय संस्कारों, विचारों, मूल्यों एवं जीवनदर्शन के लिए सही शब्द नहीं मिल पाते, जिसके कारण भारतीय समाज अपने इतिहास एवं संस्कृति से कटता जा रहा है। प्रयास करके भी लोग अंग्रेजी भाषा में उतने दक्ष नहीं हो पा रहे है, जितने कि अपनी मातृभाषा बोलकर। साथ ही विदेशी भाषा को अपनाने मे वे अपनी भाषा से जुड़े हुए मूल्यों एवं परिवेश से कटते जा रहे हैं।

विदेशी भाषा को अपनाने में जो मानसिक बोझ उत्पन्न होता है, उसके कारण बहुत से लोगों में हीनभावना घर कर लेती है। इसलिए भारतीय भाषाओं का विकास होना अत्यावश्यक है और यह तभी सम्भव है, जब हम अपनी न्यायिक, प्रशासनिक व्यवस्था, अध्ययन एवं अनुसन्धान में भी अपनी भाषा का प्रयोग करें। भारतीय भाषा का विकास हो जाता किन्तु लकीर के फकीर की तरह ही आज भी सरकारी

कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए वर्दी निर्धारित है, इसमें कुर्ता धोती, पायजामा, सदरी और पगड़ी की जगह पर कोट, पैण्ट, बन्द गले का कोट, जैकेट आदि को सरकारी तौर पर राजकीय वर्दी घोषित किया गया है। भारत जैसे गर्म देश में गर्मी के मौसम में कोट, पैण्ट, ट्यूनिक आदि की अनिवार्यता तुरन्त समाप्त की जानी चाहिए। अतः गर्म देश में निर्धारित वर्दी का जो प्रावधान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, उसे तुरन्त हटाकर उसका भारतीयकरण करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

न्याय-व्यवस्था : — जो न्याय-व्यवस्था ब्रिटिश काल से हमारे देश में शुरु की गई है, पचास सालों के अनुभव ने यह साबित कर दिया है कि इस न्याय-व्यवस्था से न तो सारे भारतीय नागरिकों को न्याय ही मिल पायेगा, न ही निर्धारित समय के अन्दर मिल पायेगा। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली ब्रिटेन जैसे सीमित छोटी सी आबादी वाले देश के लिए ठीक थी, जहाँ एक उच्चतम न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों से कार्य चल सकता था; किन्तु भारत जैसे विशाल देश के लिए अलग संस्कार, मूल्य, विवाह पद्धतियाँ एवं आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर यह सामान्य न्याय प्रणाली सबको न्याय देने में अक्षम है। अभी भी प्रत्येक ग्राम पंचायत पर न्यायालय की स्थापना नहीं हो पाई है। हर आदमी को छोटे से अपराध अथवा दीवानी मामले के विवाद के लिए भाग-भाग कर जिला मुख्यालय के न्यायालय में आना पड़ता है। कहीं-कहीं पर तहसील मुख्यालय में एक जूनियर न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य करने लगे हैं; लेकिन ये भी आम जनता से दस से तीस किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं।

हमारी आवश्यकता तो यह है कि जिस प्रकार प्राचीन भारत में हर ग्राम-पचायत में पंचों का चुनाव हो जाता था और पंच ऐसे व्यक्ति होते थे, जो क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा, निष्पक्षता और सामाजिक निष्ठा के लिए मशहूर हुआ करते थे। वे गॉव के सभी विवादों का गाँव में ही हल कर दिया करते थे। ब्रिटेन न्याय-व्यवस्था से एक ओर बहुत मध्यस्थ वर्ग वकील का जन्म हुआ, जो ब्रिटिश काल में तो मुख्य रूप से भाषाई रूपान्तर करने के लिए अंग्रेज जजों और भारतीय जनता के बीच स्थापित किये गये थे और आज बहुत से बेरोजगार लडको के लिए वकील बन जाना

सबसे आसान काम दिखता है । आपराधिक न्याय-प्रणाली की तो इस व्यवस्था ने बिलकुल जड़ ही काटकर रख दिया है। समाज में अपराध और माफिया किस्म के लोग फल-फूल रहे हैं और राजनैतिक दोस्तों के माध्यम से अपराधी प्रभावशाली होते जा रहे हैं। पक्ष-विपक्ष दोनों से कई-कई वर्षों तक हर तारीख पर पैसे वसूलना बहुत से वकीलों का काम बन गया है। वे न्याय कराने में कम, लटकाने में अधिक रुचि लेते हैं, जिससे उनकी आमदनी होती रहे।

प्रशासनिक व्यवस्था– ब्रिटिशराज ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सबसे अच्छा समझते हुए भारत में प्रशासनिक व पुलिस व्यवस्था का ढाँचा खडा किया था; परन्तु इस देश की भौगोलिक रूप में जो लम्बाई-चौड़ाई है, जो मनुष्य का स्वभाव है, वर्तमान में पर्यवेक्षण की जो व्यवस्था है, उसके अनुरूप यह व्यवस्था ठीक नहीं है । इसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के पचास सालों में जगह-जगह अव्यवस्था का बोलबाला दिखाई देने लगा है । अंग्रेजों ने जब प्रशासनिक ढॉचा खडा किया, तो उसके शीर्षस्थ स्थान पर अंग्रेजों को नियुक्त किया गया था और उनके मातहत भारतीय अधिकारियों एवं बाबुओं को नियुक्त किया गया था ।

प्रत्येक वर्ष अंग्रेज अधिकारी हर भारतीय अधिकारी और कर्मचारी के बारे मे गोपनीय मन्तव्य लिखा करता था, जिसके आधार पर वे अधीनस्थ कर्मियों को वेतन, भत्ते, प्रोन्नति देने और स्थानान्तरण करने आदि का निर्णय लिया करते थे । इस व्यवस्था में सबसे अहम् बात यह थी कि हर मातहत अपने ऊपर के अधिकारी को खुश रखने का प्रयास करता था, जिससे उसकी प्रोन्नति जल्दी तथा स्थानान्तरण कम हो । आजादी के बाद भी देश के नेताओं ने यही प्रक्रिया कार्यान्वित रखी, क्योंकि मालिकों की व्यवस्था के आगे गुलामी के कारण वे अपनी सारी प्रशासनिक परम्पराओं और व्यवस्थाओं को भूल चुके थे । अनुभव के बाद स्वयं अंग्रेजों ने भी अपनी इस व्यवस्था को बदल डाला; परन्तु हम अभी भी उसी से चिपके हुए है ।

अच्छे आदर्शों की जरूरत

देश को विकसित और सुसंगठित बनाने के लिए हमें आवश्यकता है -- अच्छे नमूनों और आदर्शों की, जिनको पढ़कर, सुनकर और देखकर देश के नौजवान अच्छी प्रेरणा ले सकें । अफसोस की बात है कि आजकल हमारे समाज में जीते-जागते आदर्शों की बहुत कमी हो गई है; लेकिन हमारा इतिहास ऐसे दृष्टान्तों से भरा पड़ा है, जिन पर गौरव महसूस कर सकते हैं । भगवान् शङ्कर ने जनकल्याण के लिए समुद्र से निकला हुआ सारा जहर स्वयं पी लिया था । देवासुर संग्राम में आसुरी प्रवृत्ति पर दैवी प्रवृत्ति की जीत के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियों का स्वेच्छा से दान कर दिया था । राजा हरिश्चन्द्र ने सत्य की मर्यादा रखने के लिए अपने राजपाट का त्याग करके बनारस में श्मशान पर नौकरी की थी ।

हमारे प्राचीन इतिहास में राजा दशरथ जैसे सम्राट् हुए, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए जान दे दी; लेकिन वचन नहीं तोड़ा । ऐसे दृढ़प्रतिज्ञ लोग समाज को मजबूत बनाते रहे । इसी प्रकार बालक ध्रुव का उदाहरण है कि अपने दृढ़ निश्चय से डिगा नहीं । अगस्त्य ऋषि अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि समुद्र लाँघ कर दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया । साधनों की कमी के बावजूद आर्यभट्ट जैसे खगोलशास्त्री, चरक और धन्वन्तरि जैसे वैद्य कहाँ मिलेंगे? राजा राम ने राजतन्त्र में जनता की संवेदना महसूस करते हुए अपनी प्रियतमा पत्नी सीता का भी परित्याग कर दिया था ।

आज के राजनैतिक और प्रशासनिक लोगों का जीवन आदर्श राजाओं की जीवन-शैली से कितना भिन्न है । अपने राज्य के गौरव, राष्ट्र के सम्मान और सेना की क्षमता को बनाए रखने के लिए राजा रणजीत सिंह ने काबुल तक अपनी सत्ता का प्रसार किया था । सम्राट् अशोक, चन्द्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारतीय शासन-व्यवस्था को अत्यधिक सुसंगठित और विकसित किया गया था। आज हमें ऐसे योग्य शासकों की जरूरत है, जो सम्राट् अशोक, शेरशाह सूरी और अकबर की तरह जन-कल्याण की भावना से पूरी योग्यता के साथ देश का शासन चला सकें । लार्ड विलियम बेन्टिक, स्वामी दयानन्द सरस्वती एवं स्वामी विवेकानन्द की तरह लोगों में समाज को सुधारने की अटूट लगन हो । जिस तरह सम्राट अशोक

न बौद्ध धर्म का प्रचार किया था उस उत्साह और विश्वास के साथ आज लोकतान्त्रिक और सामाजिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है । बादशाह नसीरुद्दीन शाह के बारे में मशहूर है कि वे टोपियाँ सिलकर अपना निजी खर्च चलाते थे, ताकि सरकारी खजाने का दुरुपयोग न हो । आज हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है । लार्ड बेन्टिक ने जिस तरह स्त्री शिक्षा के विकास और सती प्रथा का अन्त करने के लिए कार्य किया था, हमें वैसे समाज-सुधारकों की जरूरत है । महात्मा गाँधी ने जिस प्रकार सादगीपूर्ण जीवन बिताते हुए समाज-सेवा का कार्य किया था, सत्य, अहिंसा और धर्म में आस्था के साथ-साथ जिस प्रकार उन्होंने साम्राज्यवादी और तानाशाही अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष किया था, वह हम सबके लिए प्रेरणा की बात हैं ।

लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने जिस प्रकार पत्रकारिता का उपयोग जन चेतना को जगाने के लिए किया था, वैसे आदर्श हमारे देश के पत्रकारो के सामने होने चाहिए । सुभाष चन्द्र बोस ने देशप्रेम के नाम पर जिस ढंग से साधन-विहीन लोगों को आजाद हिन्द फौज के रूप में संगठित कर दिया था, वह भी योग्यता, कर्मठता और देशभक्ति की अनूठी मिसाल है । श्री विश्वेश्वरय्या ने अभियान्त्रिकी के क्षेत्र में जो अपूर्व योगदान दिया था, वह कार्य हमारे देश के इंजीनियरों के लिए आदर्श की बात होनी चाहिए ।

जनता की भाषा में अत्यन्त सरल और सुलभ साहित्य रचना द्वारा सत तुलसीदास, कबीरदास एवं मुंशी प्रेमचन्द्र ने भारतीय समाज को जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए वे भी प्रशंसा के पात्र हैं । भगवान् श्रीकृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस प्रकार अत्याचार के प्रतीक कंस और रावण का वध किया था, उसके लिए वह समाज में सदैव पूजे जाते रहेंगे । जिस दूरदर्शिता, बहादुरी और कूटनीति से श्रीमती इन्दिरा गाँधी, फील्डमार्शल मानेक शाह एवं लेफ्टिनेण्ट जनरल जगजीत सिह अरोड़ा ने बहुत कम समय में एक लाख पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण कराकर बंगलादेश का निर्माण कराया था, वह भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है ।

श्री मोरारजी देसाई जैसे प्रधानमन्त्री में इतना नैतिक बल था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि वे मूत्र चिकित्सा में विश्वास रखते है । विवादित बात होते हुए भी सत्य में उनकी गहरी आस्था की बात इससे प्रकट होती है दक्षिण भारत के निवसी होते हुए भी जिस प्रकार से चक्रवर्ती राज गोपालाचारी

आर के० कामराज ने उत्तर भारत के राजनैतिक नेताओं के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया था, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह बात बेहद प्रशंसनीय है। मनोज कुमार और कवि प्रदीप ने जिस प्रकार देशभक्तिपूर्ण फिल्में बनाकर और गीत लिखकर लोगों में देश-प्रेम की भावना जगायी, उससे देश की नयी पीढ़ी में अच्छी भावना जागी है।

लाल बहादुर शास्त्री ने देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए, जिस प्रकार सादगी का जीवन अपनाया और विषम परिस्थितियों में 'जय जवान, जय किसान' का नारा देकर देश का नेतृत्व किया, वह भी देश के लिए प्रशंसा का विषय है। भारतीय फौजों और सशस्त्र बलों ने देश की अखण्डता की रक्षा करने के लिए जो तमाम कुर्बानियाँ दी हैं, उसी की वजह से आज भारत एक अखण्ड राष्ट्र के रूप में विद्यमान है। श्री जे० एफ० रिबेरी और के० पी० एस० गिल जैसे पुलिस अधिकारी की कर्मठता और राष्ट्र भक्ति के कारण ही पंजाब के आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सका। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजसेवियों के कार्यों और बातो से भारतीय समाज को अच्छी मजबूती और ख्याति मिली है।

आज हमें फिर राजा राममोहन राय जैसे समाजसेवी और कर्मठ लोगों की आवश्यकता है, जो कुप्रथाओं और रूढ़ियों को समाज से निकालकर विकास के रास्ते पर ले जा सकें। साथ ही जे. आर. डी. टाटा जैसे उद्योगपतियों की जरूरत है, जिन्होंने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये थे, साथ ही टी. एन. शेषन जैसे दृढ़निश्चयी चुनाव सुधारक, वीर अब्दुल हमीद जैसे बहादुर जवान भी हमें चाहिये। डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, जिनके प्रयास से भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न हो सका। श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी इसके लिए याद किये जायेंगे कि उन्होंने पोखरन मे परमाणु बम का परीक्षण करने का साहस जुटाया, जबकि सारी दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें इसके विरोध में थीं। आज हमें फिर गुरु गोविन्द सिंह जैसे बहादुर सामाजिक राष्ट्र नेताओं की आवश्यकता है, जो देश के लोगों मे नया आत्मविश्वास, नयी स्फूर्ति और नयी शक्ति भर सकें, ताकि देश का सर्वमुखी और सर्वांगीण विकास हो सके।

आतंकवाद

(क) कश्मीर में बढ़ता उग्रवाद

हाल में ही अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों एवं कई अन्य निर्दोष लोगो की जिस तरह आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई, उससे सारे देश के लोगो मे सार्वजनिक व्यवस्था, स्थिति और शासन के प्रति क्षोभ की भावना उत्पन्न हुई। इस तरह की गतिविधियों से आतंकवादियों का हौसला बुलन्द हुआ है। देश की जनता के प्रति शासन और प्रशासन की यह पहली जिम्मेदारी है कि वह देश की रक्षा करे और नागरिकों के जान-माल की हिफाजत करे; परन्तु बहुत दुःख की बात यह है कि कई सालों से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ जारी हैं। यह भी निश्चित है कि अपराधियों और उग्रवादियों से वार्ता करने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। जब भारत सरकार ने हिजबुल मुजाहिद्दीन को वार्ता के लिए बुलाया, तो उन्होंने पाकिस्तान को ही बातचीत में शामिल करने की माँग कर दी। राष्ट्रीय सुरक्षा के इन सवालों का जबाब शान्ति वार्ताओं से निकलने वाला नहीं है।

लगातार आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भेजने का जो काम पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, यह भी सारी दुनिया को मालूम हो चुका है, पंजाब की समस्या का भी हल तभी हो पाया, जब छाँट-छाँट कर आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले अधिकारी, प्रशासन और पुलिस से हटा दिये गये तथा दृढ़ता से जो लोग आतंकवाद के विरुद्ध खड़े थे, उन्होंने आतंकवाद का खात्मा किया था। कश्मीर के शासन, प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका में अभी भी बहुत से ऐसे लोग है, जिनकी सहानुभूति उग्रवादियों के साथ है। ऐसी हालत में यह दोहरी बात कभी सफल नहीं हो सकती कि लोकतन्त्र बनाये रखने के नाम पर एक ओर हम आतंकवादी मददगारों को शासन, प्रशासन में रहने दें और दूसरी ओर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कोशिश भी करते रहें।

इस समस्या को राष्ट्रीय हित में नियंत्रित करना बेहद जरूरी हो गया है, वरना आतंकवाद से ग्रस्त कश्मीर, भारत के लिए नासूर बन जायेगा। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी रूप से केन्द्रीय पुलिस बलों और फौज की इकाइयों को बसा देना चाहिए। आतंकवाद का खात्मा तभी सम्भव है, जब स्थानीय लोगों को ही इस काम के लिए अच्छा वेतन पुरस्कार और भत्ते देकर लगाया जाय। प्रायः फौज के लोग

अपेक्षित सख्ती तो कर देते हैं; परन्तु कई निर्दोष लोगों के मारे जाने से सारी स्थानीय जनता फौज के खिलाफ हो जाया करती है, इसलिए स्थानीय पुलिस को केन्द्रीय पुलिस बलों और फौज के साथ मिलाकर इस काम में लग जाना चाहिए ।

सीमा पार से जो आतंकवादी प्रशिक्षित होकर आ रहे हैं, जासूसी संस्थाओं के माध्यम से उन सबको ध्वस्त कर दिया जाना अति आवश्यक है । जो नामी गिरामी आतंकवादी हैं, उनको पकड़वाने या उनका सफाया करने के लिए भारी ईनाम घोषित किया जाना चाहिए । साथ ही प्रचार तन्त्र को मजबूत करके शासन, प्रशासन द्वारा किये जाने वाले जनहितकारी कामों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए । इस कार्य के लिए भारी धन-जन और उच्च मनोबल की आवश्यकता है । देश के लोग शासन की ओर इसके लिए निहार रहे हैं । हमें आज फिर किसी दूसरे जे० एफ० रिबेरी या के० पी० एस० गिल की जरूरत है, जो पूरी दृढ़ता, निश्चय और शासन के सक्रिय सहयोग से प्रदेश की एकता को बचाकर रख सकें । वहाँ के बेरोजगार नव-युवको के लिए काम देने की योजनायें चलाने की भी भारी आवश्यकता है, ताकि निराश होकर लोग आतंकवाद की ओर न मुड़ जाँय ।

(ख) आतंकवाद में जलता कश्मीर

कश्मीर में आतंकवाद की आग लगे काफी साल गुजर गये; लेकिन ऐसा लगता नहीं कि देश की रक्षा के लिये जिम्मेदार लोगों को कोई ऐसा रास्ता दिखाई पडा हो कि वे समस्या का कोई समाधान निकाल सकें । कोई रोना रोता है कि भाडे के विदेशी आतंकवादी घुसे चले आ रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं, अब पूछिये कि आपको क्या किसी ने रोका है कि अगर भाड़े के सैनिक इतने कारगर हों, तो आप भी भाड़े के सैनिक क्यों नहीं रख लेते । अगर महीने की तनख्वाह पाने वाले सैनिक के बजाय भाड़े वाले ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो आप भी भाड़े या ठेके पर आतंकवादियों को मारने का काम क्यों नहीं करा देते। कुछ दूसरे लोग फरमाते हैं कि आई. एस. आई. सब गड़बड़ करते रहे हैं, प्रशिक्षण शिबिर लगा दे रहे हैं, ट्रेनिग देकर गुरिल्लों को भेज रहे हैं, तो क्या आपको किसी ने रोका है कि आप ट्रेनिग देकर गुरिल्लों को न भेजिये । कोई आप से पूछे कि आपने कितने ट्रेनिंग कैम्प बर्बाद कराये, आपने आई. एस. आई. के कितने एजेन्टों का पता लगवाया, देश की रक्षा के लिए जो रणनीति सबसे अच्छी हो, उसे आप क्यों नहीं अपना लिये हैं, क्या देश की रक्षा के ऊपर दूसरा कोई और सिद्धान्त काम में बाधक बन रहा है धारा ३७० की वजह से बाकी हिन्दुस्तान के लोग कश्मीर जाकर बस नही सकते वहा जमीन

नहीं ले सकते; लेकिन आज भी तमाम नेता और राजनीतिक दल अपनी मूर्खतापूर्ण जिद्द पर अड़े हैं कि ३७० न खत्म किया जाय, चाहे कश्मीर जलकर स्वाहा हो जाय। केवल फौज लगा देने से गुरिल्ला छापामारों पर कभी विजय नहीं पाई गयी है, काँटे निकालने के लिये गोली नहीं मारी जाती, काँटे से काँटा निकलता है । अभी हाल में ३५ सिखों को एक दिन में आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया, ऐसे जैसे आदमी न हुए, कोई भेड़-बकरियाँ हों ।

शान्ति के पुजारी बने हिन्दुस्तान के लोग कब तक यह अत्याचार बर्दाश्त करेंगे ? लगता है सचमुच गुलामी के लम्बे इतिहास के कारण अत्याचार सहने के हम बड़े आदी हो गये हैं । इसका हाल यही है कि जिस तरह पाकिस्तान पैसे के बल पर स्थानीय लोगों को एजेन्ट बनाकर वारदातें कराता है, उसी तरह पैसे के बल पर पाकिस्तान और सीमावर्ती लोगों को काम के ठेके देकर आतंकवादियों का सफाया कराया जाय ।

ट्रेनिंग कैम्पों को उड़वा दिया जाय, धारा-३७० को खत्म करके लोगों को कश्मीर में बसने की इजाजत दी जाय, भारत के दूसरे भागों की फौज और अन्य सशस्त्र बलों के बटालियनों को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी रूप से बसा दिया जाय, स्कूलों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति के पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से शामिल किये जॉय, कट्टरपंथी और देशविरोधी लोग नवयुवकों के मन में जो जहर धार्मिक छूट के नाम पर भर रहे हैं, उस पर रोक लगायी जाय । आतंकवादियों को नियंत्रित करने मे जितना कारगर वहाँ के स्थानीय लोग हो सकते हैं, उतना बाहर के नहीं हो सकते। जो करोड़ों रूपया तनख्वाहों के रूप में जा रहा है, उससे बहुत कम में आतंकवाद पर नियंत्रण भाड़े के सिपाही कर देंगे, बशर्ते कि भुगतान काम के आधार पर हो, महीने की दर पर नहीं ।

(ग) बढ़ता आतंकवाद

भारतीय वायुयान के अपहरण की जो घटना हुई और जिस तरह से आठ दिन तक पूरा देश शर्मनाक तमाशे को देखता रहा, वह सारे भारतीय नागरिकों के लिए दुःखदायी विषय रहा । भारत के इतिहास में चंगेज खाँ, नादिरशाह और मुहम्मद गोरी जैसे हमलावर इसी तरह आ करके लूटपाट करते रहे हैं और सारा देश बार-बार लुटकर भी कभी भी एकजुट होकर उन्हें परास्त नहीं कर सका । केवल राजा रणजीत सिंह का एक उदाहरण मिलता है, जो लाहौर, काबुल और गान्धार तक अपने सैन्य बल के आधार पर एकछत्र राज्य स्थापित किये थे ।

यह गुलाम देश कमजोर लोगो और रोगी समाज का लक्षण है कि बार बार

अपमानित किया जाय, फिर भी उसमें राष्ट्रगौरव और स्वाभिमान न जागृत हो। पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं, जिन्होंने हजारों लोगों की कश्मीर मे हत्या कराई है और इसके बावजूद हमारे देश के राजदूत पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान के राजदूत नई दिल्ली में बैठे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियो के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और हम और हमारी सरकार सारी दुनिया के सामने चिल्ला-चिल्लाकर, रो-रोकर इस बात को कहते रहे हैं, कभी दिल्ली में बम फूटता है, तो कभी बम्बई में, आई. एस. आई. के नाम पर हमारा बेवा-विलाप जारी है, सौ करोड़ लोगों का देश और परमाणु शक्ति से सम्पन्न यह राष्ट्र इस प्रकार से असहाय दिखाई पड़ता है, जैसे देश में पराक्रमी लोगों का अकाल पड़ गया है, हमारी संस्कृति का आदर्श तो यह बतलाया गया है कि रोज-रोज अपमानित होकर जीने के बजाय एक दिन वीरगति को प्राप्त हो जाना श्रेयस्कर है।

हमारे प्रधानमन्त्री सारी दुनिया से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया जाय। उन्होंने आठ दिन तक यह उम्मीद बनाये रखी कि शायद यूरोप, अमेरिका और अन्य इस्लामी देश अपने दबाव बनाकर तालिबानो के कब्जे से अपहरण किये गये हवाई जहाज को छुड़वा लेंगे, कई लोग इस गलत-फहमी में भी रहे कि तालिबान भारत के बहुत शुभचिंतक मालूम पड़ रहे हैं, उन्हे यह नहीं मालूम कि धार्मिक मद में अन्धे होकर ये लोग कश्मीर को भारत से अलग करने पर आमादा हैं। पाकिस्तान में वही शासक सफल होता है, जो भारत का लगातार विरोध करता है। जरूरत इस बात की है कि अब हम कुछ करके दिखाये, अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन और पाकिस्तानी आतंकवादी अड्डों को बर्बाद करना ही होगा। पिछले बीस सालों से पाकिस्तान द्वारा लगातार जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इसके लिये उन्हें दंडित किया ही जाना चाहिये, रोज-रोज की इस किच-किच से अच्छा है कि एक बार निर्णायक युद्ध करके पाकिस्तान को दो तीन टुकड़ों मे विभाजित कर दिया जाय, ताकि कभी वह भारत जैसे विशाल राष्ट्र को परेशान करने जैसी बात को सोच न सके। सबसे पहले पाकिस्तान के परमाणु संयन्त्रों को बर्बाद करना होगा, उसके बाद कराँची में मुजाहिदों को वहाँ के शासकों के अत्याचार से मुक्त कराकर सिन्ध को अलग राष्ट्र बनाया जाना चाहिये, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने दबा रखा है, उसको शक्ति और बलिदानों से हमने अर्जित किया था। यह देखकर हम रोज-रोज की शर्म झेलने के बजाय सुनियोजित होकर शत्रु से युद्ध झेलकर राष्ट्र को समृद्ध करें।

●

पाक आतंकवादी देश तो है ही

कारगिल मसले पर भारत ने जिस नीति का वरण किया, इससे आज हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊँचा हुआ है। यह नीति थी 'शठे शाठ्यं समाचरेत्।' मैंने इसी स्थान पर लिखा था कि 'खल संग विनय कुटिल संग प्रीति अब और नहीं'। हमारी सरकार ने ठीक वैसा ही किया। भारत ने कारगिल क्षेत्र से एक-एक घुसपैठियों को वापस निकालने या निकलने से पूर्व कोई सुलह-समझौता वार्ता करने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। अपनी उस घोषणा पर अटल रहने का ही परिणाम रहा कि पाकिस्तान आज सारी दुनिया में अकेला पड़ गया। उसकी वही गति हुई, जो कभी जयन्त की हुई थी। सीता का अपमान कर भागे हुए जयन्त की ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी ने भी रक्षा नहीं की।

पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ भी चीन, अमेरिका, ब्रिटेन तक घूम आये, पर हर किसी ने यही कहा कि तुम्हें पहले अपने सैनिकों, घुसपैठियों को भारत की उस जमीन से वापस बुलाना होगा, जहाँ तुमने अतिक्रमण किया है। जयन्त की ही तरह पाक प्रधानमन्त्री शरीफ अब यह एहसास करने लगे हैं कि भारत के अभयदान के बिना अब हमारी रक्षा का और कोई विकल्प नहीं; परन्तु नवाज शरीफ की मजबूरी है कि वह किस मुँह से उन सैनिकों-घुसपैठियों को वापस आने को कहे, जिन्हें उन्होंने भारतीय सीमा में घुसने के लिए भारी साजो-सामान लाव-लश्कर उपलब्ध कराकर इस जघन्य कार्य के लिए तैयार किया था। पाक सैनिक घुसपैठियो को नवाज शरीफ वापस बुलाते हैं या किसी और तरीके से, यह उनका विषय है।

भारत को तो पूर्ण विश्वास है कि हम आज नहीं तो आगे आने वाले चन्द दिनो मे घुसपैठियों को खोज-खोज कर नियन्त्रण रेखा से पीछे ढकेल देंगे या उन्हें मौत के घाट उतार देने में सफल हो जायेंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या युद्ध के मोर्चे पर मुँह की खा चुकी पाकिस्तान की शरीफ सरकार, उसके घुसपैठिये घायल होने के बाद शान्त ही बैठे रहेंगे या कोई नया गुल खिलाने के लिए तानाबाना बुनेंगे

भारत को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत के विरुद्ध घृणा प्रचार और विष-वमन पर ही पाकिस्तानी शासकों का बहुत हद तक भविष्य निर्भर रहता है। अपनों के बीच पुनः प्रतिष्ठा पाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान किसी भी समय भारत के किसी भी भाग में नया बवंडर खड़ा कर सकते हैं। उनकी खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. की जड़ें भारत में बहुत दूर तक फैल चुकी है। हमें उनके इस षड्यन्त्र के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना होगा।

आज तो कहा जाता है कि कश्मीर के मामले में भारत किसी तीसरे देश का मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा; परन्तु पाकिस्तान ने जिस कूटनीतिक ढंग से इस समस्या का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की, उससे कुछ अदृश्य खतरो के उत्पन्न होने की आशंकायें हैं। भारत के कुछ नेताओं ने यह ढोल पीटने की कोशिश की है कि हमने पाक का यह प्रयास विफल कर दिया। यह हमारी सबसे बडी कूटनीतिक सफलता है; परन्तु हमारा सोचना है कि कूटनीतिक लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई, यह तो अंगड़ाई है। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अब आगे बढ़कर यह कहने का साहस जुटाना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण कर एक बार फिर हमारी शान्ति को खतरे में झोंक दिया है। उसका भारत में निरन्तर घुसपैठ करने का प्रयास यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह आतंकवादी देश है। विश्व समुदाय खास कर अमेरिका, ब्रिटेन से यह घोषित करने का दबाव बनाना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है।

कारगिल क्षेत्र में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों की मिली लाशों उनके परिचय-पत्र और साजो-सामान के बाद अब और कितने, कौन- से सबूत चाहिए पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए। जिस दिन भारत अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करा पायेगा, उस दिन सही माने में माना जायेगा कि भारत ने कूटनीतिक सफलता प्राप्त कर ली।

●

आतंकवाद से उपजे विश्वयुद्ध का सन्देह

युद्ध की परिभाषाएँ समय व वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। जिस प्रकार त्रेता युग में राम-रावण का युद्ध तथा द्वापर में महाभारत का युद्ध अपने समय की भाषा में धर्मयुद्ध कहे गये थे; क्योंकि एक तरफ अन्याय और दूसरी तरफ न्याय का पक्ष था। शायद इसीलिए इन्हें धर्मयुद्ध कहा गया था; परन्तु वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ा प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१९१८) तथा दूसरा विश्वयुद्ध (१९३९-१९४२) की ही तरह यह तीसरा विश्वयुद्ध भी उसी दिशा मे अग्रसारित है।

गत ११ सितम्बर को अमेरिका महाद्वीप में सुबह ८ बजकर ४८ मिनट का समय मौत के काले बादलों से ढक गया, जब अमेरिका तथा किसी समय में विश्व की सबसे ऊँची विश्व व्यापार केन्द्र की ११० मंजिली इमारत दो हवाई जहाजो के क्रमशः टकराने से रेत के ढेर के समान ढह गई। इस प्रलयंकारी टकराव से लगभग २५००० लोगों की मृत्यु हो गई तथा खरबों रूपये की सम्पत्ति स्वाहा हो गई। जब इस बात की खबर समस्त विश्व के लोगों को पता चली, तो वे स्तब्ध होने के साथ-साथ आतंकित हो गये। इन घटनाक्रमों का एक ही प्रणेता था और वह था ओसामा बिन लादेन।

इस प्रसङ्ग में ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि किसी समय में रूस को ध्वस्त करने के लिए यह आस्तीन का साँप अमेरिका के द्वारा ही पोषित किया गया था। इस चोट से अमेरिका अब चिल्ला रहा है कि लादेन हमें जिन्दा चाहिए या मुर्दा, जिसके लिए उसने उसके सिर पर पचास मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ है। आज समस्त विश्व, विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि यह लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है और इसीलिए उन्होंने आतंकवाद के सरगना पाकिस्तान को भी अपने साथ मिला रखा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ अधमन से अमरीका का साथ दे रहे हैं। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाली तालिबान सरकार शासन कर रही है

अफगानिस्तान का इतिहास देखने से यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में होने वाले युद्ध बहुत लम्बे समय तक चलते रहते हैं। वहाँ की जमीन, जलवायु के लोगों का स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि वे लड़ाई को ही अपना जीवन-धर्म बना चुके है। अरब से निकल कर ओसामा बिन लादेन ने उन लोगों को इस्लाम के नाम पर लड़ाई करने का जो भाव सिखाया है, वह उन लोगों के दिमाग में गहराई से बैठ गया है।

दस वर्षों तक वहाँ रूस की फौजों से लड़ाई चलती रही और अन्त में ऐसी फौजों को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। उनके समर्थक सरकार को भी कट्टरपन्थी इस्लामिक लोगों ने उखाड़ फेंका, इसलिए अमेरिका पर अभी हाल मे हवाई हमले से इतना भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका किसी समझौते की स्थिति में नहीं रह गया है। अफगानिस्तान में पूरी तरह से सफलता नही मिलेगी, तो यह युद्ध और विषाक्त हो जायेगा। जैवकीय और रासायनिक हथियारो के अलावा परमाणु हथियारों का प्रयोग होने की सम्भावना है। साथ ही जब व्यापक पैमाने पर जन-धन की हानि होगी, तो कट्टरपन्थी इस्लामी देश अमेरिका से विषाक्त युद्ध छेड़ देंगे। इराक के सद्दाम हुसैन पहले से ही अमेरिका के खिलाफ हैं, साथ ही अन्य अरब देश, चीन और रूस भी मानसिक रूप से अमेरिका के विरुद्ध है। जब यह लड़ाई और आगे बढ़ेगी, तो पूरी सम्भावना है कि यह देश बड़े पैमाने पर अमेरिका के द्वारा किये जा रहे नरसंहार को देखकर युद्ध में अमेरिका की आलोचना करेगे। पाकिस्तान के कट्टरपन्थी मुसलमानों का इतना दबाव है कि वहाँ की सरकार गृहयुद्ध में फँस जायेगी।

परवेज मुशर्रफ की सरकार का इतना विरोध होने लगेगा कि उसका बना रहना कठिन हो जायेगा। लोग इन्हें वहाँ पर इस्लाम विरोधी करार देंगे। आज इस्लाम के नाम पर शासन करने वाले मुशर्रफ देश से अलग-थलग पड़ जायेंगे। भारत अमेरिका का सहयोग करेगा ; क्योंकि वह अफगान व पाकिस्तान के आतंकवादियों से काफी समय से परेशान चल रहा है; लेकिन बाद में यह लड़ाई सीधे भारत और अफगानिस्तान समर्थक आतंकवादियों से होने लगेगी। सीधी हवाई लड़ाई से जब व पाकिस्तान के कट्टरपन्थी हार कर भागने लगेगे तो व और अधिक

आतंकवादी इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका व भारत में काफी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचायेंगे। जिस प्रकार अट्ठारह से बीस लोगों ने मिलकर अमेरिका के हजारों लोगो को मार दिया, ठीक उसी प्रकार उग्रवादियों द्वारा कार्यवाही करके भारी पैमाने पर नरसंहार किया जायेगा।

यूरोप एवं नाटो के देश मिलकर अमेरिका का समर्थन करेंगे और यह युद्ध इस्लाम और हिन्दू समर्थक ईसाई देशों के विरूद्ध बदल जायेगा और विश्वयुद्ध का रूप ले लेगा। इस विश्व-युद्ध में अफगानिस्तान और निकट का पाकिस्तान पूरी तरह से बरबाद हो जायेगा। भारत, इजराइल और अमेरिका को भी काफी भारी मात्रा में क्षति होगी तथा व्यापक जन व धन हानि से सारे राष्ट्र को तबाही का सामना करना पडेगा। तब इस मामले में शान्ति को मानने वाले लोगों का एक वर्ग जब तक निकलेगा, तब तक काफी ज्यादा विनाश हो चुका होगा। अत: भारत सरकार को चाहिए कि इस मामले में अमेरिका सरकार को सहायता दे कि वह सही आतंकवादियों को चिह्नित करे, उन पर कार्यवाही करे; लेकिन पूरे देश व कौम को आतंकवादी घोषित करना उचित नहीं होगा। अफगानिस्तान में आतंकवादी समर्थक सरकार को गिराकर वहाँ नई शान्तिप्रिय सरकार का गठन कराने के प्रति कार्यवाही करे, यही उनके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होगा।

सोये आतंकवाद को जगाने की कोशिश...

पंजाब में अकालतख्त और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक बार फिर टकराव की स्थिति में पहुँच गए हैं। सिखों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए संघ ने यहाँ एक और आर.एस.एस. का गठन किया है, जिसे 'राष्ट्रीय सिख संगत' नाम दिया गया है। अभी हाल में इस संगठन के सचिव ने चण्डीगढ़ में एक बयान में कहा है कि अकालतख्त के जत्थेदार तथा अन्य धार्मिक नेता अगर सिखों को महज केश और पगड़ी जैसे प्रतीकों से परिभाषित करते हैं, तो यह सिख समुदाय के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इस संगठन का कहना है कि सिखों के गुरु बेदी और सोधी समुदायों से आते हैं और ये लोग लव-कुश के वंशज हैं। इसलिए इन्हें और इनके शिष्यों को रघुवंशी कहा जा सकता है। इस सन्दर्भ में 'हिन्दुस्तान' में प्रदीप सौरभ की रिपोर्ट में बताया गया है कि मन्दिरों में गुरुग्रन्थ साहब का पाठ और गुरुद्वारो मे रामायण का पाठ करने की आर.एस.एस. की योजना को लेकर पंजाब में अकालतख्त और आर.एस.एस. आमने-सामने आ गए हैं।

अकालतख्त के जत्थेदार जोगिन्दर सिंह वेदान्ती ने आर. एस. एस. की इस योजना को सिखविरोधी करार देते हुए सिखों के मामले में सीधा हस्तक्षेप बताया है। वरिष्ठ पत्रकार पतवंत सिंह ने 'डंकन क्रॉनिकल' में इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि 'यह धर्मान्ध हिन्दुत्ववादियों की जबर्दस्त मूर्खता है'। आर. एस. एस. ने यह भी माँग की है कि गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी जैसी प्रमुख संस्थाओं में हिन्दुओं को भी सदस्य के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। पतवंत सिंह की इस टिप्पणी में सिख अध्ययन संस्थान के गुरुदर्शन सिंह ढिल्लो के हवाले से बताया गया है कि संघ परिवार प्रमुख सिख संगठनों के साथ सम्बन्ध बढ़ाकर सिखों की संस्कृति और अस्मिता को नष्ट करना चाहते हैं। संत समाज के प्रमुख बाबा सर्वजीत सिंह बेदी का कहना है कि संघ परिवार 'सिख धर्म का हिन्दू संस्करण तैयार करने की कोशिश में लगा है और वह चाहता है कि सिखों को केशधारी हिन्दू कहा जाय'

प्रदीप सौरभ की रिपोर्ट के अनुसार संघ परिवार ने गुरु गोविन्द सिंह साहब के प्रकाशोत्सव से अपना कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई थी; परन्तु सिखो के विभिन्न धार्मिक और राजनैतिक संगठनों द्वारा कड़ा विरोध किये जाने के कारण फिलहाल उसने इस योजना को स्थगित कर दिया है। पिछले वर्ष अप्रैल में संघ के प्रमुख के. एस. सुदर्शन जब चण्डीगढ़ में आर. एस. एस. की एक बैठक का उद्‌घाटन कर रहे थे, तो उस समय सिखों के अनेक संगठन सभास्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन में लगे थे। उस समय भी सुदर्शन के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'सिख धर्म हिन्दू धर्म का एक पन्थ है'।

पाठकों को याद होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के सोलह साल पूरे होने पर गत वर्ष तीन जून को नई दिल्ली में सिख बुद्धिजीवियों के एक समागम में भाजपा नेता मदनलाल खुराना को उस समय जबर्दस्त विरोध का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने कहा कि 'हर हिन्दू सिख है और हर सिख हिन्दू है'। उस समय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'अमर उजाला' ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खुराना के यह कहते ही सभा में उपस्थित लोगों ने टोका-टाकी शुरू कर दी और कहा कि यहाँ आर. एस. एस. के एजेंडे को आगे मत बढ़ाइए। सिखों के मामले में दखल देने की संघ की यह दूसरी कोशिश थी।

पंजाब के एक बुद्धिजीवी चमनलाल का मानना है कि आर.एस.एस. का पजाब में इस तरह का दखल एक बार फिर आतंकवाद को भड़का सकता है और वह पुनर्जीवन ज्यादा खतरनाक होगा; क्योंकि इस बार इसे अलगाववाद का एक ठोस एवं सैद्धान्तिक आधार मिल जायेगा। सिखों के अन्दर यह भावना जड़ जमा लेगी कि 'भारत का वर्चस्ववादी और राजनैतिक रूप से शक्तिशाली वर्ग सिख धर्म की स्वतन्त्र सत्ता को ही समाप्त करना चाहता है। जो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई थी, उसे आर.एस.एस. अपने इस खतरनाक खेल द्वारा अंजाम दे देगा'। पतवंत सिंह का भी यह मानना है कि अगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सिखों के मामले में हस्तक्षेप करना तथा सिखों का हिन्दूकरण करने का प्रयास बन्द नही किया, तो निश्चित रूप से पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद जीवित हो जायेगा।

●

अच्छे नेताओं की जरूरत

प्रजातन्त्र में जनता के चुने हुए नेता ही देश पर शासन करते हैं। प्रत्येक विभाग के मन्त्री, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमन्त्री और देश के अधिकारी व कर्मचारी उन्हीं के नेतृत्व में कार्य करते हैं । एक-एक मन्त्री के पास अरबों रूपये का बजट रहता है, इस पैसे से देश के विकास की योजनायें बनती हैं । अब तो सांसदों और विधायकों को भी करोड़ों रूपये का सरकारी धन जनता के काम कराने के लिए दिया जाता है । मन्त्रियों के एक-एक निर्णय का देश की अर्थव्यवस्था पर गम्भीर असर पडता है । प्रत्येक नेता का कार्य उसके अपने ज्ञान, अनुभव और शैली पर निर्भर करता है । अगर यह कहें कि पुराने जमाने के राजाओं का काम आजकल नेताओ द्वारा किया जा रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं है । देश की प्रगति का सारा दारोमदार उनके कार्यों पर है और वे ही जनता के भाग्य-विधाता हैं ।

जमाना यह है कि हमारे देश में राजनैतिक नेताओं की छवि बहुत ही खराब हो गयी है । ज्यादातर नेताओं को लोग भ्रष्ट, अवसरवादी और झूठे वादे करने वाला समझते हैं । उनमें से कई लोगों ने इस प्रकार के काम भी किये हैं, जिससे अधिकाश जनता का उन पर से विश्वास उठ गया है । कविसम्मेलन, सिनेमा और पत्र-पत्रिकाओं में उन पर तरह-तरह के व्यंग्य और कार्टून छपते रहते हैं, जिसके कारण धीरे-धीरे उनमें अच्छा बनने की चाह भी खत्म होती जा रही है । इधर कुछ वर्षो मे देश के कई प्रमुख नेताओं पर मुकदमे चले हैं या भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा है, तब से उनकी विश्वसनीयता और भी कम हुई है; लेकिन चिन्ता का विषय यह है, अगर देश के कर्णधारों की इस तरह बदनामी होगी या वह निराश होकर और ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त होते जायेंगे, तो इससे जनता का क्या फायदा होगा ? हमें तो ऐसे नेताओं की जरूरत है, जो अपने काम में नसिरुद्दीन की तरह ईमानदार हों । वे जनता के धन का दुरुपयोग या निजी फायदों में उपयोग न करे, उनमें देश की समस्याओं को समझकर उनका हल निकालने की क्षमता हो । इतनी योग्यता हो कि वे जनहित की बातों को समझकर समस्याओं का समाधान कर सके। उनमे सम्राट अशोक की तरह जनता की सेवा करने की भावना हो उनमे राम की

तरह जनता की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता हो, अकबर की तरह सभी धर्मों जातियों और समूहों को मिलाकर सबका विश्वास जीतने की योग्यता हो । शेरशाह शूरी की तरह प्रशासन को सुधारने और विकास योजनाओं को लागू करने की दृढ इच्छा हो, अलाउद्दीन खिलजी की तरह जनहितकारी बाजार-प्रबन्ध और आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण हो । शाहजहाँ की तरह जिनमें देश के लिए अद्वितीय स्मृति चिह्न बनाने का उत्साह हो, लार्ड विलियम बैन्टिक की तरह जिनमें सबको शिक्षित और सुव्यवस्थित करने की ललक हो, राजा रणजीत सिंह की तरह देश की सीमाओ को सुरक्षित रखते हुए बृहत्तर भारत के निर्माण की क्षमता हो, इन्दिरा गाँधी की तरह कूटनीति से शत्रुओं को तोड़ देने की दूरदृष्टि हो । हमें ऐसे राष्ट्र नेता चाहिए, जो अपनी सत्यनिष्ठा के कारण धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सम्मान से देखे जाँय, जो जहाँगीर की तरह जनता की समस्याओं को सुनकर निष्पक्ष न्याय दे सकें ।

निराशा की बात यह है कि हमारे देश में नेता बनने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है । चपरासी बनने के लिए भी व्यक्ति को कक्षा आठ पास करना पड़ता है, दूसरा पैमाना यह है कि नेता बनने के लिए कोई चरित्र सत्यापन नहीं होता, जबकि छोटी नौकरी पाने के पहले यहाँ तक कि किसी बड़े विद्यालय मे भर्ती के पहले चरित्र प्रमाण-पत्र माँगा जाता है । जब हमारे देश के संविधान बनाने वालों ने इतनी छूट दे रखी है, तो फिर अगर अँगूठा-टेक, नासमझ, चरित्रहीन और भ्रष्ट लोग नेता बन जायें, तो इसमें क्या आश्चर्य है । इस ढिलाई का दुष्परिणाम यह हुआ है कि देश की राजनीति में शंकर भगवान् की बारात जैसे – तरह-तरह के नमूने दिखाई पड़ते हैं ।

तमाम ऐसे हैं, जिन्हें देश की मूलभूत समस्याओं का ही पता नहीं है, बहुत से ऐसे हैं, जिन्हें समस्याओं का अन्दाज तो है, पर वे नहीं जानते कि इसे कैसे ठीक करे । बहुतेरे इसी में परेशान रहते हैं कि अपने वोट बचायें । कुछ लोग आँख मूँदकर तरह-तरह से धन कमाने में लगे रहते हैं, सोचते हैं कि इसी से वह बड़े नेता बन जाते हैं । कुछ दूसरे लोग बाहुबलियों और गुण्डों से दोस्ती, परिवार और रिश्तेदारो को नौकरी दिलवाने और बैंकों से कर्ज दिलवाने में लगे रहते हैं, ताकि अपने लोगो की तरक्की कर सकें । बिरले ऐसे नेता हैं, जो सभी बातों के बीच सन्तुलन रखते हो और राष्ट्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हो

आज का प्रशासन और शासन इतना कठिन कार्य हो गया है कि आम आदमी से उसको करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए बहुत अच्छे शिक्षण और प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है; परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में सिपाही बनने के लिए दो साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन देश का शासन चलाने के लिए कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, न तो सांसदों और विधायकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है और न ही मंत्रियों को इसका ज्ञान दिया जाता है। दुष्परिणाम यह है कि कई-कई सालों से सरकारी काम चला रहे बाबू और अफसर मिलकर अपनी इच्छा के मुताबिक मन्त्रियों को जरूरी बातें बताते रहते हैं और आदेश कराते रहते है, ज्यादातर वही मामले वे पेश करते हैं, जिनमें उनका भी कुछ फायदा होता है।

मन्त्रियों को प्राय: शासन की पेचीदा बातों का न तो ज्ञान होता है और न ही अनुभव होता है, बिरले ही कोई मन्त्री ऐसे होंगे, जो अपनी दूरदृष्टि से कार्य कर पाते है। जैसे ही कोई नया व्यक्ति मन्त्री बनता है, उसके जानने पहचानने वाले, रिश्तेदार, अफसर और बाबू उसे घेर लेते हैं और तरह-तरह की खुशामद करके अपने फायदे में काम कराने लगते हैं। मन्त्रियों के कमरे में बैठकर लोगों को काम कराते देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है, जिसे वही जानता है, जो देख चुका हो, सबेरे से शाम तक सैकड़ों मिलने वाले आते-जाते रहते हैं। अच्छे जन-सम्पर्क की दृष्टि से उनके लिए खाने-पीने की चीजें आती रहती हैं।

अधिकांश लोग नौकरी माँगने, तबादला कराने, लाइसेन्स या परमिट माँगने तथा अपने को किसी केस से छुड़वाने की पैरवी के लिए आते रहते हैं। अधिकाश मन्त्री बड़ी उदारता से उनकी यथासम्भव मदद करते रहते हैं। उनका बहुत कम समय विकास की योजना बनाने, उनको लागू करवाने और समीक्षा करने में बीतता है। वहाँ पर लगता है, जैसे सिफारिश करना और मानना ही मन्त्रियों का प्रमुख दायित्व है। अगर हमें सचमुच देश को आगे बढ़ाना है, तो नेताओं के शिक्षण, उनके चरित्र-सत्यापन और उनके कार्य को देखने के लिए व्यवस्थाएँ बनानी होंगी, अन्यथा व्यवस्था में सुधार होना सम्भव नहीं है।

भ्रष्टाचार

यद्यपि यह विषय आजकल बहुत चर्चा में रहता है कि समाज में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है; लेकिन ज्यादातर लोग केवल इसका वर्णन तो करते हैं, पर यह नहीं बताते कि आखिर यह भ्रष्टाचार दूर कैसे हो सकता है। इसके दूर न होने का प्रमुख कारण यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ने के कई कारण मौजूद हैं; परन्तु उस पर नियन्त्रण लगाने के बहुत कम कारण मौजूद हैं। भ्रष्टाचार बढ़ने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं –

समाज में नये-नये सुख और सुविधा के साधनों को पाने की होड़, जिसके लिए लोगों को अधिक धन की जरूरत होती है। अंग्रेजी शिक्षा के कारण ईश्वर की सत्ता और धर्म में आस्था का बराबर क्षरण हुआ है। भ्रष्टाचार रोकने और पकडने की कोई प्रभावी और सक्षम व्यवस्था का अभाव। भ्रष्टाचार के आरोपित लोगों का न्यायालय से छूट जाना और उन्हें सजा न मिलना। भ्रष्टाचार के द्वारा कमाये हुए धन का उपयोग करके मुल्जिमों द्वारा जाँच को अपने पक्ष में प्रभावित करना। भ्रष्टाचार के धन से स्कूल, अस्पताल आदि खोलकर इसके अपराधियों द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा पा लेना।

सरकारी नियमों, कानूनों में पारदर्शिता की कमी, जिसके कारण लोगों को सरकारी कार्यालयों में हो रहे कार्य का ज्ञान नहीं हो पाता। लाईसेन्स, कोटा, परमिट आदि देने की व्यवस्था और इस कार्य के लिए रिश्वत लेने देने का चलन। जनता मे शिक्षा की कमी और जागृति का अभाव। बेरोजगारी और लालच के कारण बहुत से ठेकेदारों, दलालों और बिचौलियों की बाढ़ आयी है। इस समस्या को ठीक करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक रैंक ऊपर वाले अधिकारियों की कुछ टीमें बनायी जानी चाहिये, जो घूम-घूम कर विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण करती रहें और उनमें जो कमियाँ पायें, उनको अधिकारीगण ठीक कराते रहें।

बहुत से व्यापारिक औद्योगिक और काम ऐसे हैं जिनको

शासन के सरकारी और अर्द्धसरकारी निगम या परिषद् कर रहे हैं और जनता द्वारा इन कामों को करने में तरह-तरह की रोक लगी हुई है। इसके कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अधिक से अधिक व्यावसायिक कामों से सरकारी नियन्त्रण को हटा दिया जाना चाहिए और उनके लिए किसी कोटे या परमिट की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के कामों की चेकिंग करने के लिए निरीक्षकों की व्यवस्था की जाती है और ये निरीक्षक स्वयं भी भ्रष्ट आचरण करने लगते है, इसलिए इस कार्य के लिए निरीक्षकों की कहीं भी ज्यादा दिनों तक नियुक्ति नही रहनी चाहिए, बल्कि गड़बड़ी के जितने मामले पकड़ें, उसी के हिसाब से उनको भुगतान दिया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा जनता से कई प्रकार के टैक्स वसूल किये जाते हैं, इन मामलो मे भी प्रायः भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है। इसलिए इन नियमों का भी सरलीकरण किया जाना चाहिए। जिन-जिन तरीकों से विभिन्न विभागों और व्यवसायों में भ्रष्टाचार फैल रहा है, उनका पता लगाकर भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अलग-अलग ईमानदार लोगों की समिति बनायी जानी चाहिए, जो उनके विषय मे सुझाव दे सकें, फिर उनका नियमित रूप से अनुपालन कराया जाना चाहिए।



भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय

प्रत्येक जनपद व तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने और ऐसी घटनाओं तथा लोगों का पता लगाने के लिए गुप्तचर तैनात किये जाँय, जिनको इस आधार पर भुगतान किया जाय कि उन्होंने कितनी भ्रष्टाचार की घटनाओं का पता लगाया, जो सही घटनायें थीं । अगर अलग से इतने कर्मचारी तैनात करना सम्भव न हो, तो अच्छे कार्य व्यवहार वाले कुछ कर्मचारियों को छाँटकर अलग-अलग करके उनको यह जिम्मेदारी दे दी जाय। प्रत्येक जिला, मण्डल व प्रदेश स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्यालय खोले जाँय । अभी तक जिला स्तर पर इसकी कोई व्यवस्था नही है । जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ने व रोकने में लगाये जाँय, उनको मासिक वेतन न दिया जाय, बल्कि इसके बदले वह जितने मामले पकड़ें, प्रत्येक केस के आधार पर उनको एक निश्चित भुगतान किया जाय ।

इसी प्रकार प्रत्येक जिला स्तर पर जो जिला अदालतें काम कर रही हैं, उनमे आवश्यकतानुसार एक या दो अदालतों को भ्रष्टाचार अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने का काम दे दिया जाय और वे अदालतें उसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करें । अदालतों में पैरवी करने के लिए जो सरकारी वकील तैनात किये जॉय, उनके लिए भी यही व्यवस्था कर दी जाय कि अगर किसी मामले में सजा होगी, तो उनको ज्यादा भुगतान मिलेगा और अगर मामला छूट जायेगा, तो उन्हे कम भुगतान मिलेगा और अधिक मामले छूट जायेंगे, तो उन्हें कार्यमुक्त करके दूसरा वकील रखा जायेगा ।

दण्ड और पुरस्कार के आधार पर ही समाज में मूल्यों का प्रचलन होता है, जो लोग परिश्रमी एवं ईमानदार हैं, उनको छाँटकर प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाय तथा जिन लोगों का सेवा अभिलेख खराब हो, उनको यथोचित रूप से दण्डित किया जाय। प्राय: सरकारी काम के शिकायत की जाँच उसी विभाग के ऊपर के अधिकारी करते हैं और वे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी करते हैं

इसलिए उनमे मित्रता का अभाव विकसित हो जाता है उन्हे साथ साथ रहना होता है इसलिए वे एक-दूसरे की कमियों और कमजोरियों को पकड़ने में सङ्कोच करते है, इसलिए भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने के लिए अलग विभाग बनाये रखना उचित होगा । जैसे ही किसी व्यक्ति की शिकायत मिले उस पर अलग विभाग द्वारा जॉच-पड़ताल कराकर अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए । जिन मामलों में अधिक भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, उनमें निर्णय एक व्यक्ति पर छोड़ने के बजाय एक कमेटी या बोर्ड बनाया जाना चाहिए, जिसमें पर्याप्त सदस्य होने चाहिए और उन सदस्यों के पास कब कौन-सा मामला आयेगा, इसका उनको भी पता नहीं होना चाहिए, साथ ही यह भी नियम बनाया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने परिवार या रिश्तेदार के मामले में कोई निर्णय नहीं करेगा ।

बड़ी धनराशि के खरीददारी के मामलों में भी कई बार भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, इसलिए उनमें भी विभिन्न लोगों की एक कमेटी द्वारा निर्णय होना चाहिए तथा किसी को पहले से यह नहीं मालूम होना चाहिए कि इस खरीददारी की कमेटी में कौन-कौन लोग रहते हैं । अगर जाँच एवं अदालत के निर्णय से यह पता चल जाय कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया है, तो उसे तुरन्त सेवामुक्त करने का नियम बनाया जाना चाहिए । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अगर काम करने में विलम्ब करते है, तो इनकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है ।



स्वभाव ही सबसे बड़ा शत्रु या मित्र

लोग अपने दुश्मनों, विपरीत परिस्थितियों और समस्या वाले स्थानों को दोष दिया करते हैं कि उनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ; लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि वे आखिर मेरे ही दुश्मन क्यों बने हुए हैं। विपरीत परिस्थितियाँ क्यों तैयार हुई हैं। कोई स्थान मेरे लिए ही परेशानी का कारण क्यों है। अगर ठण्डे दिमाग से आप यह सोचेंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि मनुष्य अपने कार्य-कलाप से अपने लिए परेशानी मोल लेता है, तमाम विद्वानों ने समय-समय पर यह बताया है कि अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और वासना के कारण मनुष्य ऐसा काम करने लगता है या फिर ऐसी बातें कहने लगता है, जिसकी वजह से तमाम लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं।

जो मनुष्य अपने मन पर नियन्त्रण नहीं लगाता, उसे तरह-तरह के लोभ सताते हैं। इसी लोभ के कारण वह चोरी करता है, डकैती डालता है और तमाम सफेदपोश लोग गबन और धोखाधड़ी करते हैं, दफ्तर में दोषी लोग इसी लोभ के कारण रिश्वतखोरी और छीना-झपटी करने जैसे अपराध करते हैं। इन अपराधों को करने से समाज में उनका सम्मान घट जाता है और पकड़कर जेल भेजे जाते है। फिर बाद में वही लोग पछताते हैं, दुःखी होते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि उन्होंने लालच के वशीभूत होकर अपने लिए दुःख का रास्ता खुद तैयार किया है।

कई लोगों में अहम् की भावना इतनी अधिक होती है कि वे अपने को दूसरो की तुलना में बहुत ऊँचा और महत्त्वपूर्ण समझते हैं कि किसी को अपने देह, किसी को बल, किसी को रूप, किसी को ढंग और किसी को अपने पद या सम्बन्ध का घमण्ड रहता है। इसी घमण्ड के कारण वे लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हे अपमानित करते हैं। जब दूसरे लोग उनके इस अपमान का जवाब देते हैं, तो आपस में लड़ाई-झगड़ा और मारपीट हो जाती है। ये अहंकारी लोग कमजोर विपक्षी को पीट देते हैं और फिर कभी-कभी खुद भी पिट जाते हैं। बाद में यही लोग पछताते हैं, लोग उन्हें धिक्कारते हैं कि उन्होंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। ये लोग अलग ही प्रकार के होते हैं, सबके साथ मिल-जुलकर काम नहीं कर पाते, जिसके कारण कुछ लोग पिछलग्गू बन जाते हैं और बाकी उनके दुश्मन बन जाते है, इसलिए सन्तुलित जीवन के लिए अहङ्कार बहुत बड़ी बाधा है।

जब मनुष्य में अहङ्कार अधिक होता है और उसके लोभ की पूर्ति नही हो पाती मर्जी के मुताबिक काम नहीं होता तो वह क्रोधित हो जाता है ' क्रोध मे

आकर वह अपना विवेक और मानसिक सन्तुलन खो देता है । ऐसी हालत मे आदमी गाली-गलौज, मार-पीट और अपराध करने पर आमादा हो जाता है । अपराधी हो जाने के कारण लोग उसे नापसन्द करने लगते हैं । सामने वाले डरपोक लोग उसकी खुशामद करते हैं, पर वास्तव में उसे कोई भी पसन्द नहीं करता । ऐसे लोगों को जल्दी ही सेर का सवा सेर मिल जाता है और लड़ाई के कारण इसी प्रकार की भावना प्रबल होने के कारण कई लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी, रास्ते चलते उन पर छींटाकशी और कभी-कभी बलात्कार जैसी करतूत भी इसी भावना के वशीभूत होकर कर बैठते हैं । पहले अपने मनोविकारों को रोक नहीं पाते, फिर बाद मे उन्हें पछताना पड़ता है । लड़कियों के कालेजों के सामने ऐसे ही कुछ शोहदे किस्म के लोग खड़े रहते हैं और फिर कई बार जूतों-चप्पलों से पिट भी जाते है । बलात्कार करने वाले लोगों को कई बार भीड़ दौड़ा-दौड़ा कर मार भी डालती है । पुलिस के हाथों भी यह लोग अपमानित होते रहते हैं । अगर वे अपने पर थोडा नियन्त्रण रखें, तो इस तरह की घटनायें रुक सकती हैं ।

ईर्ष्या और द्वेष के कारण भी लोग दूसरों की तरक्की से जलने लगते हैं और दूसरों को परेशान करने और उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जितना समय वे दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना के कारण नीचा दिखाने में लगाते हैं, उतने में अगर अपना काम करें, तो बड़ी तरक्की कर सकते हैं । जब एक आदमी तरक्की करता है, तो कई लोग ईर्ष्या के कारण दुःखी होते हैं ।

जब ईर्ष्या के कारण आप किसी की बुराई करते हैं या उसका नुकसान करते है, तो यह बात थोड़े ही दिन में लोगों को पता चल जाती है और वे आपके दुश्मन बन जाते हैं । अगर आप इनसे प्रेम से बोलते, तो वे भी आपके कार्यों में मददगार हो सकते थे । निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य खुद अपने कर्मों से लोगों को अपना मित्र या शत्रु बनाता है । आपकी बातचीत की शैली भी दूसरे के लिए बहुत जिम्मेदार होती है । जो लोग दूसरों से मान-सम्मान एवं प्रेमपूर्वक बात करते हैं, दूसरे लोग उनके प्रशंसक और मददगार हो जाते हैं और जो लोग दूसरों से अपमानपूर्वक और उद्दण्डता से बोलते हैं और दूसरों की बुराई करते रहते हैं, वे अपनी बातों से तमाम लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं । इसलिए मनुष्य को अपने वचन और कर्म से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे वे अधिकाधिक लोगों को अपना मित्र और सहयोगी बना सकें । तुलसीदास जी ने कहा भी है –

काहु न कोउ सुख दुःख कर दाता ।
निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता ।।



जनता का शासन या गुण्डों का बोलबाला

गाँव, शहर से लेकर देश की राजधानी तक हर चुनाव में गुण्डे,अपराधी और असामाजिक तत्त्व छाये जा रहे हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों हत्या, डकैती, अपहरण और बलात्कार आदि के मामले न्यायालय में चल रहे हैं, वे निर्द्वन्द्व होकर चुनाव लड रहे हैं। अपराध करके इन्होंने जो तमाम सम्पत्ति कमाई है, उसको चुनावो मे खर्च करते हैं और चुनाव जीतकर मन्त्री, सांसद या विधायक बने जा रहे हैं ।

इस अन्धेरगर्दी को हर कोई देख रहा है । देश के शासक, प्रशासक, न्यायपालिका और प्रेस, लेकिन लगता है जैसे सब लाचार हैं। अगर देश में सच्चा न्याय होता, तो जिन मुल्जिमों को अब तक दसों बार फाँसी या आजीवन कारावास की सजा हो जाती, वे महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठकर देश के शासन और प्रशासन का अपराधीकरण करके मौज मना रहे हैं । देश की कानून और न्याय-व्यवस्था इतनी लचर और ढीली हैं कि मुल्जिमों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक पाती, पहले तो इन मुल्जिमों को सजा ही नहीं होती, सारे गवाहों को पैसे से खरीदकर या डरा-धमकाकर चुप करा दिया जाता है या फिर अगर भूले-बिसरे किसी को सजा भी हो गयी, तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर देता है और फिर चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित हो जाता है।

राजनीति में भ्रष्टाचार का यह आलम है कि बड़े-बड़े पूँजीपति अब विधायको का वोट दस-दस लाख रूपये में खरीदकर राज्यसभा या विधान परिषद् के सदस्य बन रहे हैं । अफसोस यह है कि इन लोगों पर देश और प्रदेश की व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी है । यह रोग दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है; क्योंकि जिस समाज मे अपराधियों को दण्ड नहीं मिलता और अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार नही मिलता, वहाँ आम नागरिक भी अपराधी बनने लगता है । यही हालत हमारे देश की है । न्यायपालिका सब जानते हुए भी इसलिए चुप है कि उसके पास इस बात की न कोई शिकायत करने वाला है, न कोई प्रमाण देने वाला है । इतने प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध शिकायत करने और सबूत देने की हिम्मत कौन करेगा? दूसरी ओर

पुलिस जिसकी यह जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को पकडे, जब कि वह स्वयं उन्हीं लोगों के नियन्त्रण में है। वही लोग शासन को चलाने वाले है ऐसी हालत में क्या आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि कोई नौकर अपने मालिक पर कार्यवाही करेगा। टी. एन. शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहते हुए जो काम किया, वह सचमुच ही सराहनीय है। भले ही उसके कारण चुनाव आयोग से हटने के बाद शेषन को महत्त्व की जगह नहीं मिली, लेकिन भारतवर्ष के इतिहास मे जब भी चुनाव और प्रजातन्त्र का जिक्र किया जायेगा, तो शेषन का नाम प्रशसा के साथ लिया जायेगा। बाकी ज्यादातर चुनाव आयुक्त अन्य नौकरशाहों की तरह इतने सुविधाभोगी हो गये हैं कि कोई प्रभावी कदम उठाने के बजाय अपना आगा-पीछा, दायाँ-बाँया और निजी भविष्य ज्यादा देखते हैं।

जिस आदमी को और कुछ पाने की लालच और पाये हुए को खोने का डर रहता है, वह कभी कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता, समय भले काट सकता है। राजनीति में सुचिता की बातें करने वाले और आदर्शवादी मुखौटा लगाये हुए लोग ही सत्ता में आने के बाद मजबूर से दिखाई पड़ते हैं। विरोधी पक्ष में रहने पर जो लोग बहुत लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं, वादे करते हैं, वही सत्ता में आने के बाद वादों को भूलने लगते हैं। गाँव में प्रधान, विकास खण्ड में ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद् में अध्यक्ष पदों के लिए आजकल उस क्षेत्र के नामी-गिरामी गुण्डे जोर आजमाइस कर रहे हैं। तमाम माफिया और अपराधी पहले ही इन पदों पर आ चुके है। सरकारी सोच और जवाब यह होता है कि हम क्या करें, व्यवस्था बनाने वालो ने इतनी लुञ्ज-पुञ्ज व्यवस्था बनायी है कि आम आदमी की जान-माल ही उसमे सुरक्षित नहीं है, तो फिर अपनी पसन्द का व्यक्ति चुनने की बात तो बहुत दूर है।

अभी कुछ दिनों पहले न्यायिक व्यवस्था सुधारने का एक प्रयास केन्द्र सरकार ने किया; परन्तु देश भर के वकीलों ने हड़ताल कर दी, सरकार डर गयी, पुनर्विचार किया गया, अर्थात् अब दुर्व्यवस्था को बनाये रखने का वादा फिर कर दिया गया। जरूरत यह है कि एक ऐसा कानून बने, जो ऐसे सारे लोगों को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दे, जिनके खिलाफ देश के कानून को तोड़ने का मुकदमा किसी अदालत में चल रहा हो। कम से कम वह व्यक्ति तब तक के लिए अयोग्य घोषित

कर दिया जाय, जब तक कि न्यायालय से बरी न हो जाय। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत से हिस्ट्रीशीटर और माफिया जो कानून बनाने वाली जगहों में घुस गये हैं, वे इसका विरोध करेंगे। कोई नहीं चाहता कि उसकी मोनोपोली या बिरादरी का वर्चस्व कम हो। कम से कम यह कानून तो बन ही सकता है कि अब अगर कोई व्यक्ति नया अपराध करेगा, जिसमें उसके खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय जायेगा, तो उसे तब तक चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी, जब तक कि वह उस मुकदमे से बरी न हो जाय।

हमें देश के लिए सर्वोत्तम और योग्यतम व्यक्ति चाहिए, जो अच्छी तरह शासन चला सके। सन्दिग्ध चरित्र और कार्य वाले व्यक्ति अगर चुनाव न लड़ें, तो इससे सारी व्यवस्था और समाज के प्रति बहुत बड़ा न्याय होगा। वह अन्याय उसके सामने नगण्य होगा, जो उस व्यक्ति के साथ होगा, जिसे चुनाव लड़ने से रोका जायेगा। देश के शासकों, प्रशासकों, बुद्धिजीवियों और न्यायविदों का यह कर्त्तव्य है कि वे एक साथ मिलकर इन अपराधियों को राजनीति से बाहर करने के लिए एकजुट हों, वरना एक समय ऐसा आयेगा, जब अपराधी ही देश में शासन करेंगे और आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के आम नागरिक के लिए वह शासन कैसा होगा।

●

जीने का हक

देश के बड़े-बड़े लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं – जैसे मानवाधिकार न्यायिक स्वतन्त्रता, वैचारिक आजादी, विश्व-बन्धुत्व, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति आदि-आदि। ये सब बातें थोथी एवं दिखावा लगने लगती हैं, जब यह देखने मे आता है कि देश के लगभग तीस करोड़ लोग ऐसी हालत में जिन्दगी जी रहे है, जिनके अभी पेट भरने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो कई बार यह सुनकर भी अफसोस होता है; जब शहरी मध्यम वर्ग के लोग यह कहते हैं कि इस देश में कोई भी आदमी जो काम करना चाहता है, वह भूखों नहीं मर सकता। हालत यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गाँवों में रहने वाली ज्यादातर आबादी कुपोषण और अभावों की जिन्दगी जी रही है।

देश के प्रबन्धकों को अपनी-अपनी ही चिन्ता इतनी सताये रहती है कि वह सारे देश के हित की योजनायें नहीं बना पाते, न उसको लागू कर पाते हैं। धीरे-धीरे आबादी का बोझ खेतिहर जमीन पर इतना बढ़ गया है कि अब केवल खेती से लोगो का गुजर-बसर नहीं हो पा रहा है। भाइयों और लड़कों में खेतों का बँटवारा होते-होते कई जगहों पर यह हालत हो गयी है कि अब केवल आधा-आधा बीघा जमीन लोगों के हिस्से में आती है, जिसमें पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज भी पैदा नही हो पाता।

इन गरीब लोगों के लिए शिक्षा और स्वतन्त्रता की बात सपना जैसी लगती है। दूसरी तरफ देश के प्रबन्धक भारी भरकम विकास की योजनायें बनाते रहते है। देश में हवाई जहाज, भारी औद्योगिक नयी-नयी योजनायें और सुख-सुविधाओं के नये-नये साधन बनाने को लोग विकास का नाम दे रहे हैं; लेकिन इन करोड़ों लोगो की हालत पर उन्हें तरस नहीं आती, जिनके पास न तो खाने के लिए अनाज है और न ही बीमार पड़ने पर उनके लिए दवायें हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों में साक्षरता भी लगभग ३३ प्रतिशत है, अर्थात् लगभग ६७ प्रतिशत लोग अभी भी निरक्षर हैं।

इन लोगों तक विकास की योजना या उसका लाभ नहीं पहुँच पाता उनके

लिए प्रजातन्त्र और वैचारिक आजादी की बातें बेमानी हैं। इस समय देश में ऐसी योजनायें बननी चाहिए, जिनसे हर आदमी के जीने की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके। यह नहीं सम्भव है कि सबको घर बैठे सरकार मुफ्त में खाना खिलाये; लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है कि हर ग्राम-पंचायत के केन्द्र में लोगों को काम के बदले अनाज जैसी कोई योजना चलायी जाय, जिससे बेरोजगार लोगों को काम मिल सके। ये काम गाँव के विकास के सम्बन्ध में हो सकते हैं। गाँव के लोगों को पढ़ाने-लिखाने, उनकी चिकित्सा करने, गाँव में सड़क, तालाब, स्कूल या अन्य सार्वजनिक भवन बनाने के काम भी गाँव में शुरू किये जा सकते हैं। यह भी जरूरत है कि इन योजनाओं में भ्रष्टाचार न फैल जाय, इसका ध्यान रखा जाय।

इस देश की बड़ी भारी मुश्किल यह भी है कि छोटी से छोटी योजना भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है। इस प्रकार की योजनायें एक बार राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में चलायी गयी थीं, जिससे गरीबों को बहुत राहत भी मिली थी। अखबारों में प्रायः यह समाचार छपते रहते हैं कि इतने युवकों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली। अमुक गाँव या शहर में पूरे परिवार ने गरीबी के कारण तंग आकर आत्महत्या कर ली।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और औद्योगिक कारखानों के द्वारा वह सारा सामान बनाया जा रहा है, जो गाँव-गाँव में आसानी से बन सकता था; लेकिन इन फैक्टरियों का सारा फायदा बड़े पूँजीपतियों के पास जा रहा है और दूसरी तरफ लाखों-करोड़ों नवयुवकों के हाथ से रोजगार छिनता जा रहा है। सरकार को यह भी चाहिए कि लोगों का रोजगार जिन फैक्टारियों की वजह से छिन रहा है, उनको बन्द कराये। केवल ऐसे क्षेत्रों में कारखाने लगाने की इजाजत दी जाय, जिससे देश मे बेरोजगारी न फैले, तभी यह समझा जायेगा कि देश की सरकार जनहित में काम कर रही है, पूँजीपतियों के हित में नहीं।

जीने का हक

देश के बड़े-बड़े लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं – जैसे मानवाधिकार न्यायिक स्वतन्त्रता, वैचारिक आजादी, विश्व-बन्धुत्व, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति आदि-आदि । ये सब बातें थोथी एवं दिखावा लगने लगती हैं, जब यह देखने मे आता है कि देश के लगभग तीस करोड़ लोग ऐसी हालत में जिन्दगी जी रहे है, जिनके अभी पेट भरने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है । अब तो कई बार यह सुनकर भी अफसोस होता है; जब शहरी मध्यम वर्ग के लोग यह कहते हैं कि इस देश में कोई भी आदमी जो काम करना चाहता है, वह भूखों नहीं मर सकता । हालत यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गाँवों में रहने वाली ज्यादातर आबादी कुपोषण और अभावों की जिन्दगी जी रही है ।

देश के प्रबन्धकों को अपनी-अपनी ही चिन्ता इतनी सताये रहती है कि वह सारे देश के हित की योजनायें नहीं बना पाते, न उसको लागू कर पाते हैं। धीरे-धीरे आबादी का बोझ खेतिहर जमीन पर इतना बढ़ गया है कि अब केवल खेती से लोगो का गुजर-बसर नहीं हो पा रहा है । भाइयों और लड़कों में खेतों का बँटवारा होते-होते कई जगहों पर यह हालत हो गयी है कि अब केवल आधा-आधा बीघा जमीन लोगों के हिस्से में आती है, जिसमें पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज भी पैदा नही हो पाता ।

इन गरीब लोगों के लिए शिक्षा और स्वतन्त्रता की बात सपना जैसी लगती है । दूसरी तरफ देश के प्रबन्धक भारी भरकम विकास की योजनायें बनाते रहते है। देश में हवाई जहाज, भारी औद्योगिक नयी-नयी योजनायें और सुख-सुविधाओं के नये-नये साधन बनाने को लोग विकास का नाम दे रहे हैं; लेकिन इन करोड़ों लोगो की हालत पर उन्हें तरस नहीं आती, जिनके पास न तो खाने के लिए अनाज है और न ही बीमार पड़ने पर उनके लिए दवायें हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों में साक्षरता भी लगभग ३३ प्रतिशत है, अर्थात् लगभग ६७ प्रतिशत लोग अभी भी निरक्षर हैं।

इन लोगों तक विकास की योजना या उसका लाभ नहीं पहुँच पाता उनके

लिए प्रजातन्त्र और वैचारिक आजादी की बातें बेमानी हैं। इस समय देश में ऐसी योजनायें बननी चाहिए, जिनसे हर आदमी के जीने की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके। यह नहीं सम्भव है कि सबको घर बैठे सरकार मुफ्त में खाना खिलाये; लेकिन इतना तो किया ही जा सकता है कि हर ग्राम-पंचायत के केन्द्र में लोगों को काम के बदले अनाज जैसी कोई योजना चलायी जाय, जिससे बेरोजगार लोगों को काम मिल सके। ये काम गाँव के विकास के सम्बन्ध में हो सकते हैं। गाँव के लोगों को पढ़ाने-लिखाने, उनकी चिकित्सा करने, गाँव में सड़क, तालाब, स्कूल या अन्य सार्वजनिक भवन बनाने के काम भी गाँव में शुरू किये जा सकते हैं। यह भी जरूरत है कि इन योजनाओं में भ्रष्टाचार न फैल जाय, इसका ध्यान रखा जाय।

इस देश की बड़ी भारी मुश्किल यह भी है कि छोटी से छोटी योजना भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है। इस प्रकार की योजनायें एक बार राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में चलायी गयी थीं, जिससे गरीबों को बहुत राहत भी मिली थी। अखबारों में प्रायः यह समाचार छपते रहते हैं कि इतने युवकों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली। अमुक गाँव या शहर में पूरे परिवार ने गरीबी के कारण तंग आकर आत्महत्या कर ली।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और औद्योगिक कारखानों के द्वारा वह सारा सामान बनाया जा रहा है, जो गाँव-गाँव में आसानी से बन सकता था; लेकिन इन फैक्टरियों का सारा फायदा बड़े पूँजीपतियों के पास जा रहा है और दूसरी तरफ लाखों-करोड़ों नवयुवकों के हाथ से रोजगार छिनता जा रहा है। सरकार को यह भी चाहिए कि लोगों का रोजगार जिन फैक्टरियों की वजह से छिन रहा है, उनको बन्द कराये। केवल ऐसे क्षेत्रों में कारखाने लगाने की इजाजत दी जाय, जिससे देश में बेरोजगारी न फैले, तभी यह समझा जायेगा कि देश की सरकार जनहित में काम कर रही है, पूँजीपतियों के हित में नहीं।

पोस्ट ऑफिस बनते हुए प्रशासनिक कार्यालय

जैसे-जैसे लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं, वैसे-वैसे प्रशासन की जड़े कमजोर हो रही हैं। समाज में गलत काम करने वालों पर कोई प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है, समाज में गलत काम करने वाले लोगों ने लोकतन्त्र पर गाँव से लेकर घर तक कब्जा कर लिया है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी उन पर रोक-टोक लगाता है, तो वे तुरन्त नेता नगरी से मिलकर उस सरकारी कर्मचारी का स्थान बदलवा देते है। इस कारण परेशान होकर अब ज्यादातर प्रशासन के लोग पोस्ट ऑफिस की तरह काम करने लगे हैं। हर कोई नीचे की रिपोर्ट को ऊपर और ऊपर के आदेश को नीचे भेज दे रहा है, अब तो ज्यादातर अधिकारी कोई स्पष्ट आदेश भी नहीं देते। हर कागज को उचित कार्यवाही हेतु नीचे के अधिकारी को भेज देते हैं। वह अधिकारी भी उचित कार्यवाही के लिए उसे अपने मातहत के पास भेज देता है।

पेशबन्दी का यह सिलसिला इतना बढ़ गया है कि हर कोई प्रभावी ढंग से काम करने के बजाय अपना टाइम काटता नजर आता है। क्षेत्रीय नेताओं पर दबाव डालते हैं। नेता की मजबूरी है, उन्हें उन्हीं सबके समर्थन से चुनाव जीतना है, नाजायज दबाव पड़ता है, तो भी कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता, हर कोई कहता दिखाई पड़ता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ऊपर से आदेश आये थे। या फिर कह देते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम, नीचे के लोगों ने कार्यवाही कर दी होगी। इस टाल-मटोल का परिणाम यह हुआ है कि प्रशासन पंगु बना है और वे सम्मानित पदो पर बैठे हैं।

प्रशासन में ज्यादातर लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिये आते हैं, उनसे किसी समाजसेवा या सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिन असामाजिक लोगो ने बहुत से सत्ता के स्थानों पर कब्जा कर लिया है, वे आसानी से उन्हें छोड़ेंगे भी नही, तब फिर ये सुधार करेगा कौन, यह चिन्ता की बात है। ऐसे में बुद्धिजीवियो और पत्रकारों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गयी है कि वे कानून की ढिलाई, असामाजिक तत्वों के वर्चस्व और प्रशासनिक उदासीनता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार अपनी आवाज उठाते रहें।

●

विषय देश-प्रेम का

हाल में जब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने दिलीप कुमार से पाकिस्तान द्वार दिया गया सम्मान 'निशान-ए-पाकिस्तान' वापस करने को कहा था । दिलीप कुमार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबके पास गये; लेकिन इस निजी मामले मे शासन उनको क्या कहता । सब लोगों ने यही कहा, यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, इसका निर्णय तुम स्वयं लो; लेकिन दिलीप जी! सब जगह जाने के बजाय आपको पाकिस्तान से कहना चाहिये कि मेरा सम्मान पदक मुझे तब स्वीकार होगा, जब आप मेरे देश की सीमा रेखा का और देश का सम्मान करेंगे । सीमा रेखा का उल्लंघन करके देश को पाकिस्तान ने धोखा दिया और अपमान किया है । ऐसी दशा मे उनका सम्मान पदक कोई मायने नहीं रखता । इतना कहने से देश की जनता उन्हे सर आँखों में रख लेती । क्या इस मामले से उनकी छवि खराब नहीं हुई है ? उन्होंने बयान दिया है कि दोनों देशों के बीच प्रेम व्यवहार का वातावरण तैयार करवायेंगे । अगर वह कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान को क्यो नहीं समझाया, इतने जवानों के शव क्यों गिनने पड़े ? देश अरबों-खरबों रूपये के युद्ध के खर्चों में क्यों फँसा ?

आज खेल और सिनेमा जगत् की देश की जानी मानी हस्तियाँ कह रही है कि अब हम पाकिस्तान के साथ खेल नहीं खेलेंगे, किसी तरह के सम्बन्ध नही रखेगे; क्योंकि वह हमारा दुश्मन है ? यही बात बाल ठाकरे ने पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने की घोषणा के समय कही थी कि हम खेल नहीं खेलने देंगे, पिच खोद देगे । तब न तो हमारी सरकार ने उनकी बात मानी, न जनता ने । आज ठाकरे जी की बात की सत्यता उनकी दूरदृष्टि सबके सामने आ गयी। देश को जावेद अख्तर, शबाना आजमी और शाहरुख खान की राष्ट्रभक्ति पर गर्व है ।

नौकरियों में स्थानान्तरण बड़े महत्त्व की चीज बन गयी है, जैसे ही किसी नेता के मन-माफिक काम नहीं हुआ, वह अपने क्षेत्र के अधिकारी का स्थानान्तरण करवाने में लग जाता है और तब तक तरह-तरह के उपाय करता है, जब तक कि कोई दूसरा मन-माफिक आदमी नहीं आ जाता, वैसे इससे फायदा भी बहुत होता है। जिस तरह से लड़ाई-झगड़ा, ईर्ष्या-द्वेष और पैसे के लिए सरकारी नौकरियो मे खीचतान होती है, अगर उसमें स्थानान्तरण की व्यवस्था नहीं है, उन स्थानों पर ये समस्या बड़ी गम्भीर रहती है । कई कालेजों में मैनेजर और प्रिन्सिपल के बीच लगातार शीतयुद्ध चलता रहता है ।

एक और रोचक बात यह है कि हर अधिकारी जब अपने कर्मचारी का स्थानान्तरण करता है, तो तुरन्त उसका पालन करवाना चाहता है । अगर किसी ने कहीं रुकने की कोई सिफारिश लगाई, तो वह इसका बहुत बुरा मानते हैं । उस कर्मचारी को बुलाकर डाँटते हैं, कहते हैं कि नेतागिरी करते हो । जहाँ ट्रान्सफर हुआ है, तुरन्त जाकर काम शुरू करो, नहीं तो सस्पेन्ड कर दूँगा; लेकिन जब उन साहब का अपना स्थानान्तरण होता है, तो वे खुद कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी सिफारिशें लगाने के लिये प्रभावशाली लोगों की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। दूसरे की समस्या को बड़ी आसानी से अनसुना कर देते हैं । जिन जगहों पर स्थानान्तरण पर कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ भी कई ऐसे लोग हैं कि वहाँ से नहीं जाना चाहते । कम महत्त्व की जगहों पर भी लोग पहले तो जाना नहीं चाहते; लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ऐसा जम जाते हैं कि फिर उस जगह से कहीं और जाने का मन नही बनाते, उन्हें उस जगह से भी मोह हो जाता है । धन्य है मानव का स्वभाव, जो जंगल में भी मंगल कर लेता है।

स्थानान्तरण के कई फायदे भी हैं । नये लोगों से भेंट होती है, नया काम सीखने को मिलता है । नई परिस्थितियाँ मनुष्यों को ज्यादा कर्मठ और परिश्रमी बनाती हैं लेकिन कई बड़े नुकसान भी होते हैं जिसके कारण कई लोग नई जगह

पर जाना नहीं चाहते। कुछ लोग बच्चों की पढ़ाई, नई जगह पर किराये के मकान ढूँढने के झंझट, घरेलू सामान बाँधने, ले जाने और फिर उसकी टूट-फूट की दिक्कत के कारण स्थानान्तरण पसन्द नहीं करते । एक जगह पर जब कोई आदमी स्कूल, अस्पताल, डाक्टर, धोबी, नाई, मोची, अखबार वाले, दूध वाले की व्यवस्था कर लेता है, तो उसे वही जगह सबसे व्यवस्थित लगने लगती है । नई जगह में जाने पर ये व्यवस्थायें फिर से करनी पड़ेंगी । इस डर से भी लोग स्थानान्तरण से घबराते हैं ।

स्थानान्तरण की व्यवस्था से बहुतों को बहुत लाभ भी होता है, तमाम दलाल इस काम के लिए हर खास आम पाये जाते हैं, जो स्थानान्तरण करवाने और रोकवाने के ठेके लेते हैं और इसके माध्यम से अच्छी खासी कमाई भी करते है । ऊपर के अधिकारी जैसे ही किसी पर नाराज होते हैं, अप्रिय जगह पर उसका स्थानान्तरण करके अपना गुस्सा जाहिर करते हैं । विरोधी दल प्रायः सरकार पर स्थानान्तरण उद्योग चलाने का आरोप मढ़ा करते हैं, कुछ सालों पहले तक स्थानान्तरण कम हुआ करते थे । अब धीरे-धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उसकी कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती । अब तो यहाँ तक हालत हो गयी है कि एक दिन बाद ही कई लोगों का स्थानान्तरण हो जाता है, कुछ का बदल जाता है, कुछ का रुक जाता है, जब से आदमी नौकरी शुरू करता है, तब से लेकर रिटायर होते तक स्थानान्तरण की बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती, कभी भी किसी भी कर्मचारी पर एकाएक हमला कर देती है ।

कई लोगों ने इससे बचने के नुस्खे निकाल लिये हैं, कुछ तो प्रभावशाली लोगों से दोस्ती करके रखे हैं, जो ऐसे मौकों पर उनके काम आवें । इसको सरकारी भाषा में जैक कहते हैं । कुछ दूसरे लोग ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिये कुछ पूँजी जमा करके रखते हैं और आपातकाल में उसका इस्तेमाल करके इस बीमारी से निजात पाते हैं । जब कोई मातहत किसी अधिकारी के पास जाकर अपने स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना करता है, तो कहते हैं कि अभी काम करिये, थोड़े दिन बाद एडजेस्ट कर देंगे । ऐसा कहते समय वे यह कभी नहीं सोचते कि हो सकता है, उसके पहले वे स्वयं कहीं एडजेस्ट हो जाँय इस मामले में सबसे उदार कौम है नेताओं की

नौकरियों में स्थानान्तरण बड़े महत्त्व की चीज बन गयी है, जैसे ही किसी नेता के मन-माफिक काम नहीं हुआ, वह अपने क्षेत्र के अधिकारी का स्थानान्तरण करवाने में लग जाता है और तब तक तरह-तरह के उपाय करता है, जब तक कि कोई दूसरा मन-माफिक आदमी नहीं आ जाता, वैसे इससे फायदा भी बहुत होता है। जिस तरह से लड़ाई-झगड़ा, ईर्ष्या-द्वेष और पैसे के लिए सरकारी नौकरियो मे खीचतान होती है, अगर उसमें स्थानान्तरण की व्यवस्था नहीं है, उन स्थानों पर ये समस्या बड़ी गम्भीर रहती है । कई कालेजों में मैनेजर और प्रिन्सिपल के बीच लगातार शीतयुद्ध चलता रहता है ।

एक और रोचक बात यह है कि हर अधिकारी जब अपने कर्मचारी का स्थानान्तरण करता है, तो तुरन्त उसका पालन करवाना चाहता है । अगर किसी ने कहीं रुकने की कोई सिफारिश लगाई, तो वह इसका बहुत बुरा मानते हैं । उस कर्मचारी को बुलाकर डाँटते हैं, कहते हैं कि नेतागिरी करते हो । जहाँ ट्रान्सफर हुआ है, तुरन्त जाकर काम शुरू करो, नहीं तो सस्पेन्ड कर दूँगा; लेकिन जब उन साहब का अपना स्थानान्तरण होता है, तो वे खुद कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी सिफारिशें लगाने के लिये प्रभावशाली लोगों की परिक्रमा शुरू कर देते हैं । दूसरे की समस्या को बड़ी आसानी से अनसुना कर देते हैं । जिन जगहों पर स्थानान्तरण पर कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ भी कई ऐसे लोग हैं कि वहाँ से नहीं जाना चाहते । कम महत्त्व की जगहों पर भी लोग पहले तो जाना नहीं चाहते; लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ऐसा जम जाते हैं कि फिर उस जगह से कहीं और जाने का मन नही बनाते, उन्हें उस जगह से भी मोह हो जाता है । धन्य है मानव का स्वभाव, जो जंगल में भी मंगल कर लेता है।

स्थानान्तरण के कई फायदे भी हैं । नये लोगों से भेंट होती है, नया काम सीखने को मिलता है । नई परिस्थितियाँ मनुष्यों को ज्यादा कर्मठ और परिश्रमी बनाती है लेकिन कई बड़े नुकसान भी होते है जिसके कारण कई लोग नई जगह

पर जाना नहीं चाहते। कुछ लोग बच्चों की पढ़ाई, नई जगह पर किराये के मकान ढूँढने के झंझट, घरेलू सामान बाँधने, ले जाने और फिर उसकी टूट-फूट की दिक्कत के कारण स्थानान्तरण पसन्द नहीं करते । एक जगह पर जब कोई आदमी स्कूल, अस्पताल, डाक्टर, धोबी, नाई, मोची, अखबार वाले, दूध वाले की व्यवस्था कर लेता है, तो उसे वही जगह सबसे व्यवस्थित लगने लगती है । नई जगह में जाने पर ये व्यवस्थायें फिर से करनी पड़ेंगी । इस डर से भी लोग स्थानान्तरण से घबराते हैं ।

स्थानान्तरण की व्यवस्था से बहुतों को बहुत लाभ भी होता है, तमाम दलाल इस काम के लिए हर खास आम पाये जाते हैं, जो स्थानान्तरण करवाने और रोकवाने के ठेके लेते हैं और इसके माध्यम से अच्छी खासी कमाई भी करते हैं । ऊपर के अधिकारी जैसे ही किसी पर नाराज होते हैं, अप्रिय जगह पर उसका स्थानान्तरण करके अपना गुस्सा जाहिर करते हैं । विरोधी दल प्राय: सरकार पर स्थानान्तरण उद्योग चलाने का आरोप मढ़ा करते हैं, कुछ सालों पहले तक स्थानान्तरण कम हुआ करते थे । अब धीरे-धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उसकी कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती । अब तो यहाँ तक हालत हो गयी है कि एक दिन बाद ही कई लोगों का स्थानान्तरण हो जाता है, कुछ का बदल जाता है, कुछ का रुक जाता है, जब से आदमी नौकरी शुरू करता है, तब से लेकर रिटायर होते तक स्थानान्तरण की बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती, कभी भी किसी भी कर्मचारी पर एकाएक हमला कर देती है ।

कई लोगों ने इससे बचने के नुस्खे निकाल लिये हैं, कुछ तो प्रभावशाली लोगों से दोस्ती करके रखे हैं, जो ऐसे मौकों पर उनके काम आवें । इसको सरकारी भाषा में जैक कहते हैं । कुछ दूसरे लोग ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिये कुछ पूँजी जमा करके रखते हैं और आपातकाल में उसका इस्तेमाल करके इस बीमारी से निजात पाते हैं । जब कोई मातहत किसी अधिकारी के पास जाकर अपने स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना करता है, तो कहते हैं कि अभी काम करिये, थोड़े दिन बाद एडजेस्ट कर देंगे । ऐसा कहते समय वे यह कभी नहीं सोचते कि हो सकता है, उसके पहले वे स्वयं कहीं एडजेस्ट हो जाँय इस मामले में सबसे उदार कौम है नेताओं की

जो शायद ही किसी को मना करते हों, बड़े सेवाभाव से हर किसी के लिये यथावांछित स्थानान्तरण करने या रुकवाने के लिये पत्र लिखते हैं, फोन करते रहते हैं, भले ही उनकी सिफारिश मानी जाय या न मानी जाय। कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं, जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, विभागीय अधिकारी ऐसी जगहों पर नयी भर्ती, प्रोन्नति पाने वाले और सजा पाने वाले कर्मचारियों को भेजते रहते हैं। हर विभाग में ऐसे कुछ गड्ढे होते हैं, जिसमें लोग डाले जाते हैं और फिर वे जुगाड़ लगाकर वहाँ से निकलते रहते हैं। ये गड्ढे प्रायः या तो छोटे और सुदूर जगहों पर होते हैं या बहुत रूखे होते हैं, पर इन गड्ढों की भी बड़ी उपयोगिता है।

ये सारे लोगों को घुमाते रहते हैं, वरना हर कोई अपनी जगह पर रुक जायेगा। ज्यादातर विभागों ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गयी है कि वे अपने कर्मचारियों का स्थानान्तरण किन पदों पर किस आधार पर करेंगे, इसीलिए उनको अपने मन-माफिक काम करने की पूरी छूट है। कई अनुभवी लोग बताते हैं कि नियम बनाने से पावर कम हो जाता है और जो भी हो, स्थानान्तरण स्थानों के परिवर्तन के साथ नौकरियों में और कर्मचारियों में गति तो बनाये ही रखता है। चाहे वह जनहित में हो या निजी हित में, कहा यही जाता है कि स्थानान्तरण जनहित में हुआ है।

●

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ और बेरोजगारी

अपने देश के बहुत से नेता, अफसर और बुद्धिजीवी यह समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय बड़ी कम्पनियों के आ जाने से देश का बड़ा भारी आर्थिक विकास हो जायेगा, इसके लिए केन्द्र सरकार और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमन्त्री इस बात के लिए प्रयास करते रहते हैं कि पश्चिमी अमीर देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुलाया जाय कि वे बड़ी-बड़ी फैक्टरियाँ हमारे देश में खोल दें, जिससे देश की आर्थिक तरक्की हो जाय ।

हम गौर से देखें कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से किसको कितना फायदा होता है, ये कम्पनियाँ ऐसे सामानों का उत्पादन करती हैं, जिनके ग्राहक समाज के अमीर लोग होते हैं; क्योंकि उनके द्वारा कम्पनी को ज्यादा फायदा होता है, जैसे कार, टेलीफोन, फ्रिज, सौन्दर्य प्रसाधन, अच्छे किस्म के लिखने-पढ़ने या शौक के सामान, जिनके ग्राहक अमीर लोग होते हैं, उसमें कम्पनी का ज्यादा फायदा होता है । इसके विपरीत ऐसे सामान, जो गरीबों के काम आते हैं, उनमें लाभ का प्रतिशत बहुत कम रहता है, जैसे सस्ता कपड़ा, खेती के औजार, नमक,मसाले, साइकिल आदि, गरीबों के खाने-पीने की चीजें इत्यादि ।

इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ज्यादातर ऑटोमेटिक मशीनों से काम करती है, क्योंकि मशीन से बना सामान सस्ता पड़ता है, उसमें महीनावार मजदूरी की तरह कोई तनख्वाह नहीं देनी पड़ती । केवल बिजली, डीजल, पेट्रोल आदि से ये मशीने चलाई जाती हैं, जिसके कारण उनमें उत्पादन की लागत कम आती है, उत्पादन की लागत कम आने से वह सामान सस्ते पड़ते हैं और बाजार में तेजी से बिकते है । स्थिति यह है कि करोड़ों रूपये के कीमत की फैक्टरी में केवल ३०-३२ आदमी काम करते हैं । ऐसी कम्पनियों के मालिक काम करने के लिए मजदूर नहीं रखना चाहते, ताकि वे यूनियन न बनायें, झगड़ा-झंझट न करें, मशीन बिगड़ जायेगी, तो बनवा लिया जायेगा, लेकिन मजदूर अपना संगठन बनाकर धरना-प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने लगते हैं तो कारखाने बन्द हो जाते हैं यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि

मशीनें हजारों लोगों का काम कुछ घण्टों में कर डालती हैं और वे हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, जो इस काम में लगे हुये हैं। उन सबके जरिये करोड़ों के हाथ का काम छिन चुका है। अगर यही काम छोटे-छोटे लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगो मे किया जाता, तो करोड़ों लोगों को काम मिल सकता था, इससे भी खराब बात यह है कि बड़ी कम्पनियों का जो मालिक होता है, सारा फायदा उसी को होता है, जो लघु या कुटीर उद्योग खुलते हैं, उनमें लाखों लोग काम करते हैं और उनमें होने वाली आमदनी उन लाखों-करोड़ों मालिकों और मजदूरों को मिल जाती है, जिससे उनके परिवार की समृद्धि होती है। सरकार की जो गरीबी दूर करने की योजना है, उसके हिसाब से लघु उद्योग का खोला जाना ही समाज और देश के हित में है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ टेलीविजन, अखबार और प्रचार माध्यमों के द्वारा करोडो रूपया प्रचार के काम में खर्च करती हैं, चारों ओर ऐसा माहौल बना देती हैं, जिससे यह लगने लगता है कि केवल उन्हीं कम्पनियों का बनाया हुआ माल सबसे अच्छा है। इस प्रचार युद्ध के कारण लाखों लोग केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बनाये हुए सामान को ही अच्छा समझते हैं और मँहगें दाम देकर उसे ही खरीदने लगते हैं, जैसे अकल चिप्स, मैंगो न्यूटल्स जैसी चीजें प्रचार के कारण अपनी लागत के दस गुने ज्यादा मूल्य पर बिकती हैं, दूसरा नुकसान यह होता है कि लधु उद्योग में बना हुआ अच्छा सामान भी नहीं बिक पाता; क्योंकि उसके पास प्रचार करने के लिए भारी रकम नहीं होती। इस प्रकार से छोटी कम्पनियों के माल की माँग न हो पाने के कारण लघु उद्योग मरने लगते हैं।

अब एक और प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने शुरू कर दी है, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, वे छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को लगाकर काम करने वाली कम्पनियों से यह सौदा करते हैं कि वे अपना माल बनाकर बेचने के बजाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दे दिया करें और बड़ी कम्पनियों के ब्राण्ड के नाम से ही छोटी कम्पनियों का सामान भी बिकने लगता है। इस प्रकार धीरे-धीरे बाजार में छोटे और मझोले उद्योगों की पहचान खत्म हो जाती है। केवल ३-४ बड़ी कम्पनियों के ही माल लोग जानते हैं और जब छोटी-छोटी कम्पनियों को ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ

बाजार से उखाड़ देती है फिर मनमाने दाम लेने लगता है बाजार के ग्राहकों के पास भी और कोई रास्ता नहीं रह जाता । बड़ी कम्पनियों की यह बहुत ही खराब बात है कि वे केवल अपना व्यवसाय नहीं बढ़ातीं, बल्कि दूसरी छोटी कम्पनियों को खत्म भी करती हैं ।

अब जरा पूँजी संग्रह करने के तरीके पर नजर डालें । छोटे उद्योगों के मालिक प्रायः अपनी और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों आदि की बचत की पूँजी लगाकर अपना उद्योग खोलते हैं; परन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बैंकों से करोड़ों रूपया सस्ते ब्याज दरो पर उधार ले लेती हैं या फिर बाजार में शेयर बेचकर दूर-दूर से मध्यमवर्गीय लोगो से करोड़ों रूपये इकट्ठा कर लेती हैं । इन शेयर खरीदने वालों का कम्पनी पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता है, न ही वे इसके प्रभावी रूप से भागीदार होते हैं । किसी न किसी बहाने ये बड़ी कम्पनियाँ सारा फायदा अपने लिए बटोर लेती हैं और लाभ का थोड़ा-सा हिस्सा शेयर धारकों को भेज देती हैं । बहुत-से शेयर धारकों के मरने या भूल जाने के बाद उनका भी पैसा ये कम्पनियाँ हजम कर जाती हैं, इसी प्रकार जनता के पैसे पर यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ बढ़ती चली जा रही हैं ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने प्रबन्धकों और सीमित काम करने वाले वितरको और डीलरों को काफी अच्छी रकम देती हैं, जिसके कारण वे इनकी पैरवी में खडे रहते हैं, जहाँ तक कि क्षेत्र के प्रमुख राजनैतिक व्यक्तियों और अधिकारियों को भी तरह-तरह के उपहार और सामान देकर ये उन्हें अपने पक्ष में मिला लेती हैं । इसके कारण हर प्रभावशाली व्यक्ति उनके पक्ष में बोलने लगता है । बहुत से मध्यमवर्गीय लोगों को ये उम्मीद हो जाती है कि उनके बेरोजगार लड़के इन कम्पनियों में जाकर ५० हजार से एक लाख रूपये तक की कमाई कर सकेंगे, भले ही हजार-दो हजार लोगों को ही इसका फायदा मिले; लेकिन लाखों मध्यमवर्गीय लोग इसी उम्मीद मे इन कम्पनियों का विरोध नहीं करते कि हो सकता है कि उनके लड़के ही लम्बी तनख्वाह पाने वाली नौकरी इन कम्पनियों में पा जाँय ।

ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं कि वे विभिन्न प्रकार के करों जैसे उत्पादन-कर, आयकर, बिजली का भुगतान आदि की बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं और सम्बन्धित कार्यालयो में रिश्वत देकर कानूनी कार्यवाही से बचते

रहते हैं उनकी हैसियत इतनी बढ़ जाती है कि देश के कर्णधार इनके घरों पर आने-जाने लगते हैं और शासन के नियन्त्रण में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उन पर कार्यवाही करें ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से देश के बहुत ही सीमित लोगों का फायदा होता है, ये देश की राजनीतिक व्यवस्था को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए तरह-तरह के हथकण्डे अपनाते हैं । मन्त्रियों, सचिवों और जिम्मेदार लोगों के लड़कों को नौकरी या वजीफा के नाम पर विदेशों में भेज देते हैं, अच्छी तनख्वाहों की नौकरियाँ भी दे देते हैं; लेकिन उनसे अपने फायदे में ऐसे निर्णय करवाते हैं, जो देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत ही घातक होता है । प्रायः ऐसे कदम श्रमिक हितों के विपरीत पर्यावरण नियमों की शिथिलता, बैंकों के ऋणों को वापस करने में ढिलाई, सरकारी करों में भारी छूट तथा उत्पादन क्षमता और बढ़ाने से सम्बन्धित होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावों में चन्दा देकर ये कम्पनियाँ उनसे संसद और विधानसभाओं में अपने पक्ष में सवाल उठवाते हैं, उनसे अपने पक्ष में निर्णय करवाते हैं और इसका सीधे नुकसान अपने देश की छोटी कम्पनियों को होता है ।

अगर देश की बेरोजगारी और गरीबी की समस्या को दूर किया जाना है, तो उसके लिये लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है और बहुराष्ट्रीय तथा बड़ी कम्पनियों पर रोक लगाना भी आवश्यक है; क्योंकि अब शेर और बकरी एक घाट में पानी नहीं पी सकते, पहरेदार इतने चुस्त हैं कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी लें और फिर शेर बकरी को न खा जाय । भारी उद्योग वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उन्हीं क्षेत्रों में काम करने की छूट दी जानी चाहिए, जो काम लघु और कुटीर उद्योगों में न सम्भव हों, जैसे लोहे से स्टील बनाना, खदानों की खुदाई या हवाई जहाजों, तोपों जैसी बड़ी मशीनों का निर्माण; परन्तु इन मशीनों के भी छोटे-छोटे पुर्जे लघु और कुटीर उद्योगों के द्वारा ही बनाये जाने चाहिये। लघु उद्योगों से एक ओर जहाँ बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी, वहीं अपने देश के श्रम से पैदा किया गया सामान भी देश में रहेगा और सारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत हो सकेगी ।

●

महिलाओं को हक क्यों दें

जब देखो सब महिलाओं के बड़े-बड़े पैरोकार कहते हैं कि दहेज-प्रथा बन्द कर दी जाय। मुझको अफसोस होता है कि ये महिलाओं के पैरोकार ऐसा कहकर किसका फायदा कराना चाहते हैं, वे कहते रहते हैं कि दहेज के कारण लड़कियों के बाप परेशान रहते हैं, शादियाँ नहीं कर पाते हैं। मुझे ताज्जुब यह लगता है कि वे यह क्यों नहीं कहते कि महिलाओं को भी कुछ जमीन-जायदाद, मकान-दुकान और सम्पत्ति के अधिकार दे दिये जाँय, ताकि उनकी सामाजिक हैसियत में कुछ बढ़ोत्तरी हो, इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि वे महिलाओं के बारे में कम चिन्तित है, उनके बापों की चिन्ता उनको ज्यादा है।

जब से यह कानून बना कि अगर कोई औरत को छोड़ेगा, तो दहेज का सामान वापस देना पड़ेगा, तब से कम से कम इतनी तो गारंटी हो गयी कि अगर शादी टूट भी जाय, तो कम से कम औरत के पास उसका दहेज में मिला सामान रहेगा। अगर दहेज की प्रथा बन्द हो गयी और किसी लड़की की शादी टूट गयी, तो फिर वह कहीं की न रही। कहने को चाहे जो कहे कि हमारे समाज में नारियाँ पूजी जाती रही हैं; लेकिन घरों की औरतों की जो हैसियत होती है, वह सबको पता है, वैसे यह तो सही है कि कई औरतें अपने पति को भी दबाकर रखी हैं; लेकिन जब झगड़ा हो ही जाता है, तो किसी पति को घर से निकाले जाते तो हमने नहीं सुना, औरतें ही घर से निकाली जाती हैं।

यह भी ताज्जुब की बात है कि देश के कानून इतने ढीले हैं कि न तो बाप की जायदाद में लड़की को कोई हक मिलता है, न ही पति के सम्पत्ति में उसका कोई हिस्सा होता है। कहने को महिलाओं की रक्षा के लिये तमाम नये-नये कानून बनाये गये; लेकिन आज भी जब कई औरतें पतियों के द्वारा घर से निकाल दी जाती है, तो देश का कानून उन्हें अधिकतम पाँच सौ रूपये महीने गुजारा भत्ता दिला सकता है अब आप ही बताइये कि पाँच सौ रूपये महीने में एक औरत अपना घर और रहने का खर्च कैसे चला सकती है और पाँच सौ रूपये गुजारा भत्ता पाने के लिए

भी सालो तक औरत को फेमली कोर्ट क चक्कर लगान पड़ते हैं अगर पक्ष मे डिग्री हो जाती है, तो भी प्रायः कुछ महीने बाद पूर्व पति गुजारा भत्ता देना बन्द कर देता है, अभी तक कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बना कि जो गुजारा भत्ता मिलता है, वह एक बार में पति की सम्पत्ति से औरत के हक में दिला दिया जाय, ताकि ये बार-बार की भाग-दौड़ समाप्त हो जाय ।

सबसे अच्छा तो यह होगा कि पिता की सम्पत्ति में ही हर लड़की को बराबर का हिस्सा मिल जाय, ताकि फिर उसके लिये दहेज की कोई व्यवस्था न करनी पड़े । चाहे तो वह अपने हिस्से की सम्पत्ति बेचकर अपनी आर्थिक मजबूती कर ले या फिर अपनी सम्पत्ति मायके में बनाये रखे अथवा बेच दे । बहुत से लोग यह कहते हैं कि इससे बहनो और भाइयों के रिश्ते दूर हो जायेंगे; लेकिन अगर देश की ५० प्रतिशत आबादी को स्वतन्त्र और मजबूत बनाना है, तो यह निर्णय तो करना ही उचित है । जब भाइयो-भाइयों के बीच सम्पत्ति का बँटवारा होता है, तो उसमें भी यदा कदा विवाद हो जाता है, तो इस आधार पर औरतों का हक नहीं मारा जाना चाहिए ।

महिला उत्पीड़न जब तक नहीं रोक सकते, तब तक औरत आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, पिता की सम्पत्ति में हक देने के अलावा पुनर्विवाह की प्रथा को भी बढ़ावा देने की जरूरत है । अगर किसी औरत की शादी टूट जाय, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति से शादी के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वह शेष जीवन उसके साथ बिता सके । भारतीय समाज की यह प्रथा ठीक नहीं है, जिसमें औरत को छोड़ दिया जाता है; लेकिन उसके पुनर्विवाह को खराब माना जाता है । इसी तरह औरतों को भी अब सीमित बच्चे पैदा करके सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन में सक्रिय होना चाहिए । उन्हें भी पढ़-लिखकर सार्वजनिक जीवन में आना पड़ेगा, वरना घर के अन्दर केवल चूल्हे-चक्की और बच्चों की परवरिश तक अगर केवल सीमित रहेगी, तो स्वाभाविक है कि समाज मे महिलाओं का स्थान पुरुषों के बराबर सम्मानजनक नहीं हो सकता ।

दिक्कत यह है कि औरत को अभी भी बहुत से लोग इज्जत के साथ जोड़ते है, जैसे ही व १७-१८ साल की हुई, उसको मानसिक रूप से शादी करके घर-गृहस्थी का काम देखना बच्चे पैदा करना और उनकी परवरिश करने के काम मे

लगा दिया जाता है और अगर वे सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, तो उनके माता-पिता-भाई ही प्रायः उसका विरोध करने लगते हैं । हमें अपने इन दकियानूसी एवं अप्रासंगिक मूल्यों को बदलकर महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन के कामों में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए और जब वे समाज में आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो जाँय, तभी उनकी शादी की बात सोची जानी चाहिये।

यद्यपि अलग-अलग नौकरी पेशा करने वाले बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो पाती और कई बार पारिवारिक जीवन भी संकट में पड़ जाता है; लेकिन उसका समाधान यह तो नहीं कि जिन्दगी भर के लिये औरत घर के अन्दर बन्द हो जाय, उसकी सारी प्रतिभा कुंठित हो जाय, कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ औरतें अपने पारिवारिक कैरियर सम्बन्धी दायित्वों को साथ-साथ बखूबी से निभा सकती हैं, जैसे विद्यालयों में अध्यापन कार्य या अस्पतालों में सीमित समय के लिये चिकित्सा सम्बन्धी कार्य, अगर पूरे समय की नौकरी या काम न भी करना चाहें, तो उन्हें अपनी पसन्द के अनुसार कुछ घंटे का सामाजिक, आर्थिक कार्य तो करना ही चाहिये, इससे उनकी आर्थिक मजबूती भी होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी ।

बधाई

अभी भी केवल अपराधियों के राजनीति में हावी हो जाने को लेकर जगह-जगह बेवा-विलाप होता रहता है, बधाई हो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओ को, जिन्होंने इस दिशा में एक कदम तो बढ़ाया है, उन्होंने नियम बनाया है कि पार्टी के संगठन के किसी पद के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हों, होना तो इसके आगे चाहिए कि पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सदस्य नहीं बनायेगी, जिसके खिलाफ अदालतो मे मुकदमे चल रहे हों, जिसकी देश के कानून के प्रति निष्ठा ही सन्दिग्ध हो तथा जो आपराधिक मानसिकता के हों, वे शासन में बैठकर इस देश का बहुत बडा अहित कर रहे हैं।

देश के शासन में उसी व्यक्ति को बैठाया जाना चाहिए, जिसका देश के कानून में पूरा विश्वास हो, देश के कानून की कमजोरी का फायदा लेकर अपराधी पहले से राजनीति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक उन्हें सजा न मिल जाय, उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता और सजा तो उन्हें मिलेगी ही नहीं या तो गवाहों को खरीद लेंगे या डरा-धमकाकर तोड़ लेंगे या फिर अदालत मे किसी न किसी को घूस देकर फाइल गायब करा देंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता सजा हो भी गयी, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देंगे और कहेंगे कि अभी तो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, चुनाव आयोग ने भी इस बारे में अपनी चिन्ता जताई है; लेकिन इस मामले में केवल चिन्ता जताने का समय नहीं है। अपराधी दर्जनों की संख्या में शासन में पहुँच गये हैं और नागरिकों को उनसे कोई न्याय नहीं मिल सकता। ये मन्त्री अपने पद का दुरुपयोग कर अपने अपराधों के गवाहों को तोड़ने और न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने में लगे रहे हैं। लोगो का देश की व्यवस्था से भरोसा उठ रहा है।

नवयुवकों को अपराध करके पैसा कमाने और बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतने की लालसा बढ़ गयी है पुराने अपराधी जब मन्त्री हो जा रहे है तो उनक

इर्द-गिर्द उनके गिरोहों के सदस्य सचिवालयों में पहुँचकर धौंस पट्टी जमा रहे हैं। उनकी मनमानी करने की प्रवृत्ति से बीच-बीच में दफ्तरों में मार-पीट की घटनायें होने लगी हैं। पुलिस और प्रशासन को मनमाफिक बदली कराने में कई अपराधी सफल हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाये रखने वाली मशीनरी का मनोबल टूट रहा है। कई विधानसभाओं में भारी संख्या में अपराधी पहुँच गये हैं, इसके पहले कि वह संसद में बहुमत में पहुंच जाँय और सारी शासन व्यवस्था पर कब्जा कर ले, यह बहुत जरूरी है कि कानून में ऐसा परिवर्तन किया जाय कि साफ-सुथरी छवि के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकें।

चुनाव आयोग द्वारा नामित व्यक्ति इस बात का पता लगायेंगे कि कोई प्रत्याशी बेईमान, अपराधी अथवा राष्ट्र-विरोधी तो नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनाव न लड़ सके, जिसके ऊपर यह आरोप हो कि उसने देश का कोई कानून तोड़ा है और मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। जो नुकसान हो गया, वह हो गया, कम से कम अब आगे के लिये कानून बना दिया जाय कि अब अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमों में आरोप-पत्र न्यायालय में जायेगा, तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जायेगा। भले ही इससे कुछ व्यक्तियों को नुकसान होगा, लेकिन राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण हो जायेगा।

ठाकुर साहब का चमरौटी भ्रमण

ठाकुरद्वारे के ठाकुर साहब को पता चला कि चमरौटी बस्ती के चमारों की धीरे-धीरे बड़ी तरक्की होती जा रही है, फिर लोकतन्त्र का जमाना आ गया है, हर मीटिंग, पंचायत में वोट पड़ने लगा है, तो चमरौटी को भी मिलाकर रखना चाहिए, इसलिए ठाकुर साहब ने अपनी चमरौटी यात्रा का कार्यक्रम घोषित कर दिया। उनकी इस यात्रा की जितनी चर्चा ठाकुरद्वारा में नहीं थी, उससे अधिक चर्चा चमरौटी मे होने लगी कि ठाकुर साहब किसके-किसके यहाँ जायेंगे, किसके-किसके यहाँ नाश्ता व खाना खायेंगे। राजा साहब को कैसे खुश किया जाय, सभी में होड़ लग गयी।

चमरौटी के प्रधान जी ने जोर लगाया कि ठाकुर साहब पासियों की बस्ती मे न जाँय, ये पासी बड़े लड़ाकू, झगड़ालू और आतंकवादी हैं, कोई न कोई झंझट लगाये रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने चमरौटी की एक गाड़ी का अपहरण कर लिया था। ठाकुर साहब को समझाया गया कि पासी बहुत कट्टर हैं, मेड़-डाँड़ का झगड़ा हरदम लगाये रहते हैं। कुछ दिन पहले जब चमरौटी में नई बन्दूक आयी थी, ठाकुर साहब को बड़ा नागवार गुजरा, उन्होंने घूम-घूमकर पंचायतों में कहा कि इससे तो सारे गाँव की शान्ति भंग हो जायेगी। खानदानियों के पास पहले से जो बन्दूके है, वे रहेंगी, नया कोई आदमी बन्दूक नहीं खरीदे; लेकिन जब चमरौटी वालो ने जोड़-गाँठकर बन्दूक खरीद ली, उनकी देखादेखी पासी टोला वाले भी एक बन्दूक माँगकर ले आये। साल भर तक तो ठाकुर साहब ने दोनों गाँवों का हुक्का-पानी बन्द कर दिया; लेकिन जब लगा कि इससे तो उन्हीं का नुकसान है। ठाकुर साहब ने अपनी जिद छोड़कर चमरौटी भ्रमण का प्रोग्राम बना डाला।

पासी टोला के लोग भी ठाकुर साहब के पास पहुँचे कि साहब अगर उस चमरौटी मे आवें, तो उनके यहाँ भी आवें, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। आखिर ठाकुर साहब को सन्तुलन का भी ध्यान रखना था, तो उन्होंने पासी टोले को भी कहा कि खडे-खडे पाँच मिनट के लिये वहाँ भी हो लेंगे; लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दे दी कि पासी टोला में जल्दी ही चुनाव करावो; क्योंकि जिस तरह वहाँ के पुराने प्रधान को गिरफ्तार करके दरोगा जी खुद प्रधान बन गये हैं, यह रवैया ठीक नहीं है। उन्होने प्रस्तावित किया कि दोनों गाँवों के बीच झगड़े के मामले में वह चौधरी का काम करेंगे, लेकिन करें क्या, जब से चमरौटी में बन्दूक हो गयी है, बड़ा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई ऐसी बात न होने पाये कि ठाकुर साहब बिदक जॉय

जस्सू माई प्रधान जी के खास पंचायत सदस्य हैं, जिनकी सालों की मेहनत से ठाकुर साहब आने को तैयार हुए हैं, वह सारे इन्तजामात को देख रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब ठाकुर साहब का व्यापार इस गाँव में खूब फैलेगा, लोग बड़े खुश है कि गरीबों और बेरोजगारों की इस बस्ती में भी कुछ लोगों को रोजगार मिल जायेगा।

जब गुरु जी को लगा कि कारगिल मुद्दा कुछ फीका हो रहा है, बेरोजगारी बढती ही जा रही है, तो पब्लिक का ध्यान बाँटने के लिए गुरु जी ने आनन-फानन मे संगीत समीक्षा-राग अलापना शुरू कर दिया। जैसे ही आधी लाइन पूरी हुई, बाकी सारे साजिन्दे भी सिर हिला-हिलाकर तबला, हारमोनियम और डफली बजाने लगे। जैसे ही आडीटोरियम धीरे-धीरे भरने लगा, शहर के छटे शोहदे, लोफर और उठाईगीर नगाड़े का आवाज सुनकर इकट्ठा हो गये, सब नौटंकीबाज अपने-अपने राग अलापने लगे, ग्वाला सिंह चिल्लाये ये कैसी संगीत समीक्षा है, ऐसा नगाड़ा सुनकर तो हमारी भैंस समुद्र पार भाग जायेगी, वे तो केवल बीन सुनकर पगुराती है, कामरेड चीखने लगे, यह संगीत नहीं चलेगा, इस नगाड़े का भगवा रंग है, हम इसके ऊपर लाल चदरा बाँध देंगे, तब इसका संगीत सुनेंगे।

एक मेम साहब चिल्लाईं, ये संगीत तो केवल एक बहाना है, स्टेज को इतने दिनों से इन लोगों ने घेर रखा है, हम इतने दिनों से अपना साज-बाज लेकर बैठी है, ये हमने बचपन से वायलिन और मण्डोलिम बजाया है, इस हाल की पब्लिक को बहुत पसन्द आयेगा। ये घरीघण्ट बजाने वाले पब्लिक को बरबाद कर देंगे, जब उन्हें किसी ने नहीं सुना, तो उन्होंने मंच के सामने जमीन पर बैठकर जोर-जोर से मण्डोलिम और वायलिन बजाना शुरू कर दिया, तभी एक दाढ़ी वाले मंच से नीचे कूदे, और लगे चिल्लाने कि मैं तो बड़ी देर से इनसे कह रहा हूँ घरीघण्ट न बजाओ, शख बन्द करो, लेकिन हारमोनियम और नगाड़े की आड़ में ये चोरी-चोरी घंटा-घड़ियाल भी बजा रहे हैं, तभी बहुत-सी घंटियों की आवाज आयी, मैडम ने सोचा शायद चर्च की घंटियाँ गूँजी होंगी, तभी बीच से एक फटे बाँस की बांसुरी की बेसुरी आवाज उभरी, यह सब गाना बन्द करो, हमारी भैंसों की घंटियाँ सुनो, इनके दूध की धार में जो संगीत है, वह कहीं नहीं। इसी को पीकर कृष्ण कन्हैया बाँसुरी बजाते थे। एक तरफ से आर्केष्ट्रा की आवाजें गूँजी। चारों तरफ से इतने बाजे बजने लगे कि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा और निर्णायक गणों ने कह दिया कि अब कोई कार्यवाही रिकार्ड न की जाय।

देश के विकास हेतु नीतियाँ बदलें

अपने देश के सभी लोग चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म या जाति के हों, कहते है कि देश का विकास होना चाहिए, आर्थिक तरक्की भी होनी चाहिए । देश मे ससाधनों और आदमियों की कमी नहीं है, अगर कमी है, तो ऐसी नीतियों और उनके पालन कराने की, जिनसे किसी देश का विकास होता है । जो लोग आबादी बढने का रोना रोते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अगर देश के करोड़ों लोगो को सही ढंग से शिक्षित और प्रशिक्षित कर दिया जाय, उनसे देश की मजबूती के लिए काम कराया जाय, तो यही आबादी देश के विकास का बहुत बड़ा संसाधन बन सकती है । दुर्भाग्य यह है कि हमारे नियोजनकर्ता यही नहीं जानते कि देश का विकास सचमुच कैसे हो सकता है। एक तरफ वह स्कूलों की फीस बढ़ाने नहीं देते, दूसरी तरफ अध्यापकों की तनख्वाहें बढ़ाते चले जाते हैं । स्कूलों के भवन बनाने के लिए कोई इन्तजाम नहीं हो पाता, फिर स्कूलों और कालेजों की तरक्की कैसे होगी ।

इसी तरह अस्पतालों में सस्ती और मुफ्त दवायें देकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया जाता है । डॉक्टरों की तनख्वाह ज्यादा है, मरीजों से ली जाने वाली फीस बहुत कम है, फिर अस्पताल अच्छी तरह से कैसे चलेंगे । बिजली काफी सस्ते दर पर लोगों को दी जाती है और उससे भी ज्यादा चोरी हो रही है । बिजली बोर्ड घाटे में है, जब तक बिजली बोर्ड फायदे में नहीं होगा, कोई उसमें अपना पैसा क्यो लगायेगा । सरकार यह घाटा कब तक पूरा करेगी और घाटे की अर्थव्यवस्था अव्यवस्था को ही पैदा करेगी । एक ओर सरकार गन्ने का दाम बढ़ाती चली जाती है, ताकि किसान खुश हो जाँय, दूसरी ओर चीनी का दाम बढ़ाने नहीं देती, ताकि शहरी मध्यम वर्ग के लोग नाराज न हों । चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं, उत्तर प्रदेश की ग्यारह सरकारी चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं, इस प्रकार की नीतियाँ किसी के फायदे में नहीं हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने की इच्छा सारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे रही है ।

बाजार के नियम ही अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, सरकार का हस्तक्षेप विकास मे सबसे बड़ी बाधा है । सरकार को चाहिए कि इन चीजों पर इतना नियन्त्रण न लगाये, छूट केवल गरीबों को दी जाय, बाकी छात्रों से उतनी फीस ली जाय, जिससे स्कूल अच्छी तरह चल सके । मरीजों से उतना भुगतान लिया जाय, जिससे अस्पताल चल सके, चीनी उस दाम पर बेची जाय, जिससे चीनी मिलें बन्द न हो जाँय ।

बिजली चोरी को रोकने के लिये इसको भी प्राइवेट कर दिया जाय और लोगों को बाजार दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाय, जिससे नये पावर स्टेशन खुल सकें। जिस चीज में लाभ ज्यादा होता है, उसमें और ज्यादा संस्थान खुलते हैं और फिर धीरे-धीरे जब प्रतियोगिता बढ़ जाती है, तो लाभ कम हो जाता है । आर्थिक विकास स्वयं हो जायेगा, बशर्ते सरकार अति-नियन्त्रण की नीति को हटा ले ।

भारत की सबसे बड़ी समस्या : बेरोजगारी

सभी राजनीतिक पार्टियाँ तरह-तरह का वादा वोट पाने के लिए करती रहती है, परन्तु कोई पार्टी बेरोजगारी दूर करने का वादा नहीं कर रही है, या तो उनको यह समस्या ऐसी लगती है, जिसे वह ठीक नहीं कर सकते या फिर उन्हें यह समस्या ही नहीं लग रही है। कई लोग इस समस्या को हल्के-फुल्के ढंग से टाल दिया करते है, वे कहते हैं कि काम करने वाले को काम मिल जाता है, जो निकम्मे हैं, वे बेरोजगार रहते हैं। कुछ लोग यह कहकर भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि जब हमारी आबादी बढ़ रही है, तो सरकार सबको काम कहाँ दे सकती है, तीसरे कुछ अर्थशास्त्री बड़े विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष बताते हैं कि बचत की दर ६-७ प्रतिशत है, इसलिये नई चीजों में पूँजी भी इतनी लग सकती है, इसलिये बहुत तेजी से आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। ये तीनों ही बातें सही नहीं हैं, जरूरत इस बात की है कि बिना समय गँवाये हर व्यक्ति को रोजगार देने के लिये प्रत्येक जिला एवं ब्लाक के विकास अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाय।

गाँव-गाँव तक बैंक खोले गये हैं, इन बैंकों में अरबों रूपया जमा पड़ा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इन पैसों को विकास के लिए जिम्मेदार लोगो के माध्यम से जनता को दिया जाय, इस पैसे से बेरोजगार नवयुवक कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग एवं तरह-तरह के कार्य करना प्रारम्भ करें, इन सारे कामों को करने के लिये उसी के अनुरूप शिक्षा देने की जरूरत है। कालेजों मे भूगोल, समाजशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, मनोविज्ञान आदि विषयों की पढ़ायी कराने के बजाय ज्यादा जोर कृषिविज्ञान, मैनेजमेन्ट, कुटीर उद्योग, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर दिया जाय। कस्बे-कस्बे में ऐसे पॉलिटेक्निक खोले जाँय, जिसमें लड़कों को बिजली, वाहन रिपेयरिंग, गाड़ियाँ चलाना, पशुपालन एवं अन्य लघु कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाय। जो कालेज और विश्वविद्यालयों के विषय बेरोजगार लड़कों की फौज तैयार कर रहे हैं, इनको

बन्द कर देना ही समाज के हित में होगा। काम के बदले अनाज जैसी योजनायें हर कस्बे में चलाई जाँय, इनसे एक ओर तो गरीब लोगों को आमदनी होगी, दूसरी तरफ इनसे ऐसे उत्पादन के साधन पैदा हो जायेंगे, जो आर्थिक विकास में मददगार होंगे। सिंचाई के लिए नहर बनाने, सिंचाई और मछली पालने के लिए तालाब खोदना, आवागमन के लिए सड़कें बनाने या फिर सार्वजनिक लोगों के रहने के लिए घर बनाने जैसे काम इस योजना के तहत आसानी से कराये जा सकते हैं।

लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, तो काम करने से आमदनी बढ़ जायेगी, फिर सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज नियन्त्रण के कामों में खर्च करने की जरूरत नहीं रह जायेगी, लोग अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और कल्याण की चिन्ता स्वयं कर लेंगे। पत्ते-पत्ते को नहीं सींचा जाता, जड़ में पानी डाला जाता है।

हमारी शासन व्यवस्था गलती यह कर रही है, पत्ते-पत्ते को सींचने की कोशिश कर रही है, कहीं पर विकलांगों के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं, तो कहीं विधवा पेंशन अथवा वृद्धा पेंशन बाँटे जा रहे हैं, उनको भी मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जो इसके लिए फीस दे सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी करोड़ों रूपये खर्च हो रहे हैं, अब जरूरत यह है कि लोगों को दान और सहायता देने के बजाय उस पैसे से काम दे दिया जाय, ताकि वे जिन्दगी भर खुद कमायें और आत्मनिर्भर बनें। इसी में व्यक्ति, समाज और शासन सबकी भलाई है।

अपराधी कब तक राज करेंगे ?

अभी हाल में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की गिरफ्तारी सी. बी. आई द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में की गयी है । लालू को तो फिर जेल जाना पड़ा, लेकिन राबड़ी देवी जमानत कराकर फिर मुख्यमन्त्री बन गयीं । लालू प्रसाद ने बयान दे दिया है कि जब दर्जनों मुल्जिम मन्त्री बने हुए हैं, तो फिर राबड़ी देवी मुल्जिम होते हुए मुख्यमन्त्री क्यों नहीं रह सकतीं । सवाल यह है कि अब यह किसकी जिम्मेदारी है कि देश पर मुल्जिमों का राज न हो, इसका जबाब देगा भी कौन, जब मुल्जिम धीरे-धीरे सरकार बने जा रहे हैं । सी. बी. आई., डी. सी आई. या पुलिस, सरकार की ही संस्थायें हैं, जो इन मामलों की जाँच करती है। मुल्जिम किसी न किसी तरीके से पैसा खर्च करके गवाहों को तोड़कर एवं पैरवी करके सजा पाने से बच जाता है ।

देश में लाखों मुकदमे न्यायालयों में पड़े हुए हैं, जैसे किसी को कोई चिन्ता ही नहीं है कि इन मुल्जिमों को सजा क्यों नहीं मिल रही है । कहने के लिए चुनाव आयोग है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, न्याय-मन्त्रालय और गृह-मन्त्रालय हैं; लेकिन कोई व्यक्ति या संस्था ऐसी नहीं दिखाई देती, जो मुल्जिमों को चुनाव लड़ने से रोक सके । प्रदेश और देश में अपराधी मन्त्री बन रहे हैं, पूछो तो कहते हैं कि सजा के मामले में अपील कर दी गयी है, ऐसी अपील जो लाखो मुकदमे की भीड़ में खो गयी है । अगर हाईकोर्ट से अपील खारिज भी हो जाय, तो सुप्रीमकोर्ट में अपील कर देंगे । लगता है देश में कायरों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि अधिकांश लोगों ने इस बात की आपत्ति करनी भी बन्द कर दी है । ढीली न्याय-व्यवस्था के चलते मुल्जिम इतने मनबढ़ हो गये हैं कि चुनाव जीतने के लिए गुण्डों और लुटेरों की फौज तैयार करते हैं ।

लालू ने ठीक ही कहा है कि विरोधी दल में होने के नाते सी. बी. आई. उसके पीछे पड़ी है. वरना अगर सारे नेताओं की सम्पत्ति की जाँच की जाय तो शायद ही

कोई विरला ऐसा निकले, जिसने अपने साधनों से ज्यादा सम्पदा न जुटाई हो। आखिर उनकी जाँच क्यों नहीं होती, यह तो कोई नहीं कहता कि लालू प्रसाद ने भ्रष्टाचार नहीं किया; लेकिन अगर सी. बी. आई. विरोधी दल के नेताओं की जाँच करेगी, तो यह लोग कहेंगे ही कि यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गयी कार्यवाही नहीं, राजनैतिक पैंतरेबाजी का एक दाँव है, जब से विभिन्न घोटालों के मामले सामने आये हैं, जनता का विश्वास नेताओं से पूरी तरह उठ गया है। लोकतन्त्र के लिये यह बहुत बुरी बात है।

हर गाँव में बैंक होना चाहिए

देश की आबादी सौ करोड़ से ऊपर हो गयी और गाँव-गाँव में बेरोजगार लडको की तादाद बहुत बढ़ गयी है, इन नवयुवकों के पास पूँजी नहीं है कि वे कोई उद्योग या व्यापार करके अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। प्राय: सभी कस्बों में बैंक खोले गये है, लेकिन अब भी हालत यह है कि कोई आदमी अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपना खाता खोलने जाता है, तो दिक्कत होती है। गाँव में जिन लोगों के पास कोई बचत होती है, वे अपनी बचत कस्बों या नगरों के बैंकों में जमा करते हैं; परन्तु जब उसी गाँव के नवयुवक किसी कार्य के लिए ऋण चाहते हैं, तो उन्हें मिलना असम्भव-सा होता है। ऋण देने के लिए कहीं एकमुश्त घूस माँगी जाती है, तो कहीं ऋण का दस या बीस प्रतिशत माँगा जाता है, कहीं-कहीं इतनी दौड़-धूप करनी पड़ जाती है कि वह थक-हारकर घर बैठ जाता है। इस मामले में सरकारी नीति फेल हो गयी है।

सरकारी बैंकों के कर्मचारी स्वार्थी और जनसेवा के लिए उदासीन हैं। सरकारी बैकों का प्रयोग भी असफल हो रहा है। क्षेत्र के चुने हुए माफिया सरकारी बैंकों का पैसा अपने-अपने यार-दोस्तों में बाँट देते हैं और वे अपने को दीवालिया घोषित करके यह धन हजम कर जाते हैं। अब जरूरत तो यह है कि जिस तरह मुहल्ले-मुहल्ले में पी सी. ओ. खुले हैं, उसी तरह स्थानीय लोगों को सिक्योरिटी देकर छोटे-छोटे बैंक खोलने का लाइसेंस दिया जाय, जिससे ऋण लेकर बेरोजगार नवयुवक लघु उद्योग या व्यवसाय करके जीवन-यापन कर सकें। बैंकों की वर्तमान व्यवस्था घोर जन-विरोधी और समाज-विरोधी है, जिसमें सस्ती व्याज दर पर गरीब और मजदूर वर्गों का पैसा बैंकों के माध्यम से गाँव-गाँव से इकट्ठा हो रहा है और महानगरों में बैठे हुए पूंजीपति और उद्योगपति करोड़ों रूपये का ऋण लेकर अपना उद्योग और व्यवसाय खोल रहे हैं, जिसका सारा फायदा वह खुद ले रहे हैं। जहाँ पर बैंक नहीं हैं, वहाँ चोरी-डकैती में मध्यमवर्गीय लोगों की मेहनत की कमाई अपराधी लोग लूट ले रहे हैं। इसकी सुरक्षा के लिए भी हर ग्राम-पंचायत में एक बैंक खुलना जरूरी है।

गलत वादों की तरफ जाते राजनीतिक दल

देश में करोड़ों लोग ग़रीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी से परेशान है, परन्तु इन बातों को चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय राजनीतिक दल देशविरोधी और असामाजिक मुद्दों को चुनाव में उठा रहे हैं। कोई दल किसी जातिविशेष को बढ़ाने की बात कहता है, तो कोई दूसरा दल किसी क्षेत्र को बढ़ाने की बात कहता है; परन्तु कोई भी दल इस बात को मुद्दा बनाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ता कि वह सारे समाज को इन समस्याओं से निजात दिलायेगा।

बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने वाली शिक्षा दिलायेगा, बैंको से आसान किस्तों पर सबको ऋण बाँटे जायेंगे, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जिसमें हर आदमी की जान-माल की हिफाजत हो सके और अगर कहीं इसमें व्यवस्था फेल होती है, तो हर पीड़ित व्यक्ति के नुकसान की भरपाई की जायेगी। आमजनों को चाहिए कि वे नेताओं की समाज को तोड़ने वाली बातो से सतर्क हो जाँय। अगर किसी चुनाव में मुद्दा बनाना है, तो आदर्श राज्य-व्यवस्था या रामराज्य का मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल चुनाव लड़ें।



भारत में सरकारी अस्पताल की हालत

एक आदमी सड़क पर खड़ा कराह रहा था, मैं उधर से निकला तो देखा वह आदमी खून से लथपथ पड़ा था। शायद कोई गाड़ी उसको टक्कर मारकर भाग गयी थी। लोग गाड़ियाँ किनारे करके निकले जा रहे थे, एक साथ कई सवाल दिमाग मे उभर आये कि टक्कर मार करके गाड़ी वाले भाग क्यों जाते हैं, पर करें क्या, अगर रुक जाँय, तो आस-पास की भीड़ गाड़ी वाले ड्राइवर को मार-मारकर हुलिया बिगाड़ देगी या फिर उससे अच्छी खासी रकम वसूलेंगे। मैंने उस आदमी को उठाकर अपनी गाड़ी में लादा,उस पर क्रोध तो बहुत आ रहा था कि ये और एक मुसीबत मेरे सर पर आ पड़ी।

चूहों और बिल्लियों की तरह जब आदमियों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ही लगता है कि उनको सड़कों पर कुचल-कुचल कर मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरने पर करुणा का भाव इतना ज्यादा उभर आया कि मैं उठाकर इलाज के लिए ले जाने लगा, करीब के एक प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो उसने कहा कि ये पुलिस केस है, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता, इसको किसी सरकारी अस्पताल मे ले जाइये।

किसी तरह मैं उसे सरकारी अस्पताल ले गया, वहाँ देखा। डाक्टर साहब मिले, उन्होंने कहा इसको इमरजेन्सी में ले जाइये, मेरी ड्यूटी जनरल वार्ड में है। इमरजेन्सी में देखा, तो वहाँ कोई डाक्टर नहीं था। केवल एक नर्स कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी, उस अस्पताल में इतनी गन्दगी थी कि अच्छा-खासा आदमी वहाँ आकर बीमार पड़ जाय। डॉक्टर साहब ड्यूटी लिखकर घर चले गये थे,काम कौन करे, सरकारी डाक्टर हैं, तनख्वाह तो उन्हें मिलेगी ही, कामचलाऊ काम करें तो भी, फिर अपने को तकलीफ देने की जरूरत क्या है। एक नर्स को बैठे हुए देखकर आश्चर्य हुआ काफी खोजबीन के बाद डाक्टर साहब का फोन मिला तो मैंने उनको

घायल के बारे में बताया । उन्होंने मुझसे ऐसे कहा जैसे मैं भारी मूर्ख हूँ और मैंने उनको अपनी मूर्खता से भारी दिक्कत में डाल दिया है ।

जब मैंने उनसे अस्पताल आने को कहा, तो उन्होंने बड़े अनमने ढंग से कहा कि अच्छा आता हूँ, थोड़ी देर में डाक्टर साहब आये, तो मैंने देखा कि अस्पताल मे दवायें तो बिल्कुल हैं ही नहीं । जो सामान हैं, वह सब पुराने टूटे और जंग लगे हुए हैं, कम्पाउण्डर भी नहीं है, मालूम हुआ कि वह अपनी यूनियन का नेता है, काम नहीं करता है । डाक्टर साहब ने कहा कि लाओ मैं सर्टीफिकेट बना देता हूँ, इसे करीब स्थित प्राइवेट क्लीनिक में दिखा लो । इस घायल आदमी ने भी इसी में भलाई समझी । तब मैंने उसको उठाकर प्राइवेट क्लीनिक में पहुँचाया, जहाँ से वह अपना इलाज कराकर कुछ ही दिन में ठीक हो गया; लेकिन तब से सरकारी अस्पताल का वह नजारा मुझे प्रायः याद आता है । ऐसी व्यवस्था शायद इसीलिए है कि अस्पताल किसी व्यक्ति का नहीं सरकार का है और सरकार की चीज किसी की नहीं है ।



आज़ादी

(क) आजादी की रक्षा कैसे हो

देश में वर्तमान समय में छीना-झपटी इस तरह मच गयी है, जिससे चारो तरफ का वातावरण अशान्त और दूषित है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मारकाट चरम सीमा पर पहुँच रही है। देश स्तर पर सरकारों में आपस में तनातनी है। परिवार स्तर पर गाँवों में और शहरों के मुहल्लों की यही हालत है। अहंकार और लाभ इस कदर बढ़ा कि चारों ओर असन्तोष है। अपने में कोई सन्तुष्ट नहीं दिखाई देता। मानवता एवं शिष्टाचार की सब बातें नकारी जा रही हैं। झूठ का सहारा लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान सरकार की तरफ से सूचना मन्त्री मुशाहिद हुसेन का बयान आया है, हमने घुसपैठ की ही नहीं, तो वापस कैसे लौटे। वहाँ पर कश्मीर के स्वतन्त्रता सेनानी लड़ने की नियति देख पूछते हैं कि आपकी नियति कैसी है ? कहाँ तो हमारे देश के प्रधानमन्त्री बस की यात्रा करके प्रेमभाव से जोड़ने का सन्देश देते हैं और उधर विश्वासघात कर हमारे देश पर आक्रमण करने की पूरी साजिश हो रही है। ठीक इसी प्रकार विश्वासघात कूटनीति हमारे मुहल्लों मे, परिवार में, गाँव में चल रही है। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है।

दो ही रास्ते हैं, एक विनाश और दूसरा विकास का। इसमें इस समय लोग विनाश के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। विनाश की कहानी हिरोशिमा और नाकासाकी मे देख चुके हैं। उसी प्रकार दुनिया फिर बारूद के ढेर पर बैठी नजर आ रही है। फिर इससे बचने का उपाय क्या है? सुलह-समझौता, पड़ोसी देशों के दबाव के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। देखो सफलता कहाँ तक मिलती है। दूसरा रास्ता विकास का है, यह प्रेम और सहयोग से तभी सम्भव है, जब नियति साफ हो, चाहे देश, गाँव या परिवार के स्तर पर। इससे पहले जब पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्रधानमन्त्री थीं, तब हमारे देश से उनके सम्बन्ध अच्छे थे। शान्त वातावरण प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के बीच दोनों देशों से चल रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, इस समय बेनजीर को भी इन लोगों ने परेशान कर रखा है, जो कि विदेश मे संकटकाल के दिन काट रही हैं और हमारे देश के अन्दर अकारण युद्ध थोप रहे है। ठीक इसी प्रकार सन् १९७१ में इन्दिरा गाँधी जी के कार्यकाल में मुजीबुर्रहमान को

परेशान किया था, तब उनकी मदद हमारे देश ने की थी, परिणाम सामने है बाग्लादेश। इस आधार पर बेनजीर को मदद इस समय चाहिए। सिंध में मोहाजिरो पर लम्बे समय से अत्याचार हो रहे हैं, ये मोहाजिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एव राजस्थान से गये हुए भारतीय मुसलमान हैं, पंजाबी और तालिबान आतंकवादी उनका भी दमन करते हैं। हमें इनकी मदद करके उन्हें उनके अत्याचार से बचाना चाहिए।

(ख) आजादी की रक्षा के लिए इतिहास से सबक लें

नियन्त्रण रेखा पार कर भारत में घुस आये पाकिस्तानी घुसपैठिये खदेड़े गये, लेकिन कारगिल के बटालिक क्षेत्र में घुसपैठ की हुई घटना ने एक अहम् सवाल देश के सामने छोड़ा कि क्या पाकिस्तानी फौजें और उनके समर्थक आतंकवादी पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे ?

भारत की आम जनता ने तो यह आशा लगायी थी, सभी घुसपैठिये घेर कर मौत के घाट उतार दिये जायेंगे, ताकि फिर किसी संगठन की भारत में घुसपैठ कराने की हिम्मत न पड़े। पुरानी कहावत है कि – "सर्प को घायल करके छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि मारकर उसका मुँह कुचल दिया जाता है, ताकि फिर दोबारा किसी को डँस न सके"। क्या इस बात का सबक इतिहास से नहीं लेना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी ने दिल्ली में सत्रह बार आक्रमण किया था। इसी तरह पृथ्वीराज उन्हें हर बार खदेड़ देते थे। अगर उसको खदेड़ने के बजाय घेर कर मार देते, तो पृथ्वीराज के ऊपर मुसीबत न आती। उनको पकड़कर अमानुषिक रूप से गोरी ने उनकी आँखें निकाली थीं और आँखों में नीबू और नमक डाला था। इस तरह देश हमलावरो का गुलाम हो गया था, तो क्या वही गलती हम फिर दोहराए हैं ? अभी तक चार बार पाकिस्तान ने हमला किया है। क्या हम इन्हें तेरह बार हमला करने के लिए छोड़ रहे है। हमले के बाद उसकी मंशा साफ हो गयी कि वह हमसे कश्मीर छीनना चाहता है। उसकी चलेगी तो पूरे देश को छीनकर हमें गुलाम बनाकर शासन करेगा। अभी भी देश मे बहुत से जयचन्द और मीरजाफर मौजूद हैं, जो अपने निहित स्वार्थों को लेकर विश्वासघात कर सकते हैं, इससे देश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है।

आजादी को मजबूत करें

आजादी के बावन साल बीत गये। देश 'स्वर्णजयन्ती' वर्ष मना चुका है। बड़ी खुशी की बात है। अब देशवासियों को इस आजादी की रक्षा की ओर सोचने की जरूरत है, जिससे हम पुनः गुलामी की जंजीरों में न जकड़ जाँय। इन आजादी के पचास वर्षों का मूल्याङ्कन करें, तो लगता है कि जहाँ विज्ञान में भौतिक सुख-साधनो मे देश बहुत तरक्की किया, इसके लिए जिन लोगों का सहयोग रहा, उनको बधाई है। देश उनका ऋणी है; परन्तु इसके दूसरी ओर ध्यान दीजिये, तो लगता है कि हम नैतिक पतन की ओर बढ़ गये हैं, समाज में छीना-झपटी का माहौल बन गया है। आपस में अपनत्व खत्म हो रहा है, प्रेम की जगह ईर्ष्या, लोभ, अहंकार बढ रहा है। सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी त्याग की जगह स्वार्थ की हुई है, जिससे भ्रष्टाचार का जन्म हुआ, जो समाज के सामने, सरकार के सामने एक बड़ी समस्या बन गयी है, जिसके लिए सभी ओर से आवाज सुनाई देती है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, समय बड़ा खराब आ गया है, ऐसी आवाज समाज में सुनने को मिलती है।

कहीं जाति-धर्म को लेकर, कहीं आरक्षण को लेकर, कहीं 'मंदिर-मस्जिद' का मुद्दा लेकर समाज टूट रहा है, बिखर रहा है। अपनत्व खत्म हो रहा है। सबसे ज्यादा 'वोट' की राजनीति से जातिवाद, वर्गवाद, धर्मवाद से देश टूट रहा है, समाज में, देश में एकता खत्म हो रही है और अगर इसी तरह माहौल चलता रहा, तो क्या हमारे देश की आजादी सुरक्षित रहेगी ? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने इसी रामराज्य की कल्पना की थी, जो आज सब लोग देख रहे हैं ? अन्त में सभी लोगों से मेरी अपील है कि देश की आजादी की रक्षा के लिए पुनः उन्हीं मन्त्रों को साकार किया जाय 'ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान्'। 'हिन्दू-मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हैं भाई-भाई'। यह तो सभी जानते हैं कि जब हम एक रहेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे, चाहे देश हो या समाज हो, इसमें सबसे बड़ी बाधा आती है स्वार्थ की। उसकी पूर्ति में पद और अर्थ की दौड़ इस समय की प्रमुख समस्या है। जब तक इसमें कुछ त्याग की भावना चाहे देश या समाज के प्रति या

नजी जीवन मे परिवार के प्रति नही होती तब तक एकता नही हो सकती जब एकता नहीं होगी, तब न देश सुरक्षित होगा, न समाज । न परिवार का बिखराव रुक सकेगा । इसीलिए कहा गया है –

'जब आवै सन्तोष धन सब धन धूरि समान' ।

सन्तोष परम सुख है और आगे –

'जहाँ सुमति तँह सम्पति नाना ।
जहाँ कुमति तँह विपति निधाना ।।
पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।
जे आचरहिं ते नर न घनेरे' ।।

आज अपने दैनिक जीवन में सदाचार उतारने की जरूरत है । सब लोग स्वय अपनी आत्मा में विचार करें । स्वयं अपना सुधार करने का संकल्प लें, तो पूरे समाज एवं देश में सुधार आ जाय । जिससे देश की आजादी की रक्षा हो, समाज मे अपनत्व प्रेम और भाईचारा पैदा हो । भ्रष्टाचार की समस्या समाप्त हो । इस विचार से समाज में नैतिकता का विकास हो, कुछ लोग इस विचार से जुड़ें, तो आगे चलकर धीरे-धीरे और लोग जुड़ते जायेंगे । समाज में सुधार आ जायेगा । राष्ट्रपिता की रामराज्य की कल्पना पूरी हो सकती है ।

''रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम ।
ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान्''।।
'हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, आपस में सब भाई-भाई' ।
'वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।
वही पशु-प्रवृत्ति है कि जो आप ही चरे'।

राष्ट्र की संकट के इस घड़ी में हम सब मिलकर रहें और भारत को महान् राष्ट्र बनाने के कार्य में पूरा सहयोग दें, यही मेरी कामना है –

इस भारत के वीर जवानों, हँसते मुस्काते रहना ।
हम तुमको अपना कहते हैं, तुम अपना कहते रहना ।।

●

निगमों एवं संस्थाओं में बढता भ्रष्टाचार

यह सर्वविदित है कि अधिकांश सरकारी निगमों और संस्थाओं में भारी भ्रष्टाचार के चलते प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपये का नुकसान सरकार को हो रहा है। इन निगमों के अधिकारियों से निगम के अधिकारियों को अपना प्रबन्ध स्वयं चलाने की छूट मिल रही है । इन्हीं शक्तियों के दुरुपयोग के चलते ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, जबकि इनमें देश की जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रूपया लगा हुआ है । अब इनका जाल इतना खतरनाक हो गया है कि यह स्वयं सरकारों के लिये भी भारी मुसीबत का कारण बन गया है । लगातार घाटा होने के कारण जब सरकार निगमों को भंग करती है, तो सारे कर्मचारी सरकार के खिलाफ आन्दोलन करते है। दूसरी ओर इनके कुकृत्यों से जनता को बड़ी तकलीफ होती है ।

एक वर्ष पूर्व प्याज की बढ़ी कीमतों के कारण तत्कालीन केन्द्रीय सरकार को बडी बदनामी का सामना करना पड़ा है । जिसके कारण उसकी चार प्रदेशों के विधान सभा चुनावों में हार हो गयी थी । जाँच करने पर यह बात निकली कि सरकारी खरीद एजेन्सी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के शीर्ष अधिकारियो ने प्याज की खरीद में एक करोड़ पचीस लाख का गोलमाल किया था, भारी कमीशन लेकर मँहगे दामों में सड़ा प्याज खरीदा गया। इन निगमों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो सतर्कता निदेशक तैनात होते हैं, वे भी निगम के अधिकारियों के अधीनस्थ काम करते हैं, फिर भला वे इस भ्रष्टाचार को कैसे रोक पायेंगे । सबसे अच्छा तो यह है कि इन निगमों को नीलाम कर दिया जाय और जो धन मिले, उससे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विकास सम्बन्धी काम शासन द्वारा कराया जाय । शासन का काम व्यापार करना या उद्योग चलाना नहीं है, बल्कि अच्छा प्रशासन, न्याय एव कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। अपराधों, बेईमानी एवं गबन के डर से देश की व्यावसायिक और औद्योगिक प्रगति बहुत धीमी हो गयी है, इस व्यवस्था को शीघ्र ठीक किये जाने की आवश्यकता है ।

●

सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक

अभी हाल में सम्पन्न हुए लोकसभा चुनावों में बिहार में लालू प्रसाद यादव के राजद की बुरी तरह हार हुई और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की दुर्गति हुई । यह वही लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हटाने और सच्चा लोकतन्त्र स्थापित करने की लडाई लडी थी । इसी प्रकार यह वही कल्याण सिंह हैं, जिन्होंने १९९१ में गुण्डों और माफियाओं के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करायी थी; लेकिन समय के साथ सत्ता का मद मनुष्य को भ्रष्ट कर देता है और सर्वोच्च सत्ता के आते ही सारे गुण्डे और माफिया किसी न किसी प्रकार से सत्ता से जुड़ जाते हैं । सत्ता में बैठे लोगों को प्रशसा और पूजा के द्वारा खुश करते हैं, फिर सत्ता से जुड़कर उसका दुरुपयोग करते ह । जिस प्रकार भौतिकता और पैसे की आवश्यकता बढ़ी है, उसमें सत्ताधीन व्यक्ति का भ्रष्ट हो जाना आश्चर्यजनक नहीं है ।

लोकतन्त्र को जीवित रखने और भ्रष्टाचार को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक हो गया है कि कहीं भी सत्ता का केन्द्रीकरण न होने दिया जाय । सारे राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रीकृत किये जाँय । पंचायतों और स्थानीय प्रशासन की इकाइयों को अधिकतम सम्भव अधिकार दिये जाँय । किसी भी योजना, धन की वसूली और आवंटन का केन्द्रीकरण न होने पाये, ये सारे काम अलग-अलग पंचायतों और न्यायपालिकाओं को बाँट दिये जाँय। केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकार कम से कम किये जाँय ।

केन्द्रीय योजना बनाकर विकास करने की बात गलत सिद्ध हो चुकी है । मुख्यमन्त्री और प्रधानमन्त्री के पद इस देश में बहुत शक्तिशाली हो गये हैं, इसलिये उनके भी अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने की जरूरत है । केवल देश की रक्षा और विदेशी सम्बन्ध को छोड़कर बाकी सब अधिकारों और मामलों का विकेन्द्रीकरण हो

जाना चाहिए। देश में मुद्रा एक ही रहे; लेकिन हर जिले, ब्लाक और पंचायत को अपने-अपने बैंक खोलने और विकास योजनायें बनाकर कार्यान्वित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

हमारा केन्द्रीकृत ढाँचा विकास में बहुत बाधक है। लोकतन्त्र की चुनाव व्यवस्था के नाम पर जनप्रतिनिधियों, मन्त्रियों और प्रशिक्षकों ने जनता के अधिकारों का हरण कर लिया है। तरह-तरह के लाइसेंसों और परमिटों ने नागरिक स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया है और साथ ही अनियंत्रित भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, इसलिये आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि व्यवस्था के नाम पर जनता के अधिकार न छीने जाँय। सबसे अच्छी सरकार वह होती है, जो सबसे कम शासन करती है।

अमेरिका की भारत नीति उर्फ बन्दरघुड़की

अमेरिका की भारत के प्रति विदेश नीति बहुत दिनो से ऐसी कुछ रही है जैसे हमारे गाँव में एक जमींदार और किसान की रहती है । वह किसान की तरक्की तो नही देख सकता, उसे मजबूत देखना भी उसे गँवारा नहीं है; लेकिन आस-पास के और छुटभैये मजदूर जमींदारी के खिलाफ सिर न उठाने लगें, इसके लिये वह किसान को बीच-बीच में सान्त्वना देता रहता है और उसके घर आकर उसे प्रेरित भी करता है कि आस-पास के लोगों को दबाकर रखे, इन्हीं ऊहापोहों के बीच अमेरिका भारत के परमाणु विस्फोट का विरोध करता है, फिर भी परमाणु शस्त्र नियन्त्रण सन्धि सी. टी. बी. टी. पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालता है, कभी गुस्से में आकर आर्थिक सहायता बन्द करने की घोषणा करता है; परन्तु दूसरी ओर जब उसे दिखायी पड़ता है कि भारत का बहुत बड़ा बाजार कहीं दूसरे यूरोपीय देशों के हाथों में न चला जाय, तो वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में मैत्री सम्बन्ध बनाने का भी प्रयास करता है, आंशिक रूप से प्रतिबन्ध भी हटा लेता है । अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पहले आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, ताकि वे बढ़ती हुई रूस की ताकत को रोक सकें, फिर उन आतंकवादियो को अस्त्र-शस्त्र भी भेजता है, ताकि दोनों पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान आपस मे लडते रहें और चौधरी की चौधराहट चलती रहे ।

अमेरिका न कभी भारत का शुभचिन्तक रहा है और न हो सकता है । विश्व मे आर्थिक साम्राज्यवाद को फैलाने के लिये राजनीतिक दबाव बनाना उसकी कार्यशैली रही है और जो कुछ वह कर रहा है, अपने राष्ट्रहित में कर रहा है, भले ही वह बात मानवता के हित के विपरीत हो । भारत को महान् राष्ट्र बनाने के लिये हमें अमेरिका से तकनीकी, औद्योगिक, व्यावसायिक और प्रबन्ध की वह क्षमता लेनी आवश्यक है, जिसके कारण आज वह दुनिया का सम्पन्न देश है; लेकिन साथ ही अपनी भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं परम्पराओं को भी गौरवान्वित करना है, जो देश के हित में है। अन्धानुकरण करके हम अपनी गरिमा खो देंगे और सही तौर पर विकास भी नहीं कर पायेंगे; क्योंकि हमारी समस्यायें अमेरिका से भिन्न हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश को सबसे पहले अपने लोगों को अच्छी तरह शिक्षित और प्रशिक्षित करके उपयोगी रोजगार के कामों में लगाना अत्यावश्यक है ।

●

लघु उद्योगों के नाम पर लूट

आम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने लघु उद्योग को तरह-तरह की सुविधायें देने का फैसला किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनमे रोजगार पा सकें; लेकिन आर्थिक रूप से सम्पन्न देश की औद्योगिक लाबी ने सरकार पर जोर डलवाकर लघु उद्योग पर दी जाने वाली ऋण की सीमा ढाई करोड़ करा दी । जिस देश की साठ प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही हो, वहाँ पर ढाई करोड़ तक क्या, ढाई लाख की व्यवस्था भी कर पाना गरीबों के लिये सम्भव नहीं है । बेरोजगार आदमी सौ रूपये में रोज फल, मूँगफली या सब्जी लेकर बेचने निकलता है और शाम तक अपने परिवार के लिये रोटी का इन्तजाम करता है, ऐसे लोगों को ढाई करोड़ नहीं, अगर ढाई हजार का भी लोन मिल जाता है, तो वह उनके लिए बहुत उपयोगी है । इस देश को जरूरत यह है कि हम ढाई करोड़ वाले उद्योगों के पहले ढाई लाख तक की सीमा के लघु उद्योग खोलें । यहाँ देखने की जरूरत यह नहीं है कि कितना ऋण लघु उद्योगों के लिये बाँटा गया, देखना यह चाहिए कि कितने लोगों को यह ऋण बाँटा गया है ।

गरीबों का हक किसी न किसी बहाने से अमीर लोग लूट ले जाते हैं । ऐसे बडे-बड़े उद्योगों और कल-कारखाने जो गरीबों के हाथ का काम और पेट की रोटी छीनते हैं, वे सब समाजविरोधी और राष्ट्रविरोधी काम कर रहे हैं । आटा, दाल, चीनी, तेल, चावल, कपड़ा, जूता जैसी चीजों का एक बड़ा कारखाना खुल जाने से लाखों छोटे कारीगरों और लघु उद्योगों का काम बन्द हो जाता है । उनकी रोजी-रोटी चली जाती है और बैंकों से करोड़ों रूपये का ऋण ले करके खोले गये कारखाने का सारा फायदा वह आदमी लेता है, जो उस कारखाने का मालिक होता है । उस लाभ के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है । ज्यों-ज्यों कम्प्यूटर और आटोमेटिक मशीनों का चलन बढ़ता जा रहा है, इस लाभ की कमाई का वितरण

बन्द होता जा रहा है होना तो यह चाहिए कि जिन चीजों का लघु एवं कुटीर औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण हो सकता है, उनमें मशीनीकरण करने के लिए कोई सहायता या प्रोत्साहन राज्य की तरफ से नहीं होना चाहिए।

दिक्कत तो यह है कि पैसे वालों की घूस की बड़ी-बड़ी थैलियाँ विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोगों की जबान पर ताला लगा देती हैं और वे जनविरोधी निर्णय लेते हुए ऐसी कम्पनियों को हर प्रकार की सहायता विकास के नाम पर देने लगते हैं। जरूरत है कि इन बड़े कारखानों के रोजगार छीनने वाले स्वभाव को पहचाना जाय और छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय।

●

देश में बढ़ता पूँजीवाद

विकास के नाम पर धीरे-धीरे पूँजीपतियों की पकड़ देश के ऊपर बढ़ती जा रही है। उद्योग और व्यापार की तरक्की के लिए सरकार कमेटी पर कमेटी बनाये जा रही है। उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का इन कमेटियों में बोलबाला है, जो सरकारी आफिसर व नेता इन कमेटियों में रखे गये हैं, वे भी सब समाज के धनी और सम्पन्न वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ये कमेटियाँ उद्योगपतियों और व्यापारियों के फायदे को बढ़ाने वाली संस्तुतियाँ करती जा रही हैं। सरकार उन्हें एक-एक करके मानती जा रही है। यही व्यापारी, उद्योगपति गठबन्धन चुनावों में सभी राजनैतिक दलों को चन्दा देते हैं और चुनाव के बाद शासन पर दबाव डालकर मनमाफिक नीतियाँ बनवाते हैं।

इन्सपेक्टर राज को लेकर जो हल्ला मचाया गया, वह समाज के दो लुटेरों की लड़ाई है। एक ओर व्यवसायी हैं, जो मनमाना मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरी ओर अफसर और कर्मचारी हैं, जो अवैध वसूली करते रहते हैं। सबसे उपेक्षित हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, बेरोजगार नौजवान, गरीब घरों की महिलायें और बच्चे, देश के विकास का ढिंढ़ोरा पीटने वाली किसी कमेटी में इन वर्गों का कोई प्रतिनिधि नहीं रहता है।

जब तक श्रमजीवी मजदूर, किसान और कुटीर उद्योग में लगे व्यक्ति के विकास की योजना नहीं बनती, तब तक उद्योग एवं व्यापार के विकास से इस देश की उस गरीब जनता को कोई फायदा नहीं होगा, जिसके विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। न्यूनतम मजदूरी की दरों का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है ? किसानों के उत्पादन का दाम बढ़ते ही शहरी मध्यम वर्ग के लोग हल्ला मचाने लगते हैं; लेकिन उद्योगपति और व्यापारी अपने सामान में मनमाना मुनाफा कमा रहे हैं। पैसे के बल पर शासन-प्रशासन सबका मुँह बन्द किये हुए हैं। बेरोजगार लोगों के लिए कोई सुनिश्चित रोजगार की योजना नहीं है, जिससे न्यूनतम आमदनी की भी गारण्टी बेरोजगारों को मिल सके। जब तक इन लोगों के लिए विकास की योजनायें नहीं बनतीं, तब तक पूँजीपतियो के विकास से देश का सम्पूर्ण विकास नहीं होगा।

तानाशाही की चरमपन्थी

पाकिस्तान में नवाज शरीफ को प्रधानमन्त्री के पद से बर्खास्त करके उन पर देशद्रोह और अपहरण का मुकदमा चलाया जा रहा है। आरोप यह है कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ के विमान को कराँची हवाई अड्डे पर उतरने नहीं दिया, जिससे उसके गिर कर नष्ट हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। यह स्पष्ट है कि नवाज शरीफ को इस मुकदमे के बहाने फाँसी पर लटका देने का प्रयास जनरल मुशर्रफ द्वारा किया जा रहा है। फौजी शासन में कौन-सी अदालत निष्पक्ष न्याय कर पायेगी। उस जज को यही डर बना रहेगा कि परवेज मुशर्रफ कहीं नाराज होकर उसे बर्खास्त न कर दें या उस पर ही नवाज शरीफ से मिल जाने का आरोप लगाकर जेल में बन्द कर दें। विश्व के सभी देश असहाय बनकर यह तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान की जनता भी चुप है। फौजी शासन के डर के मारे कोई बोल नहीं रहा है और अगर कोई बोले भी, तो उसे मारकर चुप करा दिया जायेगा।

फौजी शासन के खिलाफ सुनवाई करने वाला है भी कौन ? सारी दुनिया जान रही है कि प्रजातान्त्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमन्त्री को यह अधिकार था कि वे फौज के जनरल का स्थानान्तरण कर सकते थे। चुने हुए प्रधानमन्त्री को गिरफ्तार करने का कोई मुकदमा परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नहीं चल रहा है। कहने को दुनिया इतनी तरक्की कर गयी; लेकिन आज भी 'जिसकी लाठी उसी की भैंस' है। पड़ोसी देश होने के नाते से भारत के लिए भी यह अच्छा नहीं है। आतंकवादियों का पाकिस्तानी सेना के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। अपने फौजी शासन के प्रति लोगों के विरोध को कम करने के लिए अन्ततः जनरल मुशर्रफ भारत से छिटपुट लड़ाई करते रहेंगे और आतंकवाद बढ़ाते रहेगे। जरूरत इस बात की है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ऐसी तानाशाही और बगावतों के बारे मे तुरन्त विचार-विमर्श करे और सभी राष्ट्राध्यक्षों की राय से ऐसे कदम उठाये, जिससे चुनी हुई सरकार का कोई व्यक्ति इस प्रकार अपहरण न कर ले। यद्यपि यह एक देश का अन्दरूनी मामला है; लेकिन कोई न्यायिक प्रक्रिया ही उस देश में नहीं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्रसंघ का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है।

उत्तर प्रदेश की राजनैतिक दुर्व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनैतिक दुर्व्यव्यवस्था चल रही है, वह अत्यन्त चिन्ताजनक है, पहले तो बहुत लम्बे समय तक कल्याण सिंह के विरोधी गुटों को जिस तरह बयानबाजी करने की छूट भाजपा संगठन ने दी। दूसरी तरफ कल्याण सिंह के राज्य में जिस तरह भ्रष्टाचार, पक्षपात और सनकी शासन चलाने की छूट दी गयी, उससे भाजपा को भारी नुकसान हुआ। केन्द्रीय नेतृत्व की बहुत बडी कमजोरी रही कि उसने संगठन के अन्दर इस तरह की गुटबन्दी चलने दी। महीनों तक इस बात की अफवाह चलती रही कि कल्याण सिंह को मुख्यमन्त्री पद से बदला जा रहा है। परिवर्तन के आखिरी दिन तक कल्याण सिंह ने अनैतिक ढग से तमाम प्रशासनिक परिवर्तन किये, जो सर्वथा अनुचित थे। साक्षी और सपा के नेताओं के कहने पर भी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के परिवर्तन किये गये। मुख्यमन्त्री के परिवर्तन होने के बावजूद पूरे मन्त्रिमण्डल को शपथ नहीं दिलायी गयी, जिससे फिर प्रशासनिक काम शुरू नहीं हो सके। विभागों का बँटवारा करने मे भी अनावश्यक विलम्ब किया गया, जिससे सारा शासन ठप पड़ा रहा।

जब लोकतान्त्रिक कांग्रेस के लोगों ने विरोध प्रकट करना शुरू किया, तो भी बातचीत करके शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया। जिस तरह पूरे प्रदेश मे यह सन्देश गया, मुख्यमन्त्री और मन्त्रियों का चयन कदम-कदम पर केन्द्रीय नेतृत्व के इशारे पर किया जा रहा है, उससे भी भाजपा के आन्तरिक लोकतन्त्र को चोट पहुँची है।

ऐसा लगा कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है। हर काम हाई कमान के इशारे पर हो रहा है। पहले भाजपा के थोड़े मन्त्री बनाये गये, फिर सन्तुष्टीकरण के लिए सबको बना दिया गया। ऐसा लगा कि कदम-कदम पर ऊहापोह बना हुआ है। यह तो भविष्य बतायेगा कि इन सब बातों से भाजपा पुनः क्या कुछ मजबूत हो

पायेगी; परन्तु इसमें प्रदेश का शासन और प्रशासन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासन में अनिश्चितता का वातावरण है, पता नहीं यह सरकार कितने दिन चलेगी, आवश्यकता इस बात की है कि नये मुख्यमन्त्री सभी सहयोगियों को साथ लेकर टीम भावना से प्रदेश का शासन चलायें और प्रदेश की भारी चुनौतियों का मुकाबला करके जनहित का कार्य करें।

बढ़ रहे भ्रष्टाचार को सख्ती से दबाया जाय। रुके हुए विकास के कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाय। अपराधियों पर नियन्त्रण लगाने के लिए कुछ कड़े कानून बनाये जाँय। अच्छी छवि वाले अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण जगहों पर बैठाया जाय। त्वरित न्याय देने के लिए न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया जाय। गरीबों और बेरोजगारों के उत्थान के लिए विशेष कल्याणकारी योजनायें चलायी जाँय, शासन के काम में तेजी लायी जाय और उसे जनता की सेवा में तत्पर किया जाय।

●

घोटालों का प्रदेश : बिहार

लोकसभा में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल से आम जनता का विश्वास उठ गया। चारा घोटाले में जेल जाने के बाद वैसे भी लालू यादव अपना राज्य करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उनके भ्रष्टाचारी कुशासन का साथ देने के लिए कांग्रेस भी बिहार में सारा नुकसान उठा चुकी है। एक पर एक नरसंहार होते ही जा रहे हैं।

घोटाले पर घोटाला प्रकाश में आता जा रहा है, ऐसी स्थिति में जरूरत है कि बिहार में कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले ले और जनता को पुनः अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाय। ऐसे लोग शासन चला रहे हैं, जिन्हें शासन व प्रशासन की कम जानकारी है।

केवल जाति, क्षेत्र कटुता की राजनीति प्रदेश को अच्छा शासन कभी नही दे सकती। ऐसे लोगों को राजनीति में आगे आने की जरूरत है, जो इन संकीर्णता वाली बातों से ऊपर उठकर गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी निवारण जैसी बातों को अपना मुद्दा बनायें। बिहार में शीघ्र राष्ट्रपति शासन लगाकर ऐसा वातावरण बनाया जाय, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। निष्पक्ष और अच्छी छवि वाले अधिकारियो को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाय। लचर, भ्रष्ट और पार्टियों के प्रति निष्ठा रखने वाले अधिकारियों को किनारे करके वातावरण को ठीक करना आवश्यक है, पर यह तभी सम्भव होगा, जब कानून बनाकर जाति-धर्म और वर्ग की राजनीति करने वालों पर रोक लगायी जाय।

अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाय। न्याय-व्यवस्था दुरुस्त करके सारे अपराधियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाय। बिहार की बिगड़ती हुई दशा पर केन्द्रीय नेतृत्व का ध्यान तुरन्त अपेक्षित है।

खल संग विनय, कुटिल संग प्रीति : कब तक ?

पाकिस्तान की राजधानी लाहौर के चिड़ियाघर में एक समय बहुत खतरनाक शेर आया हुआ था । विश्वप्रसिद्ध भारतीय संगीत पं. ओंकारनाथ ठाकुर ने अपने एक मित्र से कहा - चलो अपना बेला साथ ले चलो । चलो चिड़ियाघर चलते हैं । वहाँ कुछ प्रयोग करेंगे । मित्र ने आश्चर्यमिश्रित भाव से कहा – क्या ठाकुर पागल हो गये हो । पण्डित जी ने कहा - हाँ, प्रयोग करने वाले पागल तो होते ही हैं। दोनों मित्र लाहौर चिड़ियाघर पहुँचे । चौकीदार ने अन्दर जाने से मना कर दिया; क्योंकि शेर इतने जोर से दहाड़ मार रहा था कि कुछ दर्शक तो वहीं बेहोश हो गये थे ।

पण्डित जी सुविधाशुल्क देकर अपने मित्र और उसके बेला सहित अन्दर चले गये । पण्डित जी के निर्देशानुसार बेला पर राग का सुर छेड़ दिया गया । दोनों लोग धीरे-धीरे शेर के पिंजड़े की ओर बढ़ चले । शेर के पिंजड़े के पास पहुँचने पर दोनो लोग आश्चर्यचकित हो गये, यह देखकर कि जो शेर अभी चन्द मिनट पहले तक जोर-जोर से दहाड़ मार रहा था, गुर्राना बन्द कर दिया है । जंगले के बाहर शेर ने अपने पंजे इस प्रकार निकाल दिये, जैसे वह उनके साथ खेलना चाहता हो । खूंखार शेर की आँखों से कुत्ते की आँखों जैसा प्यार टपक रहा था । पण्डित जी ने अपने मित्र से कहा— बस मुझे यही देखना था कि कोमल गान्धार में चित्त को कोमल करने की क्षमता है, अथवा नहीं। पण्डित जी ने कहा कि यदि मेरे पास बेला की जगह सारंगी होती, तब और अच्छा प्रभाव पड़ता । हो सकता है, हमारे प्रधानमन्त्री पण्डित अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सत्य घटना को कहीं पढ़ा हो और उससे प्रेरणा प्राप्त की हो । उससे प्रेरणा प्राप्त कर बस द्वारा लाहौर पहुँचे । मगर पण्डित अटल बिहारी वाजपेयी संगीतज्ञ तो थे नहीं, वे तो कवि, साहित्यकार और पत्रकार है । अतः अपने साथ इसी प्रकार की टोली भी ले गये थे ।

भारत के प्रधानमन्त्री संगीत के माध्यम से नहीं बल्कि गद्य-पद्य के माध्यम से शराफत के ढग से नवाज शरीफ का हृदय परिवर्तन न कर सके क्योंकि इस बार

लाहौर मे किसी प्रकृतिजन्य शर से सामना नही था अन न जा के प्रयास निष्फल गये, फिर भी अटल जी और उनकी सरकार ने खुद अपनी पीठ थपथपायी। घूम-घूम कर संसद से सड़क तक यह ढोल पीटा कि दोस्ती की ओर हम लोग बढ़ रहे है, परन्तु यह सब झूठ निकला। दोस्ती की तरफ नहीं, पाकिस्तान जंग की तरफ बढ रहा था और हो गया भारतीय भू-भाग कारगिल की सैकड़ों मील भूमि पर अतिक्रमण। वह हमारी सरहद रौंद कर सीमा में घुसपैठ कर रहे थे और हमारी सरकार के लोग मल्हार गा रहे थे।

पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर के समय लाहौर के शेर पर भारतीय संगीत का जादू चढ़ गया था, पर आज सब कुछ उलट गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी पर नवाज शरीफ की कूटनीति हावी हो गयी है। अटल बिहारी जी को यह अटल सत्य विस्मृत नहीं करना चाहिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कश्मीर के मामले मे पाकिस्तान को लाख मना किया जा रहा है, पर वह बाज नहीं आ रहा है।

हम क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान तो कश्मीर की पवित्र दरगाह में ही आतंकवादियों को घुसा कर वहाँ आग लगवा देता है, फिर भला सीमा रेखा पार कर भारतभूमि कारगिल में भाड़े के सैनिकों को भेज दिया, तो इसमें आश्चर्य कैसा ? राम का नाम लेकर केन्द्र की सत्ता तक पहुँची भाजपा सरकार के प्रधानमन्त्री और उनकी सरकार को राम की घटना से सीख लेनी चाहिए —

विनय न मानत जलधि जड़ गये तीन दिन बीति ।
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ।।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने स्वयं कहा है कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। रामचन्द्र जी ने आगे और भी कहा था कि –

'सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति' ।

सठ के साथ विनय और कुटिल के साथ प्रीति नहीं करनी चाहिए। फिर राम का पौरुष जागा और उन्होंने ऐसा कहते हुए धनुष पर तीर चढ़ाया, तब कहीं जाकर समस्या का समाधान निकल सका। आज वही स्थिति सामने है, जब तक पाकिस्तान भारत से भयभीत न होगा तब तक इसी तरह वह हम सबको अघोषित युद्ध मे

उलझाये रखेगा भारत के समक्ष अब एक ही रास्ता है युद्ध चाह वह घोषित हो या अघोषित, उसे लड़ना ही होगा ।

कश्मीर हो या उसका भू-भाग कारगिल । भारत को अब किसी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अभियान को रोकना नहीं चाहिए । अतीत गवाह है कि जब-जब दबाव में आकर अपनी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोका गया, वहीं मामला अटक गया और वही विवाद भारत के लिए नासूर बन गया । आजादी प्राप्त करने के समय पाण्डिचेरी, फ्रांस और गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था । फ्रांस ने तो पाण्डिचेरी सहित उन सभी भारतीय भू-भागों से अपने पाँव और हाथ खींच लिये, मगर पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ा; लेकिन कश्मीर पर तो पाकिस्तान का कभी कब्जा था ही नहीं । राज्यों के विलय के समय अन्य देशी रियासतों की तरह वह भी स्वेच्छया भारत में विलीन हुआ था ।

आक्रमणकारी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से हटना ही नहीं चाहता और अब शिमला समझौता तथा लाहौर घोषणा-पत्र पर मिट्टी डालकर कारगिल क्षेत्र मे युद्धविराम सीमा रेखा से भी आगे बढ़ आया है । पाक सैनिकों की मिली लाशों तथा उनके प्राप्त साजो-सामान के बाद अब किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं, यह जानने के लिए कि पाक हमलावर है या नहीं ? अत: विश्व समुदाय को चाहिए कि वह पाकिस्तान को हमलावर घोषित करे, या फिर खामोश रहे, भारत पाकिस्तान से निबट लेगा और अपनी जमीन छुड़ा लेगा । हम लोग अपनी जमीन और जमीर दोनो को बचा लेने में समर्थ हैं ।



भारतीयों को बर्बाद करती पश्चिमी सभ्यता

आजकल जिस तरह से हम पश्चिमी सभ्यता के गुलाम होते जा रहे है, उतना तो हम तब गुलाम नहीं थे, जब अंग्रेजों का शासन था । आज अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के साथ-साथ पश्चिमी जीवन-शैली हमारे जीवन पर हावी होती जा रही है । टी.वी., रेडियो और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है, जिससे हमारे समाज का पारस्परिक प्रेम, सहानुभूति, अपनत्व, शिष्टाचार गायब हो रहे हैं । उसकी जगह पर अहंकार, क्रोध, कलह, पैसे की छीना-झपटी, स्वार्थपरता बढ़ गयी है । परिवारों का विघटन हो रहा है। आज के बच्चे माता-पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेने के बजाय हैलो डैड और हाय माम कहकर सम्बोधित कर रहे हैं ।

गुरुजनों से तो उनका रिश्ता रूपये देकर ज्ञान लेने तक सीमित हो गया है । गुरु भी शिष्य को ज्ञान देने के बजाय धनोपार्जन करने में पूरी तरह लग गया है, तो फिर उन्हें सम्मान कैसे मिले ? इसी प्रकार फिल्में लोगों को अधनंगे, कामोत्तेजक एवं हिंसात्मक दृश्य दिखा रही हैं । पश्चिम से ली गयी कार्यप्रणाली, राजनेता सत्ता पाने के तरह-तरह के हथकण्डे अपना रहे हैं । बूथ कैप्चरिंग से लेकर वोटों की खरीददारी एवं गुण्डागर्दी का खुला प्रयोग हो रहा है । पैसों की छीना-झपटी में गरीब घर की लड़कियों की शादियाँ भी होनी मुश्किल हो गयी हैं । लड़कियों को वस्तुओं की तरह खरीद-फरोख्त किया जा रहा है ।

नेपाल, बंगाल एवं अन्य भागों की गरीब घर की लड़कियाँ पशुओं की तरह बेची जा रही हैं । बड़े-बड़े शहरों में वेश्यावृत्ति और कालगर्ल के धंधे चल रहे है । अंग्रेजी के पीछे लोग इतना पागल हो रहे हैं कि अपनी संस्कृति को भूल कर निमन्त्रण-पत्र भी अंग्रेजी में छपवाने लगे हैं । वे समझते हैं कि इससे उनकी इज्जत बढ़ जाती है । समाज में चारों तरफ अशान्ति फैली है । पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण ही हम विश्वबन्धुत्व की भावना भूलते जा रहे हैं । युद्ध इस दुष्परिणाम का उदाहरण है।

एक ही मातृभूमि से उपजे दो भाई (भारत-पाकिस्तान) एक-दूसरे को नीचा दिखाने व अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या विडम्बना है कि हमारे देश के जवान अपनी ही जमीन पर अपनी सीमा-रक्षा के लिए अपने भाई के द्वारा मारे जा रहे हैं। गाँव के खेत की लड़ाई से लेकर देश की सीमा रेखा की लड़ाई तक मे अहम् एवं लोभ का बोलबाला है। जिस आत्मीयता व भाईचारे के लिए हम भारतीय पूरे विश्व में माने जाते थे, वह मूल्य पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में भ्रमित हो रहे हैं। इससे हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं और हम गुलामी की ओर बढ़ते जा रहे हैं; क्योंकि जिस देश या समाज की अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म की पहचान समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब वह उसी का गुलाम हो जाता है, जिसकी संस्कृति और आचरण अपने जीवन में अपनाता है।

इस समय देश बड़े नाजुक मोड़ पर है। हमारे ऊपर क़ब्जा करने के लिए पड़ोसी एवं विदेशी सभी लोगों की नियति साफ नहीं है। उनके बुने तानाबाना जाल से हमें सावधान रहना है। इस्लाम धर्म प्रधान पाकिस्तान तो हमारे ऊपर आक्रमण कर ही रहा है और ओसामा बिन लादेन आतंकवादियों का संगठन बनाकर उनका प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। उसके द्वारा आतंक फैलाकर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं।

दूसरी तरफ विदेशी ईसाई लोग बाजारों में घुसकर नीम, जामुन, बैंगन व करैला पर धावा बोल ही दिये हैं और बाजारों में अपना आधिपत्य जमाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईसाई धर्म प्रचार-प्रसार का कार्य विदेशों से धन मँगाकर पादरियों के द्वारा शिक्षा, दवा के नाम पर गरीब हरिजन लोगों को लोभ देकर धर्म-परिवर्तन कराकर ईसाई बनाया जा रहा है।

इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मीठा जहर देकर हिन्दू धर्म पर चोट करके कमजोर किया जा रहा है। बाकी समाज में अंग्रेजी फैशन उनके वातावरण में अपने आप मिलता जा रहा है। उसी का नतीजा यह हुआ कि समाज में अशान्ति, हिंसा, क्रोध, कामुकता, बलात्कार, लोभ, अपहरण, लूट, डकैती व छीना-झपटी का माहौल बन गया है। देश में राजनीति की स्थिति इस प्रकार है कि स्वार्थ सत्ता

क लोभ अपराधी लोगो का राजनीति मे प्रवेश व दखल ने सभी सिद्धान्तो विचारों को नजरअदाज कर दिया है ।

समाज को जाति, धर्म में बाँट कर वोट की राजनीति की जा रही है, जिससे समाज, देश कमजोर हो रहा है । असमय में ही बार-बार चुनाव कराये जा रहे हैं । जिससे एक तरफ करोड़ों रूपये का खर्च होता है, जो कि अगर चुनाव न होता, तो यही पैसा देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के काम आता। सचमुच जिन लोगों ने देश को चुनाव की ओर ढकेला है, वे देश के हितैषी नहीं कहे जा सकते ।

दूसरी ओर बिना समय पूरा हुए बार-बार चुनाव से देश की आन्तरिक शक्ति कमजोर होती है, हमारा कलह, मतभेद उजागर होते हैं और उसका फायदा पड़ोसी व विदेशी उठाने की कोशिश करते हैं । जैसा कि आप सबने देखा कि जैसे दिल्ली मे सरकार गिराई गयी, अस्थिरता का माहौल बना, केन्द्र कमजोर हुआ, मालूम पडा कि पाकिस्तान की तरफ से हमला शुरू हो गया । इससे हम देशवासियों को आजादी की रक्षा के लिए सब मतभेद भुलाकर अपनी पहचान केवल हिन्दुस्तानी बनावे । अपनी जाति, धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र का हित सर्वोपरि मानें, जिससे हम अब गुलाम न बनें, देश की आजादी बनी रहे, इसके लिए सतर्क रहें ।



क्या-क्या हुआ चौवन वर्षों में

१५ अगस्त, २००० को भारत अपनी आज़ादी की ५४वीं वर्षगाँठ मना रहा है। यह दिन हम सब को स्मरण दिलाता है कि सैकड़ों वर्ष के कितने कठिन संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। आज का दिन ऐसे उन सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने का है, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में हँसते-हँसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन ५४ सालों में वह पीढ़ी बदल-सी गयी, जिसने आज़ादी के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा योगदान किया था। आज देश मे उसी पीढ़ी का बाहुल्य है, जिसने स्वातन्त्र्योत्तर भारत में अपनी आँख खोली। स्वतन्त्रता दिवस पर इस पीढ़ी को अपने पुरखों के त्याग और बलिदान की गौरव-गाथाओं को स्मरण करना चाहिए। इस देश को आज़ादी भीख में नही मिली। यह आज़ादी मिली है, पूर्वजों द्वारा सत्य के लिए किये गये सतत सत्याग्रह आन्दोलन, त्याग, बलिदान की भावना के चलते। अंग्रेजों ने विवश होकर भारत छोड़ा।

भारत ने इसके लिए अपने नौनिहालों के अनगिनत शीश गँवाये हैं, जिनकी न तो कभी गिनती ही की जा सकती है और न ही इनका मूल्याङ्कन किया जा सकता है। क्रूरता और बर्बरता पर उतर आयी ब्रिटिश सत्ता ने अपना जुल्म चरम सीमा पर पहुँचा दिया था, जगह-जगह गाँव-गाँव फाँसी के फन्दे लटका दिये गये, फिर भी यहाँ की जनता पर इसका उतना असर नहीं पड़ा। आजादी के दीवाने कुछ वीर ऐसे भी निकले, जिन्होंने फाँसी के फन्दे को चूम कर खुद ही उसे अपने गले में डाल लिया। सनातन से ही भारत का तो मूल मन्त्र ही था 'यतेमहि स्वराज्ये' स्वराज्य के लिए यत्न करना चाहिए। देशवासी इस मूल मन्त्र को ही भूल गये थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने १९०५ में देशवासियों में नयी चेतना फूँकी 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'। बाद में महात्मा गाँधी की अगुवाई में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा बुलन्द कर देशवासियों को सत्याग्रह आन्दोलन से जोड़ा गया। दूसरी ओर नेता जी सुभाषचन्द्र बोस ने 'तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा' का नारा देकर भारत से बाहर विदेशी भूमि पर आजाद हिन्द फौज का गठन कर नये ढंग से स्वतन्त्रता संग्राम छेड़ा। पं. जवाहर लाल नेहरू जैसे अनेक परिवार अपने राजकीय वैभव का त्याग कर स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े।

१९४७ में भारत को आजादी मिली, पर खण्डित रूप से मिली, जिसकी

कल्पना उस समय किसी स्वतन्त्रता सेनानी ने नहीं की थी। चाहे वह मंगल पाण्डेय, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाषचन्द्र बोस रहे हों या चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह या दक्षिण की चेनम्मा या फिर कोई और। आजादी का जश्न देशवासी पूरी तरह मना भी नहीं सके कि पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग कर कब्जा कर लिया। आज ५४ वर्ष बाद भी हम लोग उस भूमि पर पुनः कब्जा नहीं कर सके और तो और पिछले दिनों तो कश्मीर के कारगिल आदि और कुछ क्षेत्रों पर भी पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। रासायनिक अस्त्रों से भी लैस होकर युद्ध की योजना बन गयी थी। हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मनों को खदेड़ कर विजय पायी; परन्तु सीमावर्ती इन क्षेत्रों में अभी भी खतरा बरकरार है। सीमा की रक्षा मे अपने प्राणों को निछावर करने वाले उन सभी सैकड़ों शहीदों को भी इस अवसर पर शत बार नमन करना चाहिए।

स्वतन्त्रता दिवस के इस पुनीत पर्व पर सभी शहीदों के बलिदान पर गर्व करना चाहिए और यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि वह किस अखण्ड भारत की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके प्रिय गीत जनगण....की पंक्तियों में ही कहा गया है 'पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग'। सिन्ध और पूर्वी बगाल हमसे अलग हैं और कश्मीर का मामला अधर में लटका हुआ है। कम से कम जब तक भारत पूरे कश्मीर को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक भारत की स्वतन्त्रता पूर्ण नहीं होगी।

आज बहुत से राजनीतिक दल अपनी स्वार्थसिद्धि में लग गये हैं। राष्ट्रहित उनके लिए गौण विषय बन गया है, जाति-धर्म, ऊँच-नीच का भेदभाव बढ़ाकर स्वार्थ-सिद्धि का प्रयास हो रहा है। देश की जनता को ऐसे तत्त्वों से सावधान रहने की जरूरत है। आम नागरिकों में स्वतन्त्रता से पूर्व का फिर से जज्बा पैदा होना जरूरी हो गया है। अटक से कटक तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक के देशवासी एक हैं और एक ही रहेंगे, तभी देश की एकता मजबूत रह सकेगी और हमारी स्वतन्त्रता भी मजबूत रहेगी। राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्रता की रक्षा करने हेतु प्रयासरत रहने का हम सबको फिर से संकल्प लेना चाहिए। इस सन्दर्भ में कुछ पक्तियाँ हमारे मस्तिष्क में हिलोरे मार रही हैं –

चाहो जो सच्चा, मानो अपना देश महान्
हिन्दू-मुस्लिम सिख इसाई, हम सब भारत की सन्तान।
जयो निरन्तर एक समान, अपना भारत देश महान्॥

तकनीकी क्षेत्र में भारत का भविष्य

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने देश के वैज्ञानिक भविष्य को अच्छा बनाने के लिए पाँच आई.आई.टी. की स्थापना की थीं; परन्तु बड़े खेद की बात है कि उनके बाद लगभग तीन दशक से ज्यादा समय हो गया, देश में किसी भी स्तर के महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के संस्थान की स्थापना नहीं की गयी। जो इंजीनियर इन संस्थाओं से पढ़कर निकले भी, उनको भी इधर-उधर चले जाने की छूट दे दी गई। प्रशासनिक सेवाओं में काफी संख्या में इंजीनियर भर्ती हो गये, जहाँ उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा एवं अनुभव का कोई प्रासंगिक उपयोग नहीं हो पाया। जो शिक्षा इन आई.आई.टी. और अन्य इंजीनियरिंग कालेजों में दी गई, उसकी उपलब्धियाँ भी ऐसी सुनने मे नहीं आई, जिससे कुछ नये आविष्कार हो पाते। देश के सामाजिक लाभ के लिये कुछ नए प्रयोग किये जाते।

स्वायत्तता के नाम पर इन संस्थाओं को इतनी छूट दे दी गई कि वहाँ के पढाने वाले लोगों में आपस में गुटबन्दी हो गई। उनके काम को चेक करने का और प्रोत्साहन देने का कोई ऐसा इन्तजाम हो, जिससे जो करोड़ों रूपये इन पर खर्च हुए थे, उनकी भरपाई हो पाती। इन संस्थाओं में यही बात सुनने में आई कि वहाँ की शिक्षा पाकर तमाम प्रभावशाली इंजीनियर अमरीका चले गए। इस बात के लिए भी कोई संस्थागत प्रयास नहीं किया गया। इन प्रतिभाओं का पलायन कैसे रोका जाय। रेल, वायुयान, टेलीफोन, वायरलेस, टैंक, मिसाइल, भवन निर्माण, विद्युत् उत्पादन आदि के क्षेत्र में कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं दिखाई दिया, जिसको इन संस्थाओं की उपलब्धि के रूप में समझा जाता। अब जरूरत इस बात की है कि नई-नई ऐसी इंजीनियरिंग संस्थाएँ खोली जाँय, उनमें नए आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहन के पर्याप्त साधन दिये जाँय।

स्वास्थ्य के क्षेत्र मे अभी भी गाव म झोला छाप डाक्टरों की भरमार है जरूरत यह है कि हर मण्डल में एक-एक मेडिकल कालेज खुले और हर २-४ गाँव के बीच में अच्छे प्रशिक्षित डाक्टर उपलब्ध हों। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा और बढ़ाए जाने के सारे उपाय किये जाने चाहिए। धीरे-धीरे कम्प्यूटर का उपयोग सार्वजनिक जीवन में बढ़ता जा रहा है, इसलिए कम्प्यूटर के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान खोले जाने चाहिए। जो अच्छे प्रशिक्षित कम्प्यूटर इंजीनियरों को तैयार कर सकें और उसके लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

विभिन्न उद्योगों तथा मशीनों के जानकार इंजीनियरों की भी देश को बडी जरूरत है, जो उद्योगों की मशीनरी बना सकें और उनका संचालन तथा मरम्मत कर सके। ऐसी बड़ी मशीनें जिनका देश में निर्माण नहीं हो पाता, उनकी इस प्रकार की मशीनरी बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन और उनके प्रशिक्षण दिये जाने के लिए भी इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने चाहिए, ताकि देश इन विधाओं में आत्मनिर्भर बन सके। वैज्ञानिक इतिहास राष्ट्र की विजय का कारण बनता रहता है। इसलिए वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति बहुत जरूरी है, उसके लिए अच्छे वैज्ञानिक और तकनीकी कानून के संसाधन का विकास बड़ा जरूरी है। देश के सभी सुविधासम्पन्न लोगों को इसके बारे में विशेष ध्यान देकर अपना योगदान करना चाहिए।

रक्षा सौदों में भारी भ्रष्टाचार

रक्षा सौदों में भारी भ्रष्टाचार की शुरुआत १९८० में हुए एच.डी.डब्ल्यू पनडुब्बी सौदे से हुई थी । पनडुब्बियों की खरीद के इस समझौते से रक्षा सौदों ने दलाली का एक नया अध्याय शुरू होता है । रक्षा सौदे भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के लिए पैसा कमाने का आकर्षक स्रोत उपलब्ध कराते हैं । ये सौदे बहुत बड़े होते हैं और उन पर गोपनीयता का पर्दा पड़ा रहता है । यह गोपनीयता खरीद तक में बरती जाती है, सौदे के आकार तथा अन्य दूसरे मामलों में गोपनीयता तो रहती ही है । भुगतान विदेशी मुद्रा में होता है । सौदे में बोली लगाने वाले पक्ष हमारे मीडिया की पहुँच के बाहर होते हैं और वे गोपनीयता की संस्कृति के अभ्यस्त होते हैं ।

चूँकि दुनिया के अधिकांश रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है इसलिए वे सौदागर गोपनीय भुगतान करने तथा उनके सबूतों को मिटाने में माहिर होते हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर इन सौदों से सम्बन्धित सवालों को संसदीय पूछताछ से बचाना भी आसान होता है । इन्हें मीडिया से भी छिपाना सरल है । रक्षा सामानों की कीमतें गोपनीय होती हैं और ये इतनी ऊँची रखी जाती हैं कि रक्षा सौदागरों के लिए आकर्षक रिश्वत देना आसान होता है। कीमतों मे बढ़त-घटत करने में भी आसानी रहती है । चूँकि ये सौदे सैकड़ों और कभी-कभी हजारों करोड़ रूपये में होते हैं, इसलिए एक या दो प्रतिशत की कमी या भुगतान मात्र से काफी पैसा निकल आता है । एक समय था, जब माना जाता था कि सोवियत संघ से किये गये रक्षा सौदे साफ-सुथरे होते हैं; लेकिन १९८० के बाद से स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी ।

सभी रक्षा सौदे एक तय प्रक्रिया के तहत होते हैं । उपकरणों की आवश्यकता, इनके काम करने के मानदंड, खरीदने योग्य उपकरणों की संख्या, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत, उपकरणों की कीमत आदि बातों को खरीददार की स्वीकृति, वित्त की तथा गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरना होता है यही कारण है कि

किसी एक खरीद मे अनेक लोग शामिल होते हैं कीमत निर्धारित करने के लिए बनी समिति में रक्षा, वित्त तथा रक्षा सेवा मन्त्रालयों के अधिकारी रहते हैं। बड़े-बडे सौदों की पुष्टि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी मन्त्रिमंडलीय समिति करती है।

एक भ्रष्ट रक्षामन्त्री इस प्रक्रिया का अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। इसका कारण यह है कि किसी एक रक्षा उपकरण को बेचने के लिए एक से ज्यादा सौदागर उपलब्ध रहते हैं। उपकरणों की क्षमताओं में भिन्नता होती है। उपकरण खरीद के अन्तिम निर्णय का निर्धारण आम तौर पर उपकरण की क्षमता, रखरखाव खर्च, उपलब्ध कराने की तारीख तथा अवधि, कीमत तथा (जहाँ खरीद में उधार का मामला हो) धन की व्यवस्था से होता है। बिचौलियों की भूमिका तब शुरू होती है, जब रिश्वत देने वाली कम्पनी को यह बताना शुरू किया जाता है कि सौदे में अपने दावे को वह कैसे इतना आकर्षक बनाए कि समिति को उसे स्वीकार करने में कोई परेशानी हो। आम तौर पर निर्णय लेने वाली समिति का फैसला ईमानदार होता है। सकारात्मक निर्णय सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिज्ञों को अच्छी खासी धनराशि मिल जाती है।

ऐसा भी सम्भव है कि सबसे ज्यादा रिश्वत देने वाली कम्पनी सबसे कम कीमत का उल्लेख नहीं कर पाये अथवा सबसे कम कीमत पर माल नहीं देना चाहे। ऐसी स्थिति में तरीका यह है कि उपकरण की खास तरह की क्षमता को ज्यादा तरजीह दी जाने लगती है, यानी उपकरण की कोई खास विशेषता को खरीद के लिए ज्यादा महत्त्व दिया जाने लगता है। एच. डी. डब्ल्यू. पनडुब्बी तथा जगुआर विमान के साथ ऐसा हुआ। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ रक्षा अधिकारियों की ओर से यह माँग उठवाते हैं कि उन्हें किसी खास किस्म की क्षमता वाले उपकरण की जरूरत है। कोई भी असैनिक अधिकारी अथवा वित्तीय विशेषज्ञ इस तर्क के खिलाफ दलील नहीं देगा। हाँ, रक्षा अधिकारियों को इस काम के लिए तैयार करना होता है और उन्हें भी इसके लिए उचित प्रोत्साहन देना होता है।

इस तरह के रक्षा सौदे के लिए भारत या विदेश में रह रहे बिचौलियों को हमेशा शामिल किया जाता है। मन्त्री या अधिकारी नहीं चाहेंगे कि दुनिया उन्हे

उपकरण बेचने वाली कम्पनी से सौदा करते देखे । प्राय: बिचौलिये पत्रकारों को प्रोत्साहित कर उनसे अखबारों में किसी खास उपकरण की प्रशंसा में लेख लिखवाते है । इसी तरह प्रतिस्पर्धियों के उपकरणों के खिलाफ आग भी उगलवाई जाती है । बिक्री सुनिश्चित करने तथा बढ़ाने के इस खेल में मीडिया के अपने लोगों को भी लाभ पहुँचाया जाता है । वित्त तथा रक्षा मन्त्रालय के अधिकारी खरीद-बिक्री तथा पसन्द-नापसन्द के निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं । फिर भी, वे निर्णय लेने में विलम्ब तो करवा ही सकते हैं। वे असुविधाजनक सवाल भी खडे कर सकते हैं । इसलिए बिचौलिए उन्हें भी शान्त करने की कोशिश करते हैं । यदि कोई अधिकारी खरी-खरी बात करने वाला है, तो उसे वहाँ से हटवा दिया जाता है और ऐसे अधिकारी को उसकी जगह लाया जाता है, जो बिचौलिये की सुविधा के अनुसार चले ।

आम तौर पर रिश्वत की राशि का भुगतान विदेशों में होता है । जब कभी जरूरत पड़ती है, तो हवाला के माध्यम से इसे देश में लाया जाता है । राजनीतिज्ञो के लिए यह भुगतान का सबसे पसन्दीदा तरीका है । कम भुगतान वाले अधिकारी स्वदेश में ही ब्लैक में भुगतान पा लेते हैं । इसलिए रक्षा सौदों में होने वाले भ्रष्टाचार को मन्त्रालय में प्रक्रिया के सुधार से समाप्त नहीं किया जा सकता । यह तभी हो सकता है, जब निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने वाले राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों की आय तथा सम्पत्ति की नियमित जाँच होती रहे तथा राजनीतिक पार्टियों के खाते का सार्वजनिक आडिट होता रहे । एक संघीय जाँच एजेंसी का गठन सभी रक्षा सौदे तथा बिचौलियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है । यह एजेंसी बिचौलियो तथा रक्षा सौदे में शामिल राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों के सम्बन्धों पर नजर रखने के उद्देश्य से गठित की जाय; पर राजनीतिज्ञ इस सुझाव को शायद ही स्वीकार करे।

इसके अलावा यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि उपकरणों के चुनाव का निर्णय किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं छोड़ा जाय, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियो का बोर्ड इसका निर्णय करे और वह बोर्ड के सदस्यों का सामूहिक निर्णय हो । मन्त्रियो पर निगाह रखने वाले लोकपाल तथा अधिकारियों पर नियन्त्रण रखने वाले

सतर्कता आयोग का इसके लिए सबसे पहले गठन किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि एक सर्वदलीय संसदीय समिति इस बात के लिए राजी नहीं हुई थी कि सतर्कता आयुक्त बिना सरकार की पूर्वानुमति के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करे। यह इसलिए हुआ; क्योंकि भारत की लगभग तमाम पार्टियाँ अपना कामकाज चलाने के लिए इस तरह के गन्दे सौदों से धन प्राप्त करना चाहती है। इसलिए अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के बीच इस बात पर सर्वानुमति है कि बडे सौदों की बारीकी से जाँच न हो।

रक्षा सौदों में हमारी तैयारियों पर राजनीतिक भ्रष्टाचार का बहुत खराब असर पडता है। जब भी किसी रक्षा उपकरण–उदाहरण के लिए एजेंटी ट्रेनर की खरीद के निर्णय में विलम्ब होने लगता है, तो समझा जाता है कि उस खरीद से कुछ लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं। अधिकांश अधिकारी उन निर्णयों में अपने आपको शामिल नहीं करना चाहते, जिनमें भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा हो। यही कारण है कि वे निर्णय लेने से ही कतराने लगते हैं। वर्तमान रहस्योद्घाटनों पर पाकिस्तान बहुत खुश होगा। इनके कारण उपकरणों की खरीद के निर्णय जहाँ के तहाँ थम जायेंगे। वित्तीय वर्ष २०००-२००१ में भी रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए बजट में जितनी धनराशि का प्रावधान था, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब आने वाले वर्ष में खरीद और कम हो सकती है। ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी है कि पूरी खरीद प्रक्रिया को ही साफ किया जाय और सभी राजनीतिज्ञों के व्यक्तिगत या पार्टी उद्देश्य के लिए धन अर्जित करने पर लगातार नजरें रखी जाँय।

छोटे उद्योगों की

आवश्यकता इस बात की है कि छोटे उद्योग हमारे उत्पादन के आधार बनें। एक ओर तो हम छोटे उद्योगों का विकास करना चाहते हैं, वहीं हथकरघे का कपड़ा बनाने वालों को सूत नहीं मिलता । सूत के लिए उन्हें मिल पर निर्भर रहना पड़ता है । सरकार इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकी कि छोटे और बड़े उद्योगों के बीच में उत्पादन का पृथक्-पृथक् क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाय, जिसके अनुसार वे बिना प्रतियोगिता के आगे बढ़ सकें । सरकार ने औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में छोटे उद्योगों की उपयोगिता स्वीकार की है । उनसे धन एक जगह इकट्ठा नहीं होता, श्रम भी एक जगह इकट्ठा नहीं होता और औद्योगिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण होता है; लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में ऐसी बात दिखाई नही देती । छोटे-छोटे उद्योग अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके हैं ।

सरकार उन्हें सहायता देती है, मगर वह सहायता ऐसी है, जैसे भरी हुई थाली तो बड़े उद्योगों के सामने रख दी जाती है और कुछ टुकड़े छोटे उद्योगो के सामने फेंक दिये जाते हैं । मेरा निवेदन है कि यह औद्योगीकरण का ढॉचा देश की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है; क्योंकि अगर बड़े उद्योगों का निर्माण करके हमने देश का उत्पादन बढ़ा भी लिया, तो उस बढ़े हुए उत्पादन के लिए हमे बाजार अपने देश में ही प्राप्त करना होगा और उसके लिए हमें हर आदमी के खरीदने की ताकत बढ़ानी होगी । अगर हम छोटे उद्योगों का विकास नही करेगे, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को काम नहीं दे सकते और अगर काम नही दे सकते, तो बड़े उद्योगों द्वारा तैयार होने वाला माल हमारे लिए संकट का कारण बन जायेगा ।

विदेशी निर्यात पर हमें बल देना चाहिए । लेकिन हम यह देख रहे हैं कि निर्यात की सम्भावनाएँ कम होती जा रही हैं । जैसे-जैसे एशिया और अफ्रीका के

गुलाम देश स्वतन्त्र हो रहे हैं, जैसे-जैसे वे अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपना औद्योगिक विकास करेंगे, निर्यात का क्षेत्र और भी सीमित हो जायेगा । फिर हम जो जो भी माल तैयार करेंगे, उसके लिए हमें अपने देश के भीतर ही बाजार तैयार करना पड़ेगा । यह बाजार तब तक तैयार नहीं होगा, जब तक कि हम हर एक आदमी के लिए काम की व्यवस्था नहीं करेंगे । दूसरी योजना के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि करते हुए भी हम बेकारी में कमी करने में सफल नहीं हो सके हैं । मैं समझता हूँ कि इसका एक रास्ता है कि हम औद्योगीकरण का तरीका बदलें । बड़े उद्योगों पर बल देने के बजाय हम गाँव-गाँव और झोपड़ी-झोपड़ी में कुटीर-उद्योगों का जाल फैलायें। अधिक से अधिक लोगों को इससे काम मिल सकेगा । उनकी क्रय-शक्ति बढ़ेगी और बढ़े हुए उत्पादन को अपने देश में खपा कर हम उनके जीवन का स्तर भी ऊँचा कर सकेंगे ।

परेड दिल्ली में नही, गुजरात में होनी चाहिए थी

२६ जनवरी, २००१ का दिन गुजरात के अंजार जिले में ४०० बच्चों व ४० अध्यापकों के लिये काला दिन बन गया। उन्हें शायद यह पता नहीं था कि जय हिन्द का नारा लगाते-लगाते अचानक बचाओ-बचाओ में बदल कर मौत का आलिङ्गन करना पडेगा। भुज, अंजार, भचाऊ, राजकोट, कच्छ, अहमदाबाद के क्षेत्र जिस समय भूचाल के प्रकोप से मलबे का ढेर बन रहे थे, वहीं दूसरी ओर समूचा राष्ट्र गणतन्त्र दिवस का उत्सव मना रहा था। अनेक विद्वानों के विचारों से लेकर ज्योतिष के आचार्यों की भविष्यवाणियाँ आने लगीं। अंजार जिले में भूकम्प आने का कारण कुछ और ही बताया जा रहा है। इस मान्यता को मानने वालों का कहना है कि यहाँ जैसेल नाम का एक डाकू, जिसकी एक प्रेमिका तोरल थी। इन दोनों की समाधियाँ अलग-अलग बनी हुई है और यह कि इनकी समाधियाँ एक-दूसरे के पास खिसक रहीं थी, इस कारण भूकम्प आया। हो सकता है यह नये सिद्धान्त 'प्लेट विवर्तन सिद्धान्त' पर आधारित हो।

जब तक यह लेख प्रकाशित होकर पाठकों तक पहुँचेगा, शायद तब तक भूकम्प की चर्चा समाप्त हो जायेगी, ठीक उसी तरह से जैसे लाटूर के भूकम्प व उड़ीसा के तूफान की चर्चा को लोग भूल गये, इस भूकम्प से भी हम कोई सबक ले सकेंगे, ऐसा नहीं लगता।

यह बड़ी ही विडम्बना का प्रश्न है कि लगभग साढ़े आठ बजे प्रातः से नौ बजे प्रातः तक भूकम्प से धरती काँपती रही। ऐसा लोगों ने महसूस किया, मानो धरती पानी में समा जायेगी; परन्तु गणतन्त्र दिवस परेड पूरे चार घंटों तक चलती रही। भारत के राष्ट्रपति अपना भाषण बड़ी ही शान से इण्डिया गेट से पूरे देश मे प्रसारित करते रहे। क्या यह मान लिया जाय कि भारत के सर्वशक्तिमान् व्यक्ति को इतने बड़े हादसे, जिसमें लगभग ८० हजार (जार्ज फर्नांडीज के अनुसार एक लाख) लोगों की मौत हो गई, की सूचना नहीं मिली ? क्या यह संभव लगता है ? हमारे संचार माध्यमों टी.वी., रेडियों के प्रसारण की पहुँच दुर्गम पहाडों तक है। टेलीफोन, मोबाइल की पहुँच जैसा सरकार कहती है गाँव-गाँव नगर नगर तक है परन्तु किसी ने यह खबर दिल्ली नहीं पहुँचाई ? इतनी बड़ी

तबाही का हाहाकार स्थानीय प्रशासन को भी नही सुनाई दिया यदि यहा सत्य मान लिया जाय, तो क्या ये सभी इकाइयाँ व प्रशासन जिम्मेदार नहीं हैं ।

हमारे अनेक लड़ाकू विमान दिल्ली की परेड में टनों पेट्रोल फूँक रहे थे, क्या यही सार्थक उड़ान तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्र के लिये नहीं हो सकती थी ? परेड मे जल, थल, वायु सेना के अतिरिक्त अनेक कैडेट भी अपना पसीना कड़कड़ाती ठड में बहा रहे थे, क्या यह पसीना राहत कार्य में सही वक्त पर नहीं बहना चाहिए था । भूकम्प की तीव्रता की माप पर यदि विवाद होता है, तो क्या वैज्ञानिकों के मस्तिष्क का विश्लेषण नहीं होना चाहिए ।

राहत कार्य में देर हुई, इस कारण भारी जन-हानि हुई; परन्तु एक अनुमान के अनुसार एक खरब रूपये की भी चपत लगी । यह हानि गरीब जनता को उठानी पडेगी । आयकर के दायरे में आने वाले हर व्यक्ति को भूकम्प राहत कोष के लिये २ प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार वहन करना पड़ेगा । भारत की जनता हमेशा एक-जुट रही है, चाहे कारगिल युद्ध हो या टिहरी, लाटूर, भुज का भूकम्प अथवा उडीसा का भयानक तूफान । भारत की जनता ने ही नहीं, बल्कि अप्रवासी भारतीयो ने भी पीड़ितों को धन की कमी नहीं होने दी; परन्तु उसका सही उपयोग न लाटूर के भूकम्प में हुआ, न उड़ीसा के तूफान पीड़ितों पर । जाँचें होती रहती हैं, कोई साक्ष्य नहीं मिलता । राहत कार्य में लगे जनसाधारण खुले मन से सेवा करते हैं, यह कोई नहीं पूछता कि यह शव हिन्दू का है या मुस्लिम का । भेद-भाव राजनेता ही बनाते हैं ।

माननीय चन्द्रशेखर जी (पूर्व-प्रधानमन्त्री) की रैली ३० जनवरी, २००१ को लखनऊ में आयोजित होने के स्थान पर भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में हो सकती थी। श्रद्धालु कार्यकर्त्ताओं को राहत कार्य में लगाना मेरे विचार से अधिक बेहतर होता, पर ऐसा नहीं हुआ । ३१ जनवरी से ४ फरवरी, २००१ तक लगने वाला स्वास्थ्य मेला गुजरात में कहीं लगना चाहिए था । विशेषज्ञ डाक्टरों की आवश्यकता गुजरात के भूकम्प पीड़ितों को अधिक थी, न कि मोटापे से पीड़ित लखनऊवासियों को । स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन माननीय प्रधानमन्त्री अटल जी वही गुजरात मे करते तो

लगता, वास्तव में कवि हृदय में करुणा, दया, संवेदना है। पर दुर्भाग्य से ऐसा नही हुआ।

आजादी के लगभग ५० वर्ष बीत जाने पर भी हमें संसाधनों का समुचित प्रयोग करने नहीं आया। भुज का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जो विनाशकारी भूकम्प का जोन है। पहाड़ में आये भूकम्प में साधारण ईंट व गारे से जुड़ी इमारतें नहीं गिरीं, जो गिरीं, उनमें इतनी अधिक जनहानि नहीं हुई, ऐसा सर्वेक्षण में पाया गया है, परन्तु कंक्रीट, लोहे, सीमेंट से बनी इमारतें तास के पत्ते जैसे बिखर गयीं। फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र बनाकर भूकम्परोधी बहुमंजिली इमारतों के नाम से बनी त्रुटिपूर्ण इमारतों को बनाने वालों पर क्या मुकदमा नहीं चलना चाहिए। स्निफर डाग्स व सेंसरों के जरिये जब विदेशी दल मलबे से जीवित व्यक्तियों को निकालते, तो लोग आश्चर्य से देखते रहते। यह कुत्ते क्या अपने देश में नही प्रशिक्षित हो सकते। छः दिन बीत जाने पर भी अनेक गाँव ऐसे पड़े रहे, जहाँ प्रशासन का एक भी अधिकारी नहीं गया।

प्रधानमन्त्री जी के दौरे के दौरान लोगों ने यह बताया कि एक दम्पत्ति ने अपने नवजात शिशु का नाम भूकम्प रख दिया। यह इस बात का द्योतक है कि लोक इस घटना को याद रखना चाह रहे हैं, वे शायद इससे सबक भी लेना चाह रहे हैं कि इससे बचाव की आवश्यकता है, इससे बचाव का उपाय किया जाय; परन्तु प्रधानमन्त्री जी शायद इस भूकम्प को भूलना चाह रहे हैं, गणतन्त्र दिवस की खुमारी लगता है अभी नहीं उतरी, तभी उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी कि शिशु का नाम गणतन्त्र होना चाहिये। पूर्व की भाँति इस बार भी राहत सामग्री आकर प्रभावित क्षेत्र में डम्प हो गई; परन्तु बेहतर समन्वय व केन्द्रीय नेतृत्व के अभाव में इसका वितरण सही नहीं हो सका। लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कम्बलों को अच्छे दामों में बेचा जा रहा है। आवश्यकता किसी और चीज की है; परन्तु उपलब्ध और ही वस्तु करायी जा रही है। लुटेरों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं; परन्तु जो कुर्सी मे बैठकर लूट रहे हैं, उन्हें क्या सजा मिलेगी ?

कच्छ क्षेत्र की कमान स्वयं मुख्यमन्त्री केस भाई पटेल सम्भाल रहे हैं, इससे शायद शिकायत मे कमी आयेगी

यह सत्य है कि दुनिया में कहीं भी भूकम्प आने के पूर्व भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, न ही कोई ऐसी तकनीक विकसित हुई है, जिसके आधार पर भूकम्प की भविष्यवाणी की जा सके; परन्तु राहत कार्य जल्दी शुरू किया जा सकता है। उदाहरणार्थ भूकम्प के ५ दिन बीत जाने पर भी प्लास्टर कटर, स्लेप व कंक्रीट कटर, क्रेनों आदि का अभाव रहा। इन सबके बिना राहत कार्य नहीं हो सकता। १९५६ में जवाहर नगर में भूकम्प आया था, यह पूरा का पूरा नगर बर्बाद हो गया था, पुनः वहाँ भूकम्प आया और एक बार फिर से खण्डहर हो गया। भारत का मैनचेस्टर इस समय पूरी तरह बर्बाद हो गया है, यदि भूकम्प प्रबन्धन बेहतर हो गया, तो सम्भवतः आगामी भूकम्पों में राहत कार्य शीघ्र शुरू होंगे, नहीं तो देश के कर्णधार देश के किसी सुरक्षित कोने में अपना राग अलाप रहे होंगे और पीड़ित मलबे के नीचे दम तोड़ रहे होंगे।

सरकारी शिक्षा पर सवालिया निशान

यह एक फैशन-सा हो गया है कि शिक्षा के बारे में लिखते समय शिक्षकों की आलोचना अवश्य की जाती है । बोर्ड के परीक्षा परिणामों को आधार बनाया जाता है और फिर तथाकथित पब्लिक स्कूलों से तुलना करके शिक्षकों पर आरोपों की बौछार कर दी जाती है । यह आलोचना पूरी तरह से गलत नहीं होती; लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी आलोचना के समय हम उन स्थितियों को भुला देते हैं, जिनमें हमारे सरकारी स्कूल अपना काम करते हैं । सरकारी स्कूलों तथा तथाकथित पब्लिक स्कूलों के स्टाफ (विद्यार्थी वर्ग) में भारी अन्तर होता है । यही भिन्नता बाकी अन्तरों की जड़ है।

पब्लिक स्कूलों में वैसे तो कमजोर विद्यार्थी को दाखिला ही नहीं मिलता, या फिर भी मोटे डोनेशन के लालच में दाखिला कर भी लिया जाय, तो सारा वर्ष ट्यूशन लगाकर 'कमजोरी दूर करने की शर्त' पहले रख दी जाती है । सरकारी विद्यालयों के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं । पढ़ाई के प्रति कितना भी लापरवाह छात्र हो, चाहे वह कितना ही उद्दण्ड क्यों न हो, बार-बार फेल होने के बाद भी नाम के लिए छात्र रहकर आवारागर्दी करना उसका लक्ष्य क्यों न हो, चाहे वह स्वयं के माता-पिता के कहने से बाहर क्यों न हो – सरकारी स्कूल ऐसे हर छात्र को दाखिला देने के लिए विवश हैं तथा सरकारी स्कूलों के अध्यापक (नये नियम बनने के बाद) बिना सजा दिये ऐसे छात्रों को सदैव झेलते रहने के लिए अभिशप्त हैं ।

पब्लिक स्कूलों में जहाँ प्रति सेक्शन ३० से ३५ विद्यार्थी होते हैं, वहीं सरकारी विद्यालयों में ६५ से ७० विद्यार्थियों के सेक्शन होना सामान्य-सी बात है। इस अन्तर का असर परिणाम पर पड़ता है । पब्लिक स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में भी नहीं लगाया जाता, जबकि सरकारी स्कूलों में २५ से ३५ प्रतिशत तक स्टाफ की कमी के बावजूद शिक्षकों को कभी चुनाव ड्यूटी, कभी पोलियो टीकाकरण, कभी औद्योगिक सर्वेक्षण, तो कभी जनगणना में झोंक दिया जाता है

पब्लिक स्कूल प्राय: ८ बजे से चलते हैं, जबकि सरकारी स्कूल दो पालियो मे संचालित होते हैं। दूसरी दोपहर१ बजे से सवा ६ बजे तक चलती है। यह समय अवधि शिक्षण कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। दूसरी पाली के अधिकांश स्कूलो मे रोशनी की पूरी व्यवस्था न होने के कारण विशेष रूप से सर्दियों में साढ़े पाँच बजे तक छुट्टी कर दी जाती है। अधिकांश सरकारी स्कूलों में प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, फर्नीचर, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओ का भी अभाव होता है। कई बार तो नक्शे-चार्ट, ग्लोब यहाँ तक कि चाक तथा ब्लैकबोर्ड और बैठने की दरियाँ तक पूरी नहीं होतीं।

पब्लिक स्कूलों के प्राय: सभी विद्यार्थी अपेक्षाकृत साधनसम्पन्न घरों से आते है। इन्हे पढ़ाई के कार्य में घर पर भी मार्गदर्शन मिलता है तथा प्राय: सारा वर्ष व्यक्तिगत ट्यूशन की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। सरकारी स्कूलों के बालक अपेक्षाकृत कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके अभिभावक इनका मार्गदर्शन करने में असमर्थ होते है और यदि वे सक्षम हों भी, तो दैनिक जीवन की व्यस्तताओं के कारण सहायता नही कर पाते। सरकारी स्कूलों के बहुत कम ही छात्र छोटी अवधि के लिए भी ट्यूशन जैसी सुविधा ले पाते हैं।

पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थी प्राय: स्वस्थ मानसिक परिवेश से लाभान्वित होते हैं। इसका प्रभाव उनके परीक्षा परिणामों पर होता है। सरकारी स्कूलों के अधिकांश बच्चे अभावग्रस्त अनधिकृत कालोनियों, जे.जे. क्लस्टर या स्लम क्षेत्रों से आते हैं। इन्हें प्राय: ८ से ९ घंटे या उससे भी ज्यादा बिजली गुल रहने का सामना करना पड़ता है तथा गर्मियों में पेयजल तक के लिए दूर-दूर तक मारे-मारे फिरना पड़ता है। ये दीन-हीन विद्यार्थी घर तथा बाहर नित्य होने वाले झगड़ों, गाली-गलौज, शराबखोरी, मार-पीट जैसी स्थितियों वाले रुग्ण मानसिक परिवेश के शिकार होते हैं। ऐसा वातावरण पढ़ाई के लिए सर्वथा प्रतिकूल होता है।

पब्लिक स्कूल निजी हाथों से प्रशासित होने के कारण समय एवं आवश्यकता के अनुसार त्वरित निर्णय ले पाते हैं जबकि सरकारी विद्यालयों को छोटी छोटी

बातो के लिए भी शिक्षा विभाग का मुह ताकना पड़ता ह । लाल फीताशाही तथा लम्बी कागजी कार्यवाहियों के कारण निर्णय होने तथा लागू किए जाने तक पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका होता है ।

पब्लिक स्कूल अच्छा परिणाम दिखाने के लिए कई बार कई हथकण्डे भी अपनाते हैं, जैसे - कमजोर छात्रों को स्वयंपाठी प्राइवेट छात्र के रूप में परीक्षा दिलाना, छात्रों को परीक्षा में अनुचित मदद पहुँचाना आदि, जबकि सरकारी स्कूलों मे ऐसा नहीं किया जाता ।

सरकारी स्कूलों के अधिकांश शिक्षक अपनी बेहतर योग्यता के कारण ही सरकारी विद्यालयों में नियुक्त होते हैं ।

प्रतिभावान् होने के बावजूद यदि परीक्षा परिणामों में अन्तर है, तो इसके लिए उत्तरदायी ऊपर दिये कारण ही हैं । जब तक ये कारण अस्तित्व में रहेंगे, परीक्षा परिणामों का यह अन्तर भी कायम रहेगा । अनेक अवसरों पर यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी कोष से वेतन या अनुदान पाने वाले प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों के लिए चाहे वह राष्ट्रपति हो या प्रधानमन्त्री, गवर्नर हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सभी के लिए निकट के सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढाना अनिवार्य किया जाना चाहिए । ऐसा होना कठिन अवश्य है, लेकिन यदि हो जाय, तो सरकारी विद्यालयों की सब कमियाँ दूर हो जायेंगी, वहाँ आधुनिकतम सुविधाएँ आ जायेंगी तथा शिक्षकों में कर्तव्यबोध विकसित होने में भी देर नहीं लगेगी । केवल यह अकेला उपाय भारतीय शिक्षा व्यवस्था की डूब रही नैया को बचाकर ले जा सकता है ।



प्रेम-विवाह को मान्यता कितनी जरूरी ?

प्राचीन भारत में आठ प्रकार की विवाह-प्रणाली प्रचलित थी, जिनमें आवश्यकता और समय के अनुसार लोग विवाह करते थे; परन्तु कालान्तर में विवाह के सम्बन्ध मे इतनी जड़ता और रूढ़ियाँ आ गयीं कि केवल अपनी बिरादरी में विवाह होने लगे। जिसके कारण जातीयता व धार्मिक कट्टरता और अधिक बढ़ गयी । विवाह की इस प्रणाली के कारण स्त्रियों की हालत इतनी बिगड़ गयी कि उनका सारा व्यक्तित्व एक सामान की तरह हो गया । शादी करके एक आदमी के हाथ में बाप के द्वारा बिटिया गाय की तरह उसे थमा दी जाती है और जिन्दगी भर के लिए वह पति के घर चहारदीवारी में कैद होकर पति का मनोरञ्जन करने, उसकी सेवा करने और बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर रह जाती है । उसकी शिक्षा की आवश्यकता धीरे-धीरे खत्म हो गयी । उसका जीवन केवल आया, नौकरानी और गणिका की तरह हो गया, उसके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार धीरे-धीरे खत्म होते चले गये। सेविका और जनाना के रूप में साहित्य द्वारा उसे ऐसे जीवनमूल्यों का पाठ पढाया गया कि गुड़ियों का खेल खेलना, कढ़ाई-बुनाई करना और व्यंजन, अचार बनाने के काम को उसने जीवन का उद्देश्य समझ लिया ।

परदे की प्रथा मजबूत होती चली गयी, जिससे उसका घर से निकलना बन्द हो गया, घर की सयानी होती लड़की को बाप व भाई के द्वारा डाँट-डाँट कर बार-बार कहा गया कि वह घर के अन्दर ही रहे । इस प्रकार उसके लिए घर ही एक खुला जेल बन गया । समाज के शासन, प्रशासन, व्यापार, उद्योग, अध्यापन, निर्माण, न्याय एवं रक्षा आदि के महत्त्वपूर्ण कार्यों से स्त्री समाज को काटकर वंचित कर दिया गया । स्त्री को इस बन्धन से मुक्ति और उसका विकास तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि विवाह की इस जड़ता को समाप्त न किया जाय । विवाह के बाद पति अपनी पत्नी की देख-भाल, रक्षा और भरण-पोषण के लिए जीवन-पर्यन्त जिम्मेदार बना दिया गया, अर्थात् जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरा करने का ठेका एक व्यक्ति को दे दिया गया । इस प्रकार एक स्त्री के जीवन में पढ़ने-लिखने और तरक्की करने का न तो कोई अवसर रहा और न ही उसकी जरूरत रही। इस प्रकार उसे पूरी तरह पंगु परोपजीवी और उत्साहविहीन बना दिया गया

प्रेम-विवाह और अपनी पसन्द का जीवनसाथी ढूँढने की जो परम्परा पश्चिमी दुनिया में शुरू हुई, वह वहाँ के विकास का बहुत बड़ा कारण है। वहाँ की स्त्रियाँ अपना मनपसन्द जीवनसाथी चुनती हैं, दोनों प्रसन्नतापूर्वक एक-दूसरे के साथ रहते हैं और जब कभी आपस में किसी कारण से मन-मुटाव हो जाता है, तो जीवनसाथी को बदल भी लेते हैं और फिर से नये साथी के साथ खुशी की जिन्दगी बिताते हैं। पढ़ाई के दिनों में ही साथ-साथ लड़के-लड़कियाँ रहते है, बातचीत करते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं और जिससे उनकी इच्छा होती है, उससे अपने संरक्षकों को सूचित करके शादी कर लेते हैं। इस व्यवस्था मे लड़के का मोल-भाव और दहेज की कोई बात ही नहीं उठती,दहेज की माँग और दहेज उत्पीड़न की समस्या भी नहीं उत्पन्न होती।

जब अलग-अलग जातियों और धर्मों के लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे के साथ-साथ पढ़ाई करते हैं, तो उनमें प्रेम सम्बन्ध विकसित होते हैं, जिससे अन्तर्जातीय, अन्तर्धार्मिक एवं अन्तर्क्षेत्रीय विवाह होने लगते हैं, जिससे जाति, धर्म और क्षेत्र की कटुता की दीवारें ढह जाती हैं और सामाजिक एकता मजबूत होती है। पश्चिमी दुनिया में सीमित परिवार का प्रचलन है, जिसके कारण एक या दो बच्चे ही परिवार में होते हैं और उनकी ठीक से देख-भाल हो पाती है। औरत को बच्चा पैदा करने के लिए मशीन नहीं बनना पड़ता, यदि तलाक भी हो जाय, तो उन बच्चों का भरण-पोषण माँ या बाप के साथ आसानी से हो जाता है।

प्राय: १०-१२ साल की उम्र से ही बच्चों को अच्छी शिक्षण संस्थाओं के छात्रावासों में रखकर पढ़ाया लिखाया जाता है,. दूसरी ओर भारतीय, पारम्परिक विवाह-प्रणाली में तमाम आदमी जो दुर्घटनाओं और बीमारियों में मर जाते है, उनकी औरतें दूसरी शादी नहीं कर पातीं। वे फिर अपने भरण-पोषण एवं शारीरिक इच्छाओं के लिए अवैध सम्बन्ध बनाती हैं, तमाम आदमी या औरते, जिनका अपनी पति या पत्नी से टकराव हो जाता है, वह तलाक नहीं ले पाते, कटुतापूर्ण सम्बन्धों में घुट-घुट कर जीते हैं। चोरी-छिपे दूसरों से शारीरिक सम्बन्ध बनाते हैं और इसकी वजह से तमाम हत्यायें और लड़ाइयाँ होती है। आदमी और औरत के बीच बात चीत न करने की जो परिपाटी भारतीय समाज

मे है अलग अलग नडक लडकियो क स्कू न ० म्मक कागण दूसर निङ्ग के व्यक्तियों के प्रति जिन्दगी भर उत्सुकता, आकर्षण और कौतूहल बना रहता है, इसके कारण तमाम लोग जिनकी शादी नहीं होती है और बहुत से लोग जिनकी नापसन्द शादी कर दी जाती है, वे कुण्ठाग्रस्त बने रहते हैं। देश की ७५ प्रतिशत आबादी में अधिकांश नारियों का विकास नहीं हुआ, न उनकी क्षमता का पूरा उपयोग हुआ, इसलिए सामाजिक एकता और विकास के लिए प्रेम-विवाह, विधवा-विवाह, स्त्री शिक्षा एव स्त्रियों को आर्थिक अधिकार दिया जाना बहुत जरूरी है।

संविधान का नया स्वरूप

संविधान जिस समय बना था, उस समय की परिस्थिति, वातावरण से आज ५० साल की आजादी के बाद की परिस्थिति एवं वातावरण बहुत बदल चुका है। उस समय संविधान अंग्रेजों के यहाँ से नकल करके उनकी तर्ज पर बनाया गया था। उनके यहाँ की परिस्थिति, काल, वातावरण एवं सामाजिकता हमारे यहाँ से बहुत हद तक भिन्न है । अतः आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है ।

१. कानून में परिवर्तन – आज का मौजूदा कानून अपराधियों को दण्ड दिलाने में सक्षम नहीं है । इससे अपराधों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है । न्यायालय समय से अपना निर्णय नहीं सुना पा रहे हैं। २५ से ३० साल के मुकदमे लम्बित पड़े हैं, जिनसे जनता में कानून के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है । मुकदमो के जल्द निबटारा हेतु लोक अदालतों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तथा यथासम्भव प्रयास यह किया जाना चाहिए कि घटनास्थल पर ही मजिस्ट्रेट द्वारा त्वरित फैसला लिया जाय, जिससे समय और कार्यप्रणाली में कोई अनियमितता न आये । इन कार्यों के लिए जनपद तथा ब्लाक स्तर पर टीमों का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें जज, डाक्टर तथा पुलिसकर्मी होने चाहिए, जो आपराधिक मामलो को मौके पर पहुँच कर सुलझाने की कोशिश करें । इसी प्रकार भूमि विवादों के लिए मोबाइल कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो मौके पर पहुँचकर सही निर्णय कर सके ।

२. शिक्षा – आज देश की आबादी १०० करोड़ के लगभग हो गई है। जब कानून बना था, उस समय की आबादी लगभग ३० करोड़ थी । उस समय इतनी बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार नहीं था । केवल सरकारी काम चलाने के लिए कुछ क्लर्क चाहिए । वही शिक्षा-पद्धति आज भी चल रही है, जो रोजी-रोटी देने में सक्षम नही है। आज ऐसी शिक्षा चाहिए, जो हर व्यक्ति को रोजी-रोटी दे सके, इस दिशा मे निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं, जैसे —

क- शिक्षा व्यावसायिक तथा रोजगारपरक हो ।

ख- गरीब, अमीर सबके लिए शिक्षा एक प्रकार की हो, शिक्षा में मुनाफाखोरी पर नियन्त्रण लगाया जाय । दोहरी शिक्षा-प्रणाली बन्द हो । सभी जगह पर एक

लागू होना चाहिए मे नैतिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए

ग भारतीय भाषा पढ़ाई जाय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए जो लोग पढ़ना चाहें, उनको विदेशी भाषा भी पढ़ाई जाय; लेकिन सभी के लिए विदेशी भाषा आवश्यक न रखी जाय ।

घ- सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कोचिंग, ट्यूशन आदि पढ़ाने पर रोक लगाई जानी चाहिए ।

३. जनसंख्या-नियन्त्रण – आबादी रोकने के लिए कानून बनना चाहिए कि कोई व्यक्ति दो से ज्यादा सन्तान पैदा नहीं कर सकता है ।

४. बेरोजगारी– बेरोजगारी दूर करने के उपाय करने चाहिए । उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि में नये-नये संसाधनों को खोजना चाहिए, जैसे- पशुपालन के द्वारा दुग्ध उत्पादन, असिंचित जमीन को सिंचित करने के साधनों की खोज करके उत्पादन बढ़ाना तथा नये कल-कारखाने बनाकर उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ।

५. अन्य – लड़कियों को पिता की सम्पत्ति पर बराबर का अधिकार होना चाहिए, ताकि वे पिता या पति पर पूरी तरह आश्रित न रहें । दहेज पर कानूनी प्रतिबन्ध लगना चाहिए । शादी के बाद यदि विचार न मिले, तो तलाक की सुविधा आसान की जाय, जिससे आदमी घुट-घुट कर न जिये और अपराध की ओर अग्रसारित न हो ।

●

सरे आम हो रही मानवता की हत्या

अभी हाल में कुछ घटनाएँ ऐसी घटीं, जिनसे आत्मा को बड़ा धक्का लगा। देश की राजधानी दिल्ली में फूलन देवी की हत्या के तुरन्त बाद राजनेताओं के द्वारा पूरे देश में हड़ताल, तोड़-फोड़, गुण्डागर्दी का माहौल बना दिया गया । आम जनमानस इस बात पर विचार करे कि फूलन देवी की हत्या उन्हीं की पार्टी तथा उनके परिवार के लोगों ने विश्वासघात करके की, तो इसमें आम जनता किस बात का अपना समर्थन दे ? फूलन देवी के जीवन व चरित्र के विषय में, लोग कहते है, वह डाकू थी, हत्यारिन थी, तो ठीक है; लेकिन उसके साथ सोचने की बात यह भी है कि उसको डाकू बनाया किसने ? वह डाकू बनी कैसे ? उसको उसके घर से बिना किसी दोष के कौन उठा ले गया? आखिर उनका क्या हक था, जो रात के अन्धेरे सन्नाटे में उसके घर में डाका डालने के बहाने फूलन को उठा ले गये और डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। तदुपरान्त हत्यारिन बनने हेतु विवश किया ।

फूलन को दस्यु बनाने में हमारा ही समाज दोषी है । फूलन को दस्यु से संसद तक पहुँचाने का भी माध्यम हमारे समाज का उच्च वर्ग ही रहा है, यदि वह दस्यु थी, तो उसे संसद में पहुँचाने का क्या तात्पर्य था ।

आज समाज इस दहलीज पर खड़ा है कि उसे मानवता की हत्या करने मे तनिक-सा भी संकोच नहीं है । फूलन की हत्या के बाद सम्पूर्ण राष्ट्र में अराजकता का माहौल बना दिया गया । क्या इन सब बातों से मानवता की हत्या नही होती? दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में हुई । वहाँ पर कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता तथा पूर्व-राज्यपाल महावीर प्रसाद के दामाद डॉ. अशोक की हत्या, जिसमें निकटस्थ लोगों के द्वारा डॉ. अशोक की हत्या विश्वासघात के साथ की गई । उसके बाद अपने को निर्दोष साबित करने का जो प्रयास समाचारपत्रो के माध्यम से शुरू हुआ । पुलिस की छानबीन पर अविश्वास का लाजमा चढ़ाने का जो प्रयास किया गया, उससे ऐसा लगा कि पुलिस राजनीति की रखैल बनकर बहुत अन्याय कर रही है

कुछ तथाकथित भ्रष्ट पत्रकारों द्वारा [illegible] के मुख्य आरोपी डॉ. सुनील आर्या को समाचार-पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर बेहोश छापकर दिखाने से ऐसा लगा कि पुलिस अन्याय की चरम सीमा को पार करती जा रही है। क्या वास्तव में पुलिस के द्वारा उनको इतना प्रताड़ित किया गया। उसके बाद समाज और कांग्रेस ने चुप्पी साध ली और कुछ भी निन्दा प्रस्ताव उन अपराधियों के लिए नहीं पारित किया। इतनी बड़ी घटना का पोल खोलने का काम करने वाली पुलिस के लिए हमारे पत्रकार भाइयों के पास प्रशंसा के शब्द नही थे; क्योंकि हमाम में सभी नंगे थे।

पुलिस को उसके इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश शासन के ही एक मन्त्री मार्कण्डेय चन्द ने पचास हजार रूपये का इनाम दिया, जिसको पत्रकारों ने अपने समाचार-पत्रों में कोई भी स्थान नहीं दिया। यदि पुलिस इस घटना को गम्भीरता से नही लेती, तो उसके ऊपर यह दोषारोपण किया जाता है कि पुलिस हत्यारों को बचा रही है और पुलिस अकर्मण्य हो गई है। यहाँ तक कि अपराधी लोग पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, वह अपने आप को निर्दोष साबित करवाना चाह रहे हैं, जबकि उनके विरुद्ध पुलिस के पास काफी साक्ष्य हैं।

इन सभी बातों पर समाज का चुप रहना कहाँ तक उचित है, क्या यह मानवता की हत्या नहीं है ? अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हम सभी को आगे आना चाहिए, जिससे मानवता की रक्षा हो सके।

समाज में दहेज प्रथा का अन्त कैसे हो ?

आज समाज का हर प्राणी दहेजरूपी दानव से परेशान है और हर व्यक्ति कहता भी है, समझता भी है, फिर भी मानता नहीं है। आखिर क्यों ? इसका एकमात्र कारण लोभ, बड़े बनने का दिखावा और दूसरों के सामने ज्यादा खर्च करने का विचार है। ताम-झाम न रहने पर,सादगी से काम करने पर इज्जत नहीं मिलेगी क्या? अब तो साधारण व छोटे लोग भी निमन्त्रण-पत्र अंग्रेजी में छपवाते हैं, जिससे हम ऊँचे दर्जे में आ जाँय। विदेशों की नकल करने की, अपने को बड़ा दिखाने की, शिष्टाचार को त्यागने की और भ्रष्टाचार करके अपने हित अर्थ कमाने की जो होड़ समाज में लगी हुई है, वही होड़ दहेज को जन्म दे रही है।

आज का मानव एक रात के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, वह भी सिर्फ इसलिए कि वह अपने को समाज में उच्च श्रेणी में गिना सके। इतना करने के बाद भी जब लड़की बहू बनकर दूसरे के घर जाती है, तो वहाँ उसे दहेज की कमी को लेकर, मोटर साइकिल, कार, टी.वी., फ्रीज इत्यादि को लेकर आए दिन ताने सुनने पड़ते हैं। दहेज के भूखे भेड़िए बहू को लक्ष्मी की उपाधि न देकर कुलटा की उपाधि से सम्मानित करने लगते हैं। तदुपरान्त माँगों के न पूरे होने पर उसे या तो जला दिया जाता है या उसे फाँसी लगाने पर मजबूर कर दिया जाता है।

यह दहेज की आग समाज के हर वर्ग हर जाति में लगी हुई है। कोई भी इस आग की चपेट से अछूता नहीं है। सभी नित्य समाचार-पत्रों के माध्यम से यह पढ़ रहे है कि यहाँ यह लड़की जलाई गई, यहाँ पर यह लड़की मारी गई, फिर हमारा समाज इससे सीख न लेकर दहेज को बढ़ावा देते जा रहा है। गरीब व साधारण आदमी हजारो मे, तो अमीर आदमी उसका मूल्य लाखों में चुकाता है। हर कोई रोना रो रहा है। दु खी दिखाई पड़ता है, लड़की की शादी के मौके पर; परन्तु जब वह लड़के की शादी करता है, तो समाज में बड़ा दिखाने के चक्कर में लड़की की शादी में दिये गये दहेज से कई गुना ज्यादा माँगता है। वही आदमी जो लड़की की शादी में असहाय-सा दिख रहा था, लड़के की शादी में शेर जैसा दहाड़ता नजर आता है।

आज के परिवेश में इन सब से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है कि वयस्क लड़की, लड़कों की शादी करने का निर्णय स्वयंवर जो प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। इससे लड़की लड़के जीवनसाथी बनाये। इससे दहेजरूपी दानव को समाप्त करने में इस दानव का अन्त हो जायेगा।

घर से बाहर दुर्व्यवस्था का आलम

हमारे देश को आजाद हुए बावन वर्ष बीत गये, फिर भी जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, तो ऐसी दुर्व्यव्यस्था का आलम देखने को मिलता है कि संवेदनशील नागरिक रो पड़ता है । कुछ लोग तो इस समस्या से इतने त्रस्त रहते है कि जब तक कोई बड़ी मजबूरी न हो जाय, वह घरों से बाहर नहीं निकलते । रेलवे स्टेशनों पर जाइए तो भारी भीड़ उन्हें बाहर खड़ी मिलती है । उसी भीड़-भाड मे किसी की जेब कट रही है, तो किसी का पर्स छीना जा रहा है । इसी तरह रेलो का भी बहुत बुरा आलम है कि पूछिये ही न । जब हम देखते हैं कि तमाम लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं या कुछ लोग डिब्बों के बल्व, शीशे निकाल लिए हैं । कुछ लोगों के द्वारा तो ट्रेन को अपनी बपौती बना लिया गया है, जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, उसे रोक लेते हैं । वहीं बस अड्डे पर जाइए, तो वहाँ भी यही आलम है। चोर-उचक्के मौके के इन्तजार में खड़े रहते हैं कि कब आप आयें और वह आपका सामान उतारें और कब लेकर गायब हो जाँय ।

जहाँ एक ओर तमाम लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, उस पर भी लड़कों को कोई एक-सी तकनीकी शिक्षा नहीं मिल रही है कि वह कोई रोजी-रोजगार कर सके। कोढ़ का खाज यह है कि इस तरह के निगम बनाकर लोगों को अपना धंधा भी करने से रोका जा रहा है । अगर यह काम प्राइवेट हाथों में दे दिया जाय, तो अपनी जीप, टैक्सी या बस चलाकर तमाम लोग अपनी रोटी कमा सकते हैं । इसके साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी । निगमों के बहाने जो सरकार को करोड़ों का घाटा हो रहा है, वह कम हो जायेगा ।

जहाँ शासक और प्रशासक अपनी सक्षमता का ढिंढोरा पीटते रहते हैं । जनता की सेवा के बड़े-बड़े आश्वासन दिये जाते हैं; लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, तो हर जगह दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ती है । सड़कें चौड़ी नहीं हैं, बीच में डिवाइडर नही है तेजी से चलती गाड़ियाँ आमने सामने से लडती हैं ' सचमुच यह सब देखने

के बाद लगता है कि हम भारत [illegible] को [illegible] यहा देखकर तो विदेशी इस देश को दो सौ वर्षों तक गुलाम बनाकर तरह-तरह से प्रताड़ित करते रहे हैं।

इन दुर्व्यवस्थाओं से निपटने के लिए हमारे प्रशासन को चाहिए कि अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित करें तथा गलत काम करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। सारे कायदे-कानूनों को जनहित में रखकर बनाया जाय।

चुनावों में सिकुडता लोकतन्त्र

भारत की लोकतान्त्रिक चुनाव की प्रणाली से धीरे-धीरे आम मतदाता राजनीति से अलग होता जा रहा है। अब ईमानदार और गरीब आदमी के लिए सत्ता की भागीदारी कर पाना असम्भव हो गया है । गाँधी का सपना था कि स्वराज में दरिद्र नारायण हमारी सारी गतिविधियों का केन्द्र रहेगा । चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों को लड़ने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को १५ लाख रूपये तक खर्च करने की अनुमति प्रदान की है । जहाँ इस देश में आम आदमी की वार्षिक आय पन्द्रह हजार रूपये से कम है, वहाँ पर कोई आम आदमी पन्द्रह लाख रूपये खर्च करके चुनाव लड़ने की बात कैसे सोच सकता है । अत चुनावी व्यवस्था धनवान् लोगों के हाथों में चली गई है और उन्हीं का वर्चस्व स्थापित होता जा रहा है ।

चुनावों के समय में क्षेत्रीय जिला प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि वह प्रत्याशियों को उनके क्षेत्र में कस्बे-कस्बे या गाँव-गाँव में पहुँचाने की व्यवस्था करे । चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसे प्रत्याशी जिनका चरित्र अच्छा न हो, उनको टिकट न दिया जाय । आज के परिवेश में पचास प्रतिशत से भी ज्यादा राजनेताओं की पृष्ठभूमि आपराधिक रही है और जो बचे हैं, उनमें भी ज्यादातर राजनेताओं का सम्पर्क अपराधियों से रहता है, जिनके बल पर वे वोट खरीदते है ।

राजनीति में वंशवाद को भी ज्यादा महत्त्व दिया जा रहा है । कहीं पर पत्नी को, कहीं पर बेटे को या कहीं पर अपने सगे-सम्बन्धियों को टिकट बाँटे जाते है । पार्टियों में आन्तरिक लोकतन्त्र गायब होता जा रहा है । चुनाव आयोग और ससद को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि किसे टिकट दें और किसे न दे । आजकल राजनेता कई-कई जगहों से चुनाव लड़ने लगे हैं और यदि दोनों जगहों पर चुनाव जीत जात हैं तो एक जगह से दे देते हैं जिससे देश को

करोड़ों रूपयों की हानि होती है । अतः चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है कि वह एक जगह से अधिक जगहों पर चुनाव लड़ने को प्रतिबन्धित कर दे ।

चुनाव में लोकतन्त्र का सिकुड़ता माहौल इस तरह से बदहाल हो गया कि सत्ताधारी दल अपने चहेतों अधिकारियों या कर्मचारियों को अपने संवेदनशील क्षेत्रों में पहुँचाता है, जिससे कि उसकी विजय सुनिश्चित हो जाय । संविधान द्वारा सरकारी सेवाओं की दलनिरपेक्ष भूमिका ध्वस्त हो गई है । अभी तक अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण के ऐसे स्पष्ट नियम नहीं बने है, जिससे इनके दुरुपयोग की सम्भावनाएँ समाप्त हो सकें ।

दहेज का अन्त

आज समाज का हर प्राणी दहेजरूपी दानव से परेशान है, और हर व्यक्ति कहता भी है, समझता भी है, फिर भी मानता नहीं है। आखिर क्यों? इसका एक-मात्र कारण लोभ,बड़े बनने का दिखावा और दूसरों के सामने ज्यादा खर्च करने का विचार है। ताम-झाम न रहने पर, सादगी से काम करने पर इज्जत नहीं मिलेगी क्या? अब तो साधारण व छोटे लोग भी निमन्त्रण-पत्र अंग्रेजी में छपवाते हैं, जिससे हम ऊँचे दर्जे में आ जाँय। विदेशों की नकल करने की, अपने को बड़ा दिखाने की, शिष्टाचार को त्यागने की और भ्रष्टाचार करके अपने हित अर्थ कमाने की जो होड समाज में लगी हुई है, वही होड़ दहेज को जन्म दे रही है।

आज का मानव एक रात के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, वह भी सिर्फ इसलिए कि वह अपने को समाज में उच्च श्रेणी में गिना सके। इतना करने के बाद भी जब लड़की बहू बनकर दूसरे के घर जाती है, तो वहाँ उसे दहेज की कमी को लेकर, मोटर साइकिल, कार, टी.वी., फ्रीज इत्यादि को लेकर आये दिन ताने सुनने पड़ते हैं। दहेज के भूखे भेड़िए बहू को लक्ष्मी की उपाधि न देकर कुलटा की उपाधि से सम्मानित करने लगते हैं। तदुपरान्त माँगों के न पूरी होने पर उसे या तो जला दिया जाता है या उसे फाँसी लगाने पर मजबूर कर दिया जाता है।

यह दहेज की आग समाज के हर वर्ग, हर जाति में लगी हुई है। कोई भी इस आग की चपेट से अछूता नहीं है। सभी नित्य समाचार-पत्रों के माध्यम से यह पढ रहे हैं कि यहाँ यह लड़की जलाई गई, यहाँ पर यह लड़की मारी गई फिर हमारा समाज इससे सीख न लेकर दहेज को बढ़ावा देता जा रहा है। गरीब व साधारण आदमी हजारों में तो अमीर आदमी उसका मूल्य लाखों में चुकाता है। हर कोई रोना रो रहा है। दुखी दिखाई पड़ता है, लड़की की शादी के मौके पर; परन्तु जब वह लडके की शादी करता है, तो समाज में बड़ा दिखाने के चक्कर में लड़की की शादी में दिये गये दहेज से कई गुना ज्यादा माँगता है। वही आदमी जो लड़की की शादी में असहाय-सा दिख रहा था, लड़के की शादी में शेर जैसा दहाड़ता नजर आता है

आज के परिवेश में इन सब से छुटकारा पाने का रास्ता एक ही है। वह यह है कि वयस्क लड़की, लड़कों की शादी करने का निर्णय स्वयंवर की तरह ही करे, जो प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। इससे लड़की लड़के को चुनकर अपना जीवनसाथी बनाये। इससे दहेजरूपी दानव को समाप्त करने में मदद मिलेगी और इस दानव का अंत हो जायेगा।

भ्रूण हत्याओं का दौर : संसार में विधाता की रचना को ८४ लाख योनियों में बताया जाता है, जिससे हर योनि में नर व मादा ही सृष्टि में दिखाई पड़ती है। विधाता की सर्वोत्कृष्ट रचना मानव ही माना जाता है। जो अपने वश में रहकर सभी जीव-जन्तु पर अधिकार जमा लिया है। अब मानव में स्त्री और पुरुष ये दो वर्ग के सम्पर्क से सृष्टि की रचना समाहित है। विधाता की ओर से यह नियोजन भी बना है कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर रूप में, पृथ्वी पर आते हैं। जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है; लेकिन समाज में मौजूदा समय में जो भ्रूणहत्या का सिलसिला चल रहा है, वह पोस्टरों, बैनरों व होर्डिंग्स के माध्यम से विज्ञापन करते हैं। जिसमे लिखा होता है कि मेरे पास आओ और लड़का पाओ। पेट में पल रहे भ्रूण को गर्भपात के माध्यम से खत्म कर दिया जाता है। यदि यह दौर इसी प्रकार चलता रहा, तो लड़कियों की जन्म दर घटकर कहाँ तक जायेगी, यह किसी को नहीं मालूम तथा लड़कों की जन्म-दर में बढ़ोत्तरी दिखाई पड़ेगी, जिससे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जायेगा।

अत: यहाँ पर लड़के ही लड़के अधिक संख्या में रहेंगे। लड़कियों की प्राप्ति हेतु छीना-झपटी मचेगी। फिर समाज में व्यवस्था कैसे कायम रह पायेगी। इसके पीछे विचार करने की जरूरत है कि इस अपराध में वृद्धि क्यों हो रही है। तो कारण साफ स्पष्ट है कि दहेजरूपी बीमारी ही इन अपराधों को बढ़ावा देने में अधिक भूमिका निभाती है। अभिभावकों को इस बात का डर रहता है कि यदि लड़की हुई तो उसकी शादी के लिए दहेज कहाँ से आयेगा। इन हत्याओं की बढ़ोत्तरी में हमारे चिकित्सक वर्ग की भूमिका काफी अहम् है, वे स्वार्थपूर्ति के लिये भ्रूण हत्याओं को कर रहे हैं और रूपयों को बटोरने में लगे हुए हैं। अत: समाज के जागरूक प्रहरी अर्थात् साहित्यकार, पत्रकार व सभी बुद्धिजीवियों को इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। जिसमें दहेज उन्मूलन योजनाएँ बनाई जाँय, जिसमें हमारी सरकार को भी पूर्ण सहयोग मिलेगा, और तो और गर्भपात कराने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कड़े कानून बनाये जाँय, जिससे वे इस प्रकार का दुस्साहस करने की चेष्टा न करें

दहेज उन्मूलन . दहेज उन्मूलन को प्रभावी बनाने के लिए नारी समाज को आगे आना होगा, जिस प्रकार वे स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़-चढ़कर भाग लेती थी, ठीक उसी प्रकार से ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर पर पदेन महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और जगह-जगह पर बैठकें करनी होंगी। आज राष्ट्र को वैचारिक क्रान्ति की जरूरत है, इस पुनीत कार्य को क्रिया रूप देने के लिए। जो भी व्यक्ति इन कार्यों के लिए संगठनों से जुड़े हुए हैं, वे यह प्रण करें कि अपने पुत्रों की शादी में दहेज नहीं लेंगे और दूसरे लोगों से भी इसी प्रकार के संकल्प-पत्रों को भरायें, इसी से हम दहेज रूपी महामारी को दूर कर सकेंगे।

खर्चीली शादियाँ : समाज में शादियों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, अपने को बड़ा दिखाने के लिए दिखावा किया जाता है। लोग उधार लेकर काम चलाते हैं। जरूरत पड़ने पर अपनी प्रापर्टी, खेत, मकान, जेवर, छोटी-बडी गाड़ियाँ बेच डालते हैं और फिर गरीबी की रेखा के नीचे जाने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार समाज में गरीबी बढ़ती जाती है। इससे खर्चीली शादियों पर रोक लगनी चाहिए एवं साधारण तरीके से शादियों का आयोजन करके सादगी से वैवाहिक कार्यक्रमों को निपटाना चाहिए। यदि रूपयों को खर्च करना ही है, तो आप लड़के-लड़की के नाम से रूपयों को जमा करा दें, जिससे उनका भविष्य बन सके।

●

कश्मीर, भारत और पाकिस्तान

कश्मीर का मुद्दा सन् १९४७ से ही बराबर एक समस्या के रूप में भारत के सामने बना हुआ है। आतंकवाद के कारण यह समस्या और गम्भीर हो गई है। कश्मीर का भारत में विलय राजा हरिश्चन्द्र ने १९४७ में उस समय किया था, जब पाकिस्तानी सरकार एवं सेना की मदद से कई कबीले के लोगों द्वारा हमला कर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की गयी थी। भारतीय सेना ने तो हमला रोक दिया; परन्तु जहाँ पाकिस्तानी हमलावरों का उस पर कब्जा हो गया था, वह भू-भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। जितना हिस्सा भारत के कब्जे मे था, उस पर अभी भी भारत का कब्जा बरकरार है। उस समय जो कब्जा पाकिस्तानी हमलावरों ने कर लिया था, उसे हटाया जाना जरूरी था; लेकिन लगातार बातचीत, सुलह-समझौते की राजनीति के कारण इस मामले में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायी। १९७१ में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, तब पाकिस्तानी लोगों का गुस्सा भारत के प्रति विशेष रूप से बढ़ गया। वे पाकिस्तान के विभाजन के लिए भारतीय सरकार के लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। अतः पाकिस्तान की हर मौजूदा सरकार भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम को भडकाती रहती है। पाकिस्तान की कोई भी सरकार हो, उसकी मजबूरी भारत का विरोध करना ही रहता है। इसके बिना वे अपने देश में लोकप्रिय नहीं हो सकते।

पाकिस्तान की सरकार अच्छी तरह से जानती है कि वह भारत से खुले युद्ध नहीं जीत सकती। इसलिए वह प्रच्छन्न एवं आतंकवाद को फैलाकर ही अपने अरमानों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जिसके लिए वह हजारों बेरोजगारो को प्रशिक्षण देकर आतंक फैलाने के लिए उन्हें कश्मीर में भेजता रहता है। मजहबी जेहाद का वास्ता देकर उन्हें भारतीय कटीले तारों को लाँघने पर हमेशा उकसाते रहते हैं। उनके इस भड़कावे को कश्मीर की अधिकतर जनता ने जेहाद के रूप मे स्वीकारने का क्रम शुरू कर दिया है।

शुरू में तो ये आतंकवाद कश्मीर के पण्डितों को ही मारने या उनके धर्म बदलवाने के लिए उन्हें प्रताड़ित करते रहते थे; परन्तु जब उन पण्डितों ने कश्मीर को छोड़कर अन्यत्र अपना ठिकाना बना लिया तो ये जो अपने आपको

जेहादी कहते हैं, अपने ही भाई-बहनों को लूटने लगे । जब से तालिबानों के खिलाफ अमरीका ने अपनी लड़ाई छेड़ी है, कश्मीरी आतंकवादियों की भी कठिनाई बढी है; क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई., तालिबान की अफगानी सरकार और कश्मीरी आतंकवादी सब एक ही संगठन के अलग-अलग समूह हैं ।

कश्मीर में शान्ति स्थापना हेतु आवश्यक है कि जिस प्रकार पाकिस्तान भाड़े के सैनिकों और आतंकवादियों को भारत भेजकर आतंकवादी कार्यवाहियाँ करवाता है, ठीक उसी प्रकार भारत को भी भाड़े के आतंकवादी भेजकर उनके प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कराना चाहिए एवं कानून बनाकर कश्मीर में सारे भारतीयों को बसने की छूट दी जानी चाहिए, सीमावर्ती इलाका होने के कारण स्थायी रूप से फौज एवं सशस्त्र बलों की बटालियन स्थापित की जाय । कट्टरपंथियों में वैचारिकी की जाल को टोने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रमों को उत्तरदायी बनाया जाय । उसमें राष्ट्रवादी बातों को शामिल किया जाय तथा देश व समाज को तोड़ने वाली कट्टरपन्थी बातों को समाप्त किया जाय । कश्मीर समस्या हल करने के लिए सकारात्मक नीति अपनाने की जरूरत है । इस समस्या को १० साल से अधिक हो गया, इसके शीघ्र हल किये जाने की आवश्यकता है ।

बेनजीर के नजीर

पाकिस्तान की निर्वासित नेता बेनजीर भुट्टो ने अपने भारत प्रवास के दौरान जो भी बयान दिये, उन्हें पाकिस्तान के 'खामोश जनमत' के विचारों की नुमाइन्दगी करार दिया जा सकता है। ये विचार जनरल परवेज मुशर्रफ की सैन्य तानाशाही द्वारा समय-समय पर दिये गये बयानों से सर्वथा विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान में अगले वर्ष आम चुनाव होते हैं, जैसा आश्वासन भी दिया गया है, तो निश्चित तौर पर बेनजीर भुट्टो की शानदार वापसी होगी। वैसे यह तभी संभव है, जब प्रस्तावित आम चुनाव में किसी किस्म की धाँधली न बरती जाय और बेनजीर भुट्टो व उनकी पार्टी को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मतदान में भाग लेने से रोका नहीं जाय। वैसे बेनजीर को सही मायने में विरोध का सामना नवाज शरीफ और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग से करना पड़ सकता है।

यह अलग बात है कि मुशर्रफ द्वारा तख्ता पलट और सऊदी अरब के निष्कासन से पहले ही नवाज शरीफ अपने कार्यकाल में हुई अव्यस्थाओं को लेकर अलोकप्रिय हो चुके हैं और उन्हें अभी इससे उबरना बाकी है। ऐसा भी नहीं कि बेनजीर भुट्टो की पाक के आम जनमानस में बनी छवि बिलकुल बेदाग है। उन पर भी अपने कार्यकाल में भ्रष्ट तौर-तीरके अपनाने व निजी लाभ उठाने के आरोप चस्पा है; लेकिन जैसा भारतीय परिवेश से स्पष्ट है, लोकतान्त्रिक परिपाटी पर नये शासन के लिए होने वाले मतदान में वर्तमान शासन से आजिज आ चुकी जनता प्रत्येक अन्तराल के बाद नई सरकार चुनती है। यही नहीं, इस क्रम में वह विरोधी पार्टी के कार्यकाल में हुई अव्यवस्थाओं को भी भूल जाती है।

यह गौर करने लायक बात है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता बेनजीर भुट्टो, जनरल मुशर्रफ के दृष्टिकोण और रवैये से कतई सहमत नहीं हैं। यह तब है जब बेनजीर जम्मू कश्मीर को 'मुख्य मुद्दा' और कश्मीर पर 'पाकिस्तान का मजबूत दावा' बताने सम्बन्धी मुशर्रफ के बयानों से असहमत नहीं हैं। उनके दृष्टिकोण के तहत मुशर्रफ की तरह जरूरत सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने की नही है बल्कि इसके साथ तमाम अन्य समान महत्त्वपूर्ण मुद्दे भी ध्यान देने योग्य हैं

इसी तरह अपने रवैया में वे 'कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार' और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर बराबर जोर देती हैं; लेकिन इसके साथ ही वह जम्मू कश्मीर में 'देशज राजनीति' में व्यस्त लश्कर-ए-तैय्यबा व ऐसे अन्य आतंकी संगठनों को मदद व प्रोत्साहन देने के सख्त खिलाफ भी हैं।

एक प्रकार वार्ता में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 'यदि हम तुरन्त कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें विवाद प्रबंधन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा'। उन्होंने भारत-पाक सम्बन्धों में सुधार के लिए प्रधानमन्त्री पद पर अपने प्रथम कार्यकाल १९८८ से १९९० के दौरान किये गये प्रयासों का भी जिक्र किया। यही नहीं, अपने दूसरे कार्यकाल १९९३ से १९९६ के दौरान इस क्रम में उपलब्ध अवसरों का भरपूर फायदा न उठा पाने पर उन्होंने खेद भी प्रकट किया। गौरतलब है, जिस समय बेनजीर भुट्टो भारत में अपनी बैठक व पत्रकार वार्ता के दौरान ये स्वीकारोक्ति कर रही थीं, उस समय पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह मुशर्रफ भारत-पाक वार्ता पर पाक टी.वी. के एक साक्षात्कार में अपना अलग सुर अलाप रहे थे। उन्होंने उस साक्षात्कार में कहा कि दोनों देशों के बीच वार्ता 'कश्मीर मुद्दे' पर ही केन्द्रित रहेगी। यही नहीं, बताते हैं कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा है कि 'कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार में भी मतभेद है'।

कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए चारसूत्री योजना भी पेश की – उच्च स्तर पर वार्ता, कश्मीर को केन्द्र में रखकर वार्ता पर आपसी समझौता, दोनों को अस्वीकार्य सुझावों पर ध्यान न देना और तत्पश्चात् वास्तविक समाधान के लिए बातचीत को अंजाम देना। ऐसा प्रतीत होता है कि मुशर्रफ द्वारा सुलझाई गयी इस चारसूत्री योजना में भुट्टो के दृष्टिकोण को रत्ती भर भी स्थान नहीं दिया गया है। जैसा शुरुआत में लिखा जा चुका है, भुट्टो भारत-पाक सम्बन्धों में उस हर सुधार की पक्षधर हैं, जो दोनों को करीब लाये। विशेषकर आर्थिक और व्यापारिक मामलों मे। इसमें कोई शक नहीं है कि विदेश में रहते हुए बेनजीर भुट्टो यह देख पाने में पूरी तरह से सक्षम हैं कि पाकिस्तान की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बेहद खतरनाक ढंग से विध्वंस की ओर बढ़ रही है। यही नहीं, सैन्य शासकों ने पाकिस्तान को 'सामरिक महत्त्व' के नाम पर इस दिशा में बढ़ने दिया। यहाँ तक कि अब वह अपने लिए ही भस्मासुर बन चुका है। और तो और इस क्रम में पाक अपनी सम्प्रभुता तक को खतरे मे डाल चुका है एसा प्रतीत होता है कि सैन्य शासकों ने पाक की सम्प्रभुता

चान के प्रयत्नों और [illegible] एशिया को [illegible] प्रश्न उठता है कि यदि जब कभी भी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमन्त्री पद सँभालती है, तो क्या उनमें अपने देश को इस दलदल से निकालने लायक क्षमता व संसाधन है? क्या वे पाकिस्तान को आर्थिक तंगहाली से निकाल सकेंगी, जिसमें वह आज बुरी तरह से फँसा हुआ है ?

भारतीय उद्योग संघ द्वारा आयोजित समारोह में उद्योगपतियों व व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए बेनजीर भुट्टो ने भारत व पाकिस्तान के बीच गहरे व्यापारिक और व्यावसायिक सम्बन्धों पर खासा जोर दिया। उन्होंने मुशर्रफ सरकार से अपनी नाइत्तफाकी जाहिर करते हुए स्पष्ट कहा कि 'आज की दुनिया में आर्थिक हित राष्ट्रों को नये राजनैतिक समीकरण बनाने को प्रेरित करते हैं'। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र का विलम्बित मुद्दा भी उठाया जायेगा।

पाकिस्तान की विध्वंस के कगार पर पहुँच चुकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर भुट्टो के भय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खास कर यदि आम जन और टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाय। उदाहरण के तौर पर अप्रैल में पाकिस्तान के एक लोकप्रिय पत्र 'द फ्राइडे टाइम्स' में प्रकाशित टिप्पणी को देखा जा सकता है। खास बात यह है कि जाहिद हुसेन द्वारा व्यक्त विचारों को पत्र के सम्पादक ने प्रकाशित करने का हौसला भी दिखाया। टिप्पणी पर गौर फरमाएँ 'कश्मीर मुद्दे से इतर अधिसंख्य पाकिस्तानियों की प्राथमिकताएँ रोजगार के अवसर, स्कूल, अस्पताल और कानून व्यवस्था के क्रम में हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी शासक खामोश जनमत को कतई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पाक शासक इस खामोश जनमत की अनदेखी कर सैन्य विस्तार के लिए लड़ाकू विमान, पनडुब्बियों और बम को खरीद रहे हैं। जबकि आम जनता रोजगार, अस्पताल और स्कूलों का निर्माण चाहती है'। जाहिद ने अपने इस लेख में कहा है कि 'पाकिस्तान के गठन के ५३ वर्षो मे पाकिस्तान के शासकों के पास ३२ एफ-१६, ६५ ए-५ मिराज, २०५० एमबीटी, ३५० सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र, तीन नव डिस्ट्रायर, नौ पनडुब्बियाँ और तीन माइन स्वीपर्स का स्टाक ही उपलब्धियों के नाम पर है। नाभिकीय शक्ति के क्रम में पाकिस्तान के पास अनुमानतः ७३० किलोग्राम परिष्कृत यूरेनियम है, जिससे ३६ परमाणु हथियार बन सकते हैं। इसके अलावा चार रियेक्टर तीन यूरेनियम परिष्कृत करने वाले प्लाट, दो साइट तीन

मिलिंग साइट, एक भारी पानी का संयन्त्र, एक फ्यूल फैबरीकेशन प्लांट और दो प्लूटोनियम प्रसंस्करण प्लांट हैं' । वे आगे लिखते हैं कि यह सब एकत्र किया गया है, 'आम जनता को वंचित रखकर । पाकिस्तान के कुल ३७ बिलियन डॉलर विदेशी ऋण में अस्सी फीसदी सिर्फ सैन्य विस्तारीकरण पर खर्च किया गया । यही नहीं पाक सेना का गठन पाकिस्तान की दो पीढ़ियों को उनके हक से वंचित रखकर किया गया है' ।

द फ्राइडे टाइम्स में प्रकाशित जाहिद की यह टिप्पणी कोई नई नहीं है । नवम्बर १९९९ में पाकिस्तान के पूर्व वित्तमन्त्री एस. बाबर अली ने एक समाचार-पत्र को दिये गये अपने साक्षात्कार में खुले शब्दों में कहा था कि 'पाकिस्तान अब रक्षा पर और खर्च करने की स्थिति में नहीं है । अब हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान देना चाहिए । मुझे पूरा यकीन है कि भारत भी शान्ति और सीमा पर तनाव घटाने की जरूरत को महसूस करता है। इस सन्दर्भ में दोनों राष्ट्रों को जल्द से जल्द बातचीत शुरू करनी चाहिए'। यही प्रश्न अब पाकिस्तान के सैन्य शासकों के सम्मुख रखना चाहिए ।

प्रश्न उठाता है कि क्या वे भी शान्ति और सीमा पर तनाव घटाने की जरूरत महसूस करते हैं ? यदि हाँ, तो सर्वप्रथम पाकिस्तान को सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद पर तुरन्त रोक लगानी होगी । उस आतंकवाद को जिसे मुशर्रफ बेहद खुशी से 'जेहाद' करार देते हैं । गौरतलब है कि पाकिस्तान के सैन्य शासक के समक्ष सामाजिक, आर्थिक समस्या के अलावा पाकिस्तान की आम जनता के समक्ष कई और मुद्दे हैं, जो अविलम्ब ध्यान देना चाहते हैं । उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान शिया-सुन्नी टकराव के चलते विभाजन की कगार पर खड़ा हुआ है । पिछले अप्रैल माह में उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के मुताबिक १९८७ से १९८९ तक पाकिस्तान में सिर्फ शिया-सुन्नी हिंसा में २२ लोग मारे गये । १९९० मे यह संख्या बढ़कर ३२ हो गई, तो १९९१ में ४७, १९९२ में ६०, १९९३ में ४० तथा १९९४ में ७५ मासूम लोग हिंसा की भेंट चढ़े । इस स्थिति के चलते पाकिस्तान के प्रान्तों में विभाजन का खतरा बढ़ता जा रहा है ।

बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री पद को पुनः जब सँभालेंगी, तो उन्हें कई समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा सबसे बड़ी होगी पाकिस्तान को वर्तमान स्थिति म एक राष्ट्र के तौर पर बचाए रखना क्या वे इस समस्या को आसानी से

सभाल सकेंगी ? अपने भारत प्रवास के दौरान उन्होंने जिस दृष्टिकोण व कार्यक्रम का पक्ष लिया, क्या वे उन्हें क्रियान्वित कर सकेंगी ? गौरतलब है, वह अपने पिछले दो कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी हैं। हालाँकि उन्होंने इस बाबत संकेत तब भी दिये थे। लन्दन में १९८४ में उन्होंने कुछ ऐसे ही संकेत लेखक को भी दिये थे। हालाँकि जब वे प्रधानमन्त्री बनीं, तब पाकिस्तान तन्त्र के कारण उन्हें क्रियान्वित न कर सकीं। क्या अगली बार इस स्थिति में कुछ अन्तर आयेगा ?

●

आडवाणी जी सुनिए

संसद पर गत वर्ष हुए हमले के पश्चात् थोड़ा-थोड़ा भास हुआ कि आपको और अटल जी को गुस्सा आया; किन्तु युद्ध किसी का भी भला नहीं सोचता। ऐसा नहीं है कि हम कायरतावादी शान्ति के पक्षधर हैं; किन्तु इतिहास से अनुकरणीय कूटनीतियाँ हमें विरासत में मिली हैं, उनका भी समय-समय पर सदुपयोग होना चाहिए। भारत से सम्बन्धित आतंकवाद की जड़ में पाकिस्तान ही निर्विवाद रूप से है। अपने गुस्से को नीति के साथ क्रियान्वित करें। आर-पार की लड़ाई दोनों देशो के जन-समुदाय के लिए हानिकारक है, जन-समुदाय को कष्ट पहुँचाना कहाँ तक उचित है, जबकि आप अपनी कुटिलता से पाकिस्तान को असरदार राजनैतिक हानि पहुँचा सकते हैं। 'साँप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे', कुछ ऐसा ही कर दिखाएँ, ताकि इतिहास में आप स्मरणीय स्थान पा सकें।

पाकिस्तान जैसे क्रूर राष्ट्र को कमजोर बनाने का रास्ता ढूँढें, ताकि वह अपने मे ही सिमटे-बिखरे और भारत के प्रति उसकी कुदृष्टि हमेशा के लिए समाप्त हो जाय। मसलन समाचार-पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिला था कि बेनजीर भुट्टो आपके पास बात करने आई थीं और उन्होंने पाकिस्तान में लोकतन्त्र की बहाली के लिए भारत की सहायता चाही थी। यह खुशी की बात है एवं भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि पाकिस्तान की एक पूर्व-प्रधानमन्त्री एवं महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दल की नेता को भारत की सहायता की आवश्यकता तो महसूस हुई। ऐसे समय मे बांग्लादेश को मुक्ति प्रदान कराने वाली इन्दिरा जी की यादें ताजा हो जाती है। बहुत पहले शेख मुज़ीब ने भी, भारत से मदद की याचना की थी और भारत ने उनकी ऐसी मदद की कि पाक के दो टुकड़े हो गये। वस्तुतः इन्दिरा जी के बाद भारत की विदेश नीति से आक्रामक भाव का विलोप-सा हो गया है।

कारगिल युद्ध के समय में भी जब सुनहरा अवसर था, आक्रान्तता को माकूल जवाब देते हुए भी पाक अधिकृत कश्मीर को सर्वथा मुक्त कराने का हमने सामयिक निर्णय नहीं लिया। आतंकवादियों के कैम्प पिछले दस वर्षों से कश्मीर में विस्फोट कर रहे हैं और हमने यह कायरतापूर्ण निर्णय लिया कि नियन्त्रण रेखा को नही लाँघेंगे। इसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं और यही हाल रहा तो आने

वाली कई पीढ़ियाँ भी भुगतेंगी। शेख मुज़ीब के बाद मैडम बेनजीर ने मदद माँगी है, तो क्या भारत के लिए उचित नहीं होगा कि वे बेनजीर को भी ऐसी ही मदद दें, जैसी शेख मुज़ीब को दी गई थी।

सर्वविदित है कि पाकिस्तान में मुहाज़िर व पश्तून वर्षों से पाकिस्तानी पंजाबियों के दमन के शिकार हैं और पाक अधिकृत कश्मीर भी बेहद बेचैन है। अपने उत्पीड़न से पाकिस्तान यदि कई दशकों से हमारे घर में अंगारे बोने का ढिठाई कर रहा है, तो हमें भी पूरा अधिकार है, उसे अपनी सुरक्षा के लिए काटने-बाँटने, तहस-नहस करने का, ताकि हम भारत को बर्बादी से बचा सकें। आशा है बेनजीर जी की आप भरपूर मदद करेंगे, यह दृष्टि में रखते हुए कि पाकिस्तान के विभाजित होने पर ही भारत खुशहाल रह सकता है।

पेट, पैसा एवं लोकैषणा

समाज में जो कुछ भी रात-दिन अनवरत रूप से होता हुआ दिखाई पड रहा है, उसका मूल जब सोचते हैं, तो आता है सर्वप्रथम पेट का सवाल। हर आदमी पहले अपने पेट की चिन्ता में काम शुरू करके पैसा प्राप्त करने का एक मापदण्ड बनाता है। पैसा प्राप्त हो जाने पर फिर अपने जीवन में भौतिक ससाधन जुटाने में जुट जाता है। उससे भी जब सम्पन्न हो जाता है, तो उसको भूख बढ़ती है लोकैषणा की, और वह समाज में अपना वर्चस्व और यश चाहता है। इसी दौड़ में गरीबी और अमीरी की दो रेखायें खिंचती हैं। गरीब आदमी केवल अपने सर छुपाने के लिए छत और तन ढँकने के लिए साधारण कपडे जुटाने में लगा रहता है। अमीर आदमी अपने आमोद-प्रमोद की वस्तुएँ इकट्ठा करने में लगा रहता है और उनको ही आवश्यक समझता है।

कुछ धनाढ्य लोगों को करोड़ों रूपयों की आमदनी होती है। पैसे और पेट से पूरी तरह सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो यश और वर्चस्व समाज में पूरी तरह से स्थापित करने के लिए राजनीति के अखाड़े में अपना नाम लिखाते हैं। राजनीतिक लोग ही आज-कल के राजा हैं और उनकी हैसियत के अनुसार उनका शासन होता है। अभी तक लोग पढ़-लिखकर सरकारी नौकरियों में जाना पसन्द करते थे, जैसे- आई. ए एस., पी. सी. एस. एवं आई. पी. एस. बनना पसन्द करते थे; क्योंकि वे ही राजा होते थे; किन्तु जब से राजनीति परिपक्व होकर प्रखर हुई है, तब से लोग राजनेता बनना ही ज्यादा पसन्द करते है; क्योंकि अब अधिकारियों पर राजनेताओं का शासन होने लगा है।

पेट, पैसा और लोकैषणा की भूख इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि आज देखते हैं कि नैतिकता, मर्यादा का क्षरण होता जा रहा है। उनके बदले मे अपहरण, लूट जैसे अनैतिक कदमों से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। सरल मार्ग से धनाढ्य होने का चलन बढ़ रहा है। आज भावी पीढ़ी अमर्यादित होकर हिंसा और कामुकता की ओर बढ़ती दिखाई पड़ रही है। विदेशी चैनलों के द्वारा जो सामान परोसा जा रहा है इसका निदान सरकार को खोजना होगा उसकी जगह

अच्छे मूल्य प्रसारण में देना होगा, जैसे-- लड़का प्रातःकाल माता-पिता का चरण छुए और अच्छे कर्म, गतिविधि में लीन होता हुआ दिखाया जाय। संस्कृत जानने वाले लोगों की नैतिक शिक्षा देने के लिए विद्यालय में नियुक्ति की जाय, जिससे बच्चों का चारित्रिक विकास हो सके।

समाज में त्याग की भावना को जागृत किया जाय। एक-दूसरे के सुख, दुःख मे भागीदारी का प्रयास और तेज किया जाय, इससे समाज में बढ़ रही दूरी को कम करने में मदद मिलेगी।

कामुकता और हिंसा की अन्धी दौड़ अब कहाँ जाकर रुकेगी, यह अत्यन्त चिन्तनीय विषय है, इस पर समाज और सरकार को आने वाले समय में सोचना ही पडेगा। सोचने की बहुत जरूरत है। ताकि हम लोग समाज में प्रेम भाव से रह सकें। इस समय हमको फिर कबीर के ढाई अक्षर प्रेम की जरूरत है।

अच्छे मूल्य प्रसारण में देना होगा, जैसे– लड़का प्रातःकाल माता-पिता का चरण छुए और अच्छे कर्म, गतिविधि में लीन होता हुआ दिखाया जाय । संस्कृत जानने वाले लोगों की नैतिक शिक्षा देने के लिए विद्यालय में नियुक्ति की जाय, जिससे बच्चों का चारित्रिक विकास हो सके ।

समाज में त्याग की भावना को जागृत किया जाय । एक-दूसरे के सुख, दुःख मे भागीदारी का प्रयास और तेज किया जाय, इससे समाज में बढ़ रही दूरी को कम करने में मदद मिलेगी ।

कामुकता और हिंसा की अन्धी दौड़ अब कहाँ जाकर रुकेगी, यह अत्यन्त चिन्तनीय विषय है, इस पर समाज और सरकार को आने वाले समय में सोचना ही पडेगा । सोचने की बहुत जरूरत है । ताकि हम लोग समाज में प्रेम भाव से रह सकें। इस समय हमको फिर कबीर के ढाई अक्षर प्रेम की जरूरत है ।





कृपाशंकर शुक्ल

जन्म	:	1-1-1934
जन्म स्थान	:	पूरे भोला, मजरे तेरुखा, डलमऊ, रायबरेली, उ.प्र.
प्रवास काल	:	लोहारी गढ़ीवा, जमरॉंवा, फतेहपुर, उ.प्र
सम्प्रति	:	अध्यापन से अवकाश प्राप्त करने के पश 'निर्भीक राष्ट्रीय पुनर्जागरण' (हिन्दी पा पत्रिका का प्रकाशन व सम्पादन
कृतियां	:	(1) अन्तर्व्यथा (काव्य संग्रह) (2) नारी (काव्य संग्रह) (3) चालीस साल बाद (लघु उपन्यास) (4) काशी की कविता (काव्य संकलन का सम्पादन) (5) राष्ट्र के प्रेम गीत (काव्य संकलन का सम्पादन) (6) पूर्वांचल की माटी (काव्य संकलन का सम्पादन) (7) चुनल गीत (भोजपुरी गीतों के सक का सम्पादन) (8) वैचारिकी (निबंध संग्रह)

सम्पर्क सूत्र : रानी कालोनी, आबू नगर, कचहरी रोड, फतेहपुर उ प्र फोन 23096